



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पहली
FIRST

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

2019-2020

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई हैं)
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

नवम्बर, November, 2019

परिचायक टिप्पणी

INTRODUCTORY NOTE

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का पहला बैच 2019-2020.

Subject : First Batch of Supplementary Demands for Grants, 2019-2020.

वर्ष 2019-20 की पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच में 64 अनुदान मांगें तथा 2 विनियोग हैं। ₹21246.16 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹18995.51 करोड़ है और सकल अतिरिक्त व्यय, जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों से समतुल्य किया जाएगा ₹2249.37 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोग के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए के साथ ₹128 लाख का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

The First batch of Supplementary Demands for Grants for 2019-20 includes 64 Grants and 2 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹21246.16 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹18995.51 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹2249.37 crore. Besides, token provision of ₹128 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं:-

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
नकद व्यय	Cash Outgo			
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
7 भेषज विभाग	7 Department of Pharmaceuticals			
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की देयताओं के भुगतान के लिए ऋण के भुगतान हेतु।	For payment of loans towards payment of employees' liabilities of Public Sector Undertaking.	...	160.00	160.00
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10 वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce			
(क) 'कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹10 करोड़), सब्सिडियां (₹20 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹20 करोड़) (ii) 'समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹5 करोड़), सब्सिडियां (₹9.35 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹20.88 करोड़), एससीएसपी के अंतर्गत सब्सिडियां (₹3.75 करोड़) और एसटीएसपी के अंतर्गत सब्सिडियां (₹1.02 करोड़) (iii) 'शुल्क वापसी' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹283 करोड़) (iv) 'बाजार पहुंच पहल' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹50 करोड़) (v) 'रत्न और आभूषण सेक्टर' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹5 करोड़) (vi) 'भारतीय विदेश व्यापार संस्थान' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹50 करोड़) (vii) 'व्यापार आयुक्त' स्कीम के अंतर्गत वेतन (₹8.50 करोड़), डीटीई (₹0.50 करोड़), ओई (₹0.30 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹0.20 करोड़) और लघु कार्य (₹0.50 करोड़) (viii) 'विशेष आर्थिक जोन को सहायता' स्कीम के अंतर्गत वेतन (₹2 करोड़), डीटीई (₹0.50 करोड़),	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹10 crore), Subsidies (₹20 crore) and Grant for creation of Capital Assets (₹20 crore) under the scheme 'Agricultural Product Export Development Authority (APEDA)' (ii) Grants-in-aid General (₹5 crore), Subsidies (₹9.35 crore), Grants-in-aid Salary (₹20.88 crore), Subsidies under SCSP (₹3.75 crore) and Subsidies under STSP (₹1.02 crore) in the scheme 'Marine product Export Development Authority (MPEDA)', (iii) Subsidies (₹283 crore) under the scheme 'Duty Draw Back', (iv) GIA Salary (₹50 crore) under the scheme 'Market Access Initiative', (v) Grants for creation of Capital Assets (₹5 crore) under the scheme 'Gem & Jewellery Sector' (vi) Grants for creation of Capital Assets (₹50 crore) under the scheme 'Indian Institute of Foreign Trade' (vii) establishment related expenditure under various schemes/			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<p>ओई (₹0.50 करोड़), (ix) 'व्यापार उपचार और व्यापार रक्षा' स्कीम के अंतर्गत ओई (₹0.50 करोड़), प्रकाशन (₹0.40 करोड़) तथा विज्ञापन और प्रचार (₹0.60 करोड़) (x) 'स्थापना व्यय (सचिवालय)' स्कीम के अंतर्गत डीजीएफटी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का उन्नयन (₹35.50 करोड़), चिकित्सा उपचार (₹0.70 करोड़), डीटीई (₹3 करोड़), ओई (₹5.50 करोड़), आरआरटी (₹1 करोड़), पीएस (₹0.80 करोड़) और ओआई (₹2 करोड़) (xi) 'समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)' स्कीम के अंतर्गत एससीएसपी के अंतर्गत सब्सिडियां (₹3.75 करोड़) और एसटीएसपी के अंतर्गत सब्सिडियां (₹1.02 करोड़) (xii) 'शुल्क वापसी' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹77 करोड़) और (xiii) 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अनुसंधान केंद्र' स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹14.74 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।</p> <p>(ख) स्थापना व्यय-स्कीम के अंतर्गत मुख्य कार्यों हेतु व्यय पूरा करने के लिए।</p>	<p>heads (₹63 crore) (viii) Subsidies under SCSP (₹3.75 crore) and Subsidies under SCTP (₹1.02 crore) under the Scheme 'Marine product Export Development Authority (MPEDA)', (ix) Subsidies (₹77 crore) under the scheme 'Duty Draw Back' and (x) Other Charges (₹14.74 crore) under the scheme 'Centre for Research on International Trade'.</p> <p>(b) For meeting expenditure towards Major Works under the scheme Establishment Expenditure.</p>	218.00	...	218.00
		...	65.00	65.00
11 उद्योग तथा संवर्धन विभाग	11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade			
<p>(क) (1) (i) 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों को केन्द्रीय और एकीकृत जीएसटी की वापसी' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹192 करोड़) तथा (ii) 'परिवहन/भाड़ा सब्सिडी स्कीम' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹30 करोड़) (2) 'पूर्वोत्तर संस्थानों को सहायता' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹6.05 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹2.85 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।</p> <p>(ख) (i) 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों को केन्द्रीय और एकीकृत जीएसटी की वापसी' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹208.49 करोड़) (ii) जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए पैकेज स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹20 करोड़) (iii) 'परिवहन/भाड़ा सब्सिडी स्कीम' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹19.57 करोड़) और (iv) 'पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹60 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।</p> <p>(ग) 'निधियों की निधि' स्कीम के अंतर्गत निवेश (₹165 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।</p>	<p>(a) For meeting expenditure towards 1. Subsidies under the schemes (i) 'Refund of Central and Integrated GST to Industrial Units in North Eastern Region and Himalayan states' (₹192 crore) and (ii) 'Transport/Freight Subsidy Scheme' (₹30 crore) 2. Grants-in-aid General (₹6.05 crore) & Grants-in-aid Salaries (₹2.85 crore) under the scheme 'Support to Autonomous Institutions'</p> <p>(b) For meeting expenditure towards Subsidies under the schemes (i) 'Refund of Central and Integrated GST to Industrial Units in North Eastern Region and Himalayan states' (₹208.49 crore) (ii) under the scheme 'Package for Special Category States for Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand' (₹20 crore) (iii) Transport/Freight Subsidy Scheme (₹19.57 crore) and (iv) 'North Eastern Industrial and Investment Promotion Policy' (₹60 crore).</p> <p>(c) For meeting expenditure towards Investment under the scheme Fund of Funds.</p>	192.00	...	192.00
		208.49	...	208.49
		...	165.00	165.00

रक्षा मंत्रालय**19 रक्षा सेवा (राजस्व)**

- (क) सेना के वेतन और भत्तों की भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए

MINISTRY OF DEFENCE**19 Defences Services (Revenue)**

- (a) For meeting additional expenditure towards payment of Pay and Allowances of Army.

1,500.00 ... 1,500.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) नौसेना के वेतन और भत्तों की भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए; और	(b) For meeting additional expenditure towards payment of Pay and Allowances of Navy.	300.00	...	300.00
(ग) वायुसेना के वेतन और भत्तों की भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards payment of Pay and Allowances of Air Force.	200.00	...	200.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
27 आर्थिक कार्य विभाग	27 Department of Economic Affairs			
अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी) को अभिदान (₹5.96 करोड़) (ii) यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (ईबीआरडी) को अभिदान (₹28 करोड़)।	For subscription to African Development Bank (AfDB) (₹5.96 crore) and to European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) (₹28 crore).	...	33.96	33.96
29 वित्तीय सेवाएं विभाग	29 Department of Financial Services			
(i) पुनर्पूँजीकरण बंधपत्रों को जारी करने के माध्यम से आईडीबीआई बैंक लि. में पूँजी निवेश (₹4557 करोड़)। और (ii) बीमा कंपनियों के पुनर्पूँजीकरण निधि की अतिरिक्त आवश्यकता (₹2500 करोड़) के लिए।	For (i) capital infusion in IDBI Bank Ltd. through issuance of recapitalization bonds (₹4557 crore) and (ii) an additional requirement of fund for recapitalization of Insurance Companies (₹2500 crore).	...	2,500.00	2,500.00
34 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	34 Indian Audit and Accounts Department			
वेतन और स्थापना पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Salary and establishment.	26.22	...	26.22
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
46 गृह मंत्रालय	46 Ministry of Home Affairs			
14वां वित्त आयोग पंचाट के स्थान पर जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान के लिए राजस्व घाटा अनुदान का हिस्सा (₹5892.50 करोड़ @ ₹1178.50 करोड़/माह) स्थानीय निकाय अनुदान (₹725 करोड़) और एसडीआरएफ (₹139.50 करोड़) और नवम्बर व दिसम्बर, 2019 के लिए करें से हुई निवल आय का राज्य हिस्सा (₹2063.62 करोड़)।	For Grant to Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh in lieu of J&K State share of 14th Finance Commission Award - share of Revenue deficit grant (₹5892.50 crore @ 1178.50 crore/month), local body grant (₹725 crore) and SDRF (₹139.50 crore) & State Share of net proceeds of taxes for month of November and December, 2019 (₹2063.62 crore).	8,820.62	...	8820.62
48 पुलिस	48 Police			
वेतन और राशन की लागत के लिए व्यय पूरा करने के लिए	For meeting expenditure towards Salaries and cost of Ration.	3,387.46	...	3387.46
50 चंडीगढ़	50 Chandigarh			
माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण भू-स्वामियों को वृद्धित क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards payment of enhanced compensation to the land owners on account of the decision of the Hon'ble Punjab and Haryana High Court.	...	60.00	60.00
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
65 भारत का उच्चतम न्यायालय	65 Supreme Court of India			
वेतन (₹17 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹3.58 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Salaries (₹17 crore) and Professional Services (₹3.58 crore).	20.58	...	20.58
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
75 योजना मंत्रालय	75 Ministry of Planning			
(i) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के फलस्वरूप देय बकाया भुगतान हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनोमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट (एनआईएल)	For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-Aid Salaries to National Institute of Labour Economics Research and Development (NILERD) (₹3.18 crore)			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
ईआरडी) को वेतन सहायता अनुदान (₹3.18 करोड़) (ii) 28 प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के मूल्यांकन तथा स्कीमों की निगरानी व मूल्यांकन को सुदृढ़ करने के लिए आउटपुट-आउटकम मानीटरिंग फ्रेमवर्क के लिए भारत की आकस्मिकता निधि में से आवंटित ₹26.50 करोड़ की अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	towards arrear due payment of 7th CPC implementation (ii) recoupment of advance of ₹26.50 crore drawn from Contingency Fund of India for the Evaluation of 28 Umbrella Centrally Sponsored Scheme and Output-Outcome Monitoring Framework to strengthen monitoring and evaluation of the schemes.	22.18	...	22.18
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT			
79 राज्य सभा पांचवीं संसदीय वेतन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण सदस्यों के लिए वेतन (₹3 करोड़) और सचिवालय (₹17 करोड़) पर हुए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	79 Rajya Sabha For meeting additional expenditure on Salaries for Members (₹3 crore) and Secretariat (₹17 crore) on account of implementation of the recommendations of the Fifth Parliamentary Pay Committee.	20.00	...	20.00
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
86 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (i) अन्तरविषयक साइबर भौतिक प्रणाली पर राष्ट्रीय मिशन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹350 करोड़)। (ii) अन्तरविषयक साइबर भौतिक प्रणाली पर राष्ट्रीय मिशन (₹150 करोड़) और अनुसंधान और विकास (राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन) (₹100 करोड़) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए। (iii) स्वायत्तशासी संस्थानों के लिए ₹20 करोड़ के वेतन सहायता अनुदान। (iv) इंजीनियरिंग अनुसन्धान बोर्ड के लिए अनुसूचित जनजाति उपयोजना के सामान्य सहायता अनुदान (₹6.50 करोड़)। (v) विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसन्धान बोर्ड के लिए अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान' (₹3.50 करोड़)। (vi) भारतीय सर्वेक्षण (निदेशन और प्रशासन के लिए मजदूरी (₹0.75 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹3.30 करोड़), किराया, दर व कर (₹1.50 करोड़), कार्यालय व्यय (₹5.50 करोड़), आपूर्ति और सामग्री (₹20.70 करोड़), भारतीय सर्वेक्षण (निदेशन और प्रशासन) के लिए व्यावसायिक सेवाएं (₹2.25 करोड़) के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए।	86 Department of Science and Technology For meeting additional expenditure towards (i) Grants- in- aid General (₹350 crore) for National Mission on Inter disciplinary Cyber physical System (ii) Grants for creation of capital Assets of 150 crore and ₹100 crore for National Mission on Inter disciplinary Cyber physical System and for Research and Development (National Super Computer Mission) respectively (iii) Grants-in-aid salary (₹20 crore) for Autonomous Institutions and Professional Bodies (iv) Grants-in-aid General (₹6.50 crore) of Scheduled Tribe Sub- Plan for Science and Engineering Research Board (v) Grants for creation of capital Assets (₹3.50 crore) for Scheduled Tribe Sub- Plan for Science and Engineering Research Board and (vi) wages (₹0.75 crore), Domestic Travel Expenses (₹3.30 crore), Rent, Rates & Taxes (₹1.50 crore), Office Expenses (₹5.50 crore), Supplies and Materials (₹20.70 crore), Professional Services (₹2.25 crore) for Survey of India (Direction and Administration).	20.00	...	20.00
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
93 अंतरिक्ष विभाग (क) (i) नई परियोजनाओं अर्थात् चंद्रयान-III (₹60 करोड़), एल्युमिनियम अयस्क टैंकेजिस-निवेश पूर्व का विकास और आपूर्ति (₹100 करोड़), जीसैट 12आर (₹76.46 करोड़) एवं जीसैट 20/24 लांच सेवाएं (₹501 करोड़) के	93 Department of Space (a) For meeting expenditure towards (i) Machinery & Equipments/Other Capital Expenditure of new Projects viz.Chandrayaan III (₹60 crore), Development and Supply of Aluminium			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
मशीनरी एवं उपस्कर/अन्य पूंजीगत व्यय तथा (ii) मशीनरी और उपस्कर के अंतर्गत मुख्य कार्यों/आवास तथा अन्य पूंजीगत व्यय के उप-शीर्षों नामतः विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (₹104.53 करोड़), पोलर उपग्रह लांच व्हीकल जारी परियोजना (₹50 करोड़), तरल प्रणोदन प्रणाली केन्द्र (₹114.45 करोड़), इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स प्रणाली के लिए प्रयोगशाला (₹1.72 करोड़), सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र (₹242.61 करोड़), इसरो टेलीमिटरि ट्रेकिंग एवं कमांड नेटवर्क (₹60.99 करोड़), नौपरिवहन उपग्रह प्रणाली (₹17.79 करोड़), इसरो प्रणोदन परिसर (₹79.01 करोड़), दूसरा व्हीकल असेंबली भवन का कार्यान्वयन (₹9.88 करोड़), मास्टर नियंत्रण सुविधा (₹23.33 करोड़), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय (₹15.29 करोड़), ठोस प्रणोदक अंतरिक्ष बूस्टर संयंत्र (₹92 करोड़), लघु उपग्रह लांच व्हीकल का विकास (₹11.97 करोड़), यूआर राव उपग्रह केन्द्र (₹273.86 करोड़), मानव अंतरिक्ष उड़ान केन्द्र (₹8.56 करोड़), अंतरिक्ष वस्तु ट्रेकिंग एवं विश्लेषण के लिए नेटवर्क (₹33.30 करोड़), एसएसएलवी के लिए लांच पैड (₹120 करोड़), अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (₹23.77 करोड़), भारतीय दूरस्थ संवेदी संस्थान (₹9.42 करोड़), भारतीय लूनर मिशन/चंद्रयान I और II (₹18.40 करोड़), जीसैट 20 उपग्रह (₹145.12 करोड़), जीएसएलवी जारी चरण-4 (₹17.76 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	Alloy Tankages - Pre-investment (₹100 crore), GSAT 12R (₹76.46 crore) & GSAT 20/24 Launch Services (₹501 crore) and (ii) Machinery & Equipments, Major Works/Housing & Other Capital Expenditure of Sub-Heads viz. Vikram Sarabhai Space Centre (₹104.53 crore), Polar Satellite Launch Vehicle Continuation Project (₹50 crore), Liquid Propulsion Systems Centre (₹114.45 crore), Laboratory for Electro Optics Systems (₹1.72 crore), Satish Dhawan Space Centre (₹242.61 crore), ISRO Telemetry Tracking and Command Network (₹60.99 crore), Navigation Satellite System (₹17.79 crore), ISRO Propulsion Complex (₹79.01 crore), Realization of Second Vehicle Assembly Building (₹9.88 crore), Master Control Facility (₹23.33 crore), Indian Space Research Organisation Headquarters (₹15.29 crore), Solid Propellant Space Booster Plant (₹92 crore), Development of Small Satellite Launch Vehicle (₹11.97 crore), UR Rao Satellite Centre (₹273.86 crore), Human Spaceflight Centre (₹8.56 crore), Network for Space Objects Tracking and Analysis (₹33.30 crore), Launch Pad for SSLV (₹120 crore), Space Applications Centre (₹23.77 crore), Indian Institute of Remote Sensing (₹9.42 crore), Indian Lunar Mission/Chandrayaan I&II (₹18.40 crore), GSAT 20 Satellite (₹145.12 crore), GSLV Continuation Phase-4 (₹17.76 crore).	...	666.00	666.00

जनजातीय कार्य मंत्रालय

98 जनजातीय कार्य मंत्रालय

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान (₹82.45 करोड़), मैट्रिक पूर्व स्कीम (₹125.51 करोड़), मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹645.01 करोड़) और जनजातीय अनुसंधान संस्थान (₹20 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए।

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

98 Ministry of Tribal Affairs

For Grants-in-aid General under the schemes Grants under Article 275 (1) of the Constitution (₹82.45 crore), Pre-Matric Scheme (₹125.51 crore), Post Matric Scholarship (₹645.01 crore) and Tribal Research Institutes (₹20 crore).

185.00

...

185.00

युवा मामले और खेल मंत्रालय

100 युवा मामले और खेल मंत्रालय

(i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹124.40 करोड़) (ii) विभान्न स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹183.13 करोड़) (iii) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹167.66

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

100 Ministry of Youth Affairs and Sports

For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹124.40 crore) under various schemes (ii) Grants-in-aid Salary (₹183.13 crore) under the various schemes (iii) Grants for Creation of Capital Assets (₹167.66

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
करोड़) (iv) राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि स्कीम के अंतर्गत अंशदान (₹7.15 करोड़) (v) युवा नेता कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार (₹5.50 करोड़) (vi) राष्ट्रीय सेवा स्कीम के अंतर्गत कार्यालय व्यय (₹1 करोड़) (vii) विशेष नकद पुरस्कार स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹12 करोड़) और मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन (₹10 करोड़), (viii) राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघ (₹14.28 करोड़) और खेलो इंडिया (₹2.87 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति घटक सामान्य सहायता अनुदान (ix) राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघ (₹8.27 करोड़) और खेलो इंडिया (₹4.54 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति घटक सामान्य सहायता अनुदान (x) खेलो इंडिया स्कीम के लिए अनुसूचित जाति घटक (₹13.49 करोड़) और अनुसूचित जनजाति घटक (₹9.17 करोड़) के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	crore) under the various schemes (iv) Contribution under the scheme National Sports Development Fund (₹7.15 crore) (v) Advertisement and Publicity under the scheme Young Leader Programme (₹5.50 crore) (vi) Office Expenses under the Scheme National Service Scheme (₹1 crore) (vii) Other Charges under the scheme Special Cash Award (₹12 crore) and Pension to Meritorious Sports Persons (₹10 crore) (viii) Grants-in-aid General SC Component under the schemes National Sports Federation (₹14.28 crore) and Khelo India (₹4.87 crore) (ix) Grants-in-aid General under ST Component under the schemes National Sports Federation (₹8.27 crore) and Khelo India (₹4.54 crore) (x) Grant for Creation of Capital Assets under SC Component (₹13.49 crore) and under ST Component (₹9.17 crore) for the scheme Khelo India.	225.00	...	225.00
कुल नकद व्यय	Total Cash Outgo	15,345.55	3,649.96	18,995.51

3. पूरक अनुदानों की मांगों के इस बैच में ₹2249.37 करोड़ के लिए तकनीकी पूरक अनुदानों/विनियोगों के लिए प्रस्ताव शामिल हैं, जिसे अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों या मंत्रालयों/विभागों की तदनुसूची बचतों द्वारा समतुल्य किया गया है। मदें निम्नानुसार हैं :

3. This batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹2249.37 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:

तकनीकी पूरक अनुदान

Technical Supplementary Demands for grants

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10 वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce			
दिल्ली के माननीय पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा लगाई गई शास्ति के भुगतान के लिए भारत की आकस्मिकता निधि में से आहरित अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति।	For recoupment of advance drawn from Contingency Fund of India for payment of penalty imposed by Hon'ble Patiala House Court of Delhi.	0.02	...	0.02
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	15 Department of Food and Public Distribution			
किराया, दर व कर के अंतर्गत बकाया विद्युत और जल प्रभारों के भुगतान के लिए।	For payment of outstanding electricity and water charges under Rent, Rates and Taxes.	0.01	...	0.01
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS			
16 कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	16 Ministry of Corporate Affairs			
(क) भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान के लिए कॉर्पोरेट आंकड़ा प्रबंधन (₹ 2 करोड़) और स्थापना संबंधी व्यय (₹ 6 करोड़) के लिए	(a) For meeting expenditure for Corporate Data Management (₹2 crore) and establishment related expenditure for			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
व्यय पूरा करने के लिए।	Indian Institute of Corporate Affairs (₹6 crore).	8.00	...	8.00
(ख) राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण के रिक्त पदों को भरने तथा भारतीय कॉर्पोरेट कानून सेवा अकादमी के विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure for filling up of vacant posts of National Financial Reporting Authority and for various training of Indian Corporate Law Service Academy.	4.85	...	4.85
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
22 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	22 Ministry of Development of North Eastern Region			
उत्तर पूर्व सड़क सेक्टर विकास स्कीम- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना घटक के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए।	For providing additional Grants for Creation of Capital Assets under North East Road Sector Development Scheme-Externally Aided Projects Component.	24.07	...	24.07
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
25 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	25 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
भारतीय जीव विज्ञान सर्वेक्षण (₹0.22 करोड़) और भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण (₹0.07 करोड़) के लिए मुख्य कार्यों हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Major works for Zoological Survey of India (₹0.22 crore) and for Botanical Survey of India (₹0.07 crore).	...	0.29	0.29
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
27 आर्थिक कार्य विभाग	27 Department of Economic Affairs			
(क) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीईआर) से बकाया ब्याज की माफी के लिए।	(a) For waiver of interest outstanding against National Council of Applied Economic Research (NCAER).	1.30	...	1.30
(ख) दक्षिण-दक्षिण अनुभव विनिमय न्यास निधि (एसईईटीएफ) और एशियाई विकास निधि के लिए अंशदान।	(b) For contribution to South-South Experience Exchange Trust Fund (SEETF) and to Asian Development Fund.	12.37	...	12.37
34 भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग	34 Indian Audit and Accounts Department			
वेतन और स्थापना हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Salary and establishment.	1.17	...	1.17
38 राज्यों को अंतरण	38 Transfers to States			
स्थानीय निकायों- ग्रामीण निकायों के लिए अनुदानों का अतिरिक्त आबंटन प्रदान करने के लिए।	For providing additional allocation Grants for Local bodies - Rural Bodies.	1,000.00	...	1,000.00
संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधानमंडल)	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
51 दादरा और नगर हवेली	51 Dadra and Nagar Haveli			
डोकमर्डी में भूमिगत पार्किंग और सरकारी कॉलेज के सभामंडप के जारी आंतरिक कार्य के लिए।	For ongoing works of underground parking at Dokmardi and Interior work of Auditorium at Government College.	...	5.00	5.00
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS			
56 आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	56 Ministry of Housing and Urban Affairs			
(i) पूंजी भाग में उपलब्ध निधियों में से ओएई, लघु कार्य, किराया, दर व कर (₹9.10 करोड़) के अंतर्गत राष्ट्रपति सचिवालय (ii) दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) कर्मचारियों की पेंशन स्कीम के लिए कॉर्पस सृजित करना (₹15.44	For (i) provisions of President Secretariat under OAE, Minor Works, Rent, Rate & Taxes (₹9.10 crore) from funds available under capital section. (ii) create a corpus for pension scheme of Delhi Urban Art			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
करोड़) (iii) भारत पर्यावास केन्द्र, नई दिल्ली को संपत्ति कर की छूट (₹0.48 करोड़) और (iv) एनसीआरटीसी (₹7.53 करोड़) के प्रावधानों के लिए।	Commission (DUAC) employees (₹15.44 crore), (iii) property tax to be remitted to India Habitat Centre, New Delhi (₹0.48 crore) and (iv) NCRTC (₹7.53 crore).	9.10	...	9.10
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
62 श्रम और रोजगार मंत्रालय ‘रोजगार संवर्धन स्कीम’ (₹2 करोड़) और ‘बेहतर सुलह, निवारक मध्यस्थता, श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन, मुख्य श्रम आयुक्त के लिए मशीनरी’ (₹6.90 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	62 Ministry of Labour and Employment For meeting expenditure towards Major Works under the Schemes ‘Employment Promotion Scheme’ (₹2 crore) and ‘Machinery for Better Conciliation, Preventive Mediation, Effective Enforcement of Labour Laws, Chief Labour Commissioner’ (₹6.90 crore).	...	5.10	5.10
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
64 निर्वाचन आयोग कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि के खरीद हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को भुगतान करने के लिए।	64 Election Commission For making payment to Delhi Development Authority towards purchase of land for construction of office building.	...	6.22	6.22
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
69 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अटल अक्षय ऊर्जा भवन के निर्माण के लिए कार्यालय भवन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	69 Ministry of New and Renewable Energy For meeting additional expenditure under Office Buildings for construction of Atal Akshay Urja Bhawan.	...	60.00	60.00
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
74 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय निर्धन परिवारों के लिए एलपीजी स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए।	74 Ministry of Petroleum and Natural Gas For providing additional funds under the scheme LPG for Poor Households.	1,000.00	...	1000.00
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
86 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (i) अंतरविषयक साइबर भौतिक प्रणाली पर राष्ट्रीय मिशन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹350 करोड़) (ii) अंतरविषयक साइबर भौतिक प्रणाली पर राष्ट्रीय मिशन और अनुसंधान और विकास (राष्ट्रीय सुपर कम्प्यूटर मिशन) के लिए क्रमशः ₹150 करोड़ और ₹100 करोड़ की पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान। (iii) स्वायत्त संस्थानों और व्यावसायिक निकायों के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹20 करोड़) (iv) विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड के लिए अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹6.50 करोड़) (v) विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड के लिए अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹3.50 करोड़) और (vi) भारत का सर्वेक्षण (निदेशन और प्रशासन) के लिए मजदूरी (₹0.75 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय	86 Department of Science and Technology For meeting additional expenditure towards (i) Grants- in- aid General (₹350 crore) for National Mission on Inter disciplinary Cyber physical System (ii) Grants for creation of capital Assets of ₹150 crore and ₹100 crore for National Mission on Inter disciplinary Cyber physical System and for Research and Development (National Super Computer Mission) respectively (iii) Grants- in-aid salary (₹20 crore) for Autonomous Institutions and Professional Bodies (iv) Grants-in-aid General (₹6.50 crore) of Scheduled Tribe Sub-Plan for Science and Engineering Research Board (v) Grants for creation of capital Assets (₹3.50 crore) for Scheduled Tribe Sub-Plan for Science and Engineering Research Board and (vi) wages (₹0.75 crore), ‘Domestic Travel			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(₹3.30 करोड़), किराया कर व दर (₹1.50 करोड़), कार्यालय व्यय (₹5.50 करोड़), आपूर्ति और सामग्री (₹20.70 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹2.25 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	Expenses (₹3.30 crore), Rent, Rates & Taxes (₹1.50 crore), Office Expenses (₹5.50 crore), Supplies and Materials (₹20.70 crore), Professional Services (₹2.25 crore) for Survey of India (Direction and Administration).	34.00	...	34.00
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
89 पोत परिवहन मंत्रालय	89 Ministry of Shipping			
(क) लघु पत्तनों के लिए प्रमुख कार्यों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹15.52 करोड़)	(a) For meeting additional expenditure towards 'Major Works' for Minor Ports (₹15.52 crore).	...	13.40	13.40
(ख) महानिदेशक (पोत परिवहन) के लिए 'कार्यालयी व्यय' के व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards 'Office Expenses' for Directorate General (Shipping).	...	9.47	9.47
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP			
90 कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	90 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship			
'प्रशिक्षुता का संवर्धन' योजना के अंतर्गत प्रमुख कार्यों और स्थापना के व्यय पूरा करने के लिए (₹67 करोड़)	For meeting expenditure towards Major Works under establishment and under the scheme 'Promotion of Apprenticeship' (₹67 crore).	...	50.00	50.00
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
99 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	99 Ministry of Women and Child Development			
राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण में एकिकृत शिक्षा) के प्रमुख कार्यों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Major Works for National Nutrition Mission (Integrated Education in Nutrition).	...	5.00	5.00
कुल तकनीकी	Total Technical	2,094.89	154.48	2,249.37

4. नीचे दिए गए मदों के संबंध में लिए जाने के लिए प्रत्येक 1 लाख रु. की पूरक अनुदान भी प्रस्तावित हैं, प्रासंगिक अनुदान का, जैसा भी मामला हो, इसके प्रति इंगित व्यय जिसे राजस्व अथवा पूंजी भाग के भीतर बचत के विनियोग द्वारा पूरा किया जाएगा।

4. Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

सांकेतिक पूरक अनुदान

Token Supplementary Demands for grants

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE			
1 कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare			
(क) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना हेतु कृषि विस्तार पर उप मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(a) For providing additional Grants-in-aid General under Sub-Mission on Agriculture Extension for Special Component Plan for Scheduled Castes.	10.00	...	10.00
(ख) सामान्य घटक (₹35.30 करोड़), अनुसूचित जाति (₹4 करोड़) तथा जनजाति क्षेत्र उपयोजना (₹5 करोड़) के लिए विशेष घटक	(b) For providing Grants-in-aid General under Integrated Scheme on Agriculture Cooperation for General Component			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
योजना, हेतु कृषि सहकारिता पर एकीकृत योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(₹35.30 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (₹4 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹5 crore).	44.30	...	44.30
(ग) किसान उत्पादक संगठन का गठन और संवर्धन स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(c) For providing Grants-in-aid General under the scheme Formation and Promotion of Farmers Producers Organizations.	30.00	...	30.00
(घ) 1. जनजाति क्षेत्र उपयोगना (₹5 करोड़) के अंतर्गत एनईआर के लिए जैविक मूल्य विकास योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान 2. योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) जनजाति क्षेत्र उपयोगना (₹14.85 करोड़) के अंतर्गत संपोषणीय कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन (ii) सामान्य घटक (₹21 करोड़) तथा जनजाति क्षेत्र उपयोगना (₹2 करोड़) के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना-अन्य फसलें (iii) जनजाति क्षेत्र उपयोगना के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (₹85 करोड़) तथा सामान्य घटक के लिए कृषि सहकारिता पर एकीकृत योजना (₹10 कोड़) तथा अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष घटक योजना (₹0.70 करोड़) तथा जनजाति क्षेत्र उपयोगना के लिए कृषि विस्तार पर उप मिशन (₹20 करोड़) प्रदान करने के लिए।	(d) For providing 1. Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Organic Value Chain Development for NER under Tribal Area Sub-Plan (₹5 crore) 2. Grants-in-aid General under the scheme (i) National Mission for Sustainable Agriculture under Tribal Area Sub-Plan (₹14.85 crore) (ii) National Food Security Mission- other Crops for General Component (₹21 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹2 crore) (iii) Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna for Tribal Area Sub-Plan (₹85 crore) and Integrated Scheme on Agriculture Cooperation for General Component (₹10 crore) and Special Component Plan for Scheduled Castes (₹0.70 crore) and Sub Mission on Agriculture Extension for Tribal Area Sub-Plan (₹20 crore).	158.55	...	158.55
(ङ.) सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के अंतर्गत (i) एकीकृत उद्यानिकी विकास के लिए मिशन के अंतर्गत सामान्य घटक (₹29 करोड़), अनुसूचित जाति उपयोगना (₹1 करोड़) तथा जनजाति उपयोगना (₹1 करोड़) तथा (ii) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोगना (₹2 करोड़) तथा जनजाति उपयोगना (₹3 करोड़)	(e) For providing Grants-in-aid General under (i) General Component (₹29 crore), Scheduled Caste Sub-Plan (₹1 crore) and Tribal Sub-Plan (₹1 crore) under Mission for Integrated Development of Horticulture and (ii) Scheduled Caste Sub-Plan (₹2 crore) and Tribal Sub-Plan (₹3 crore) under Rashtriya Krishi Vikas Yojna.	36.00	...	36.00
2. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान देने के लिए (i) पेंशनरों को सातवें वेतन मान के बकाए का भुगतान (₹300 करोड़) तथा (ii) आईसीएआर मुख्यालय (₹21.86 करोड़) तथा (iii) फानी तूफान से हुए नुकसान के मरम्मत कार्यों के लिए आईसीएआर को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹41.17 करोड़)।	For providing Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for (i) payment of 7th CPC arrears to pensioners (₹300 crore) and (ii) ICAR Headquarter (₹21.86 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets to ICAR for repair works of damages caused by Cyclone Fani (₹41.17 crore).	363.03	...	363.03
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
3. परमाणु ऊर्जा	3 Atomic Energy			
(क) (i) सहायता प्राप्त संस्थानों को वेतन अनुदान सहायता (₹334.88 करोड़) तथा परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी (एईईएस) (₹16 करोड़) तथा (ii) सहायता प्राप्त संस्थानों को (₹120 करोड़) की सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Grant in aid Salaries to Aided Institutes (₹334.88 crore) and to Atomic Energy Education Society (AEES) (₹16 crore) and (ii) Grant in aid General (₹120 crore) to Aided Institutes.	470.88	...	470.88

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि. (भाविनी) में निवेश की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional requirement towards investment for Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Ltd (BHAVINI).	...	40.00	40.00
(ग) (i) भारी जल उत्पादन सुविधा (एचडब्ल्यूबी) को (₹2.21 करोड़) की सामान्य सहायता अनुदान (ii) फ्यूल फैब्रिकेशन परियोजना (एनएफसी) के लिए मशीनरी एवं उपकरण (₹152.25 करोड़), विकिरण एवं समस्थानिक प्रौद्योगिकी बोर्ड (बीआरआईटी) के लिए (₹55.27 करोड़) तथा बैक एण्ड फ्यूल सहायता परियोजना (एनआरबी) के लिए (₹95.08 करोड़) तथा (iii) फ्यूल फैब्रिकेशन परियोजना (एनएफसी) के प्रमुख कार्य के लिए (₹137.38 करोड़), बैक एण्ड फ्यूल सहायता परियोजना (एनआरबी) (₹306.25 करोड़) तथा सामान्य सेवा संगठन (जीएसओ) के लिए (₹20.69 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards (i) Grant in aid General (₹2.21 crore) to Heavy Water Production Facility(HWB) (ii) Machinery and Equipment for Fuel Fabrication Projects (NFC) (₹152.25 crore), for Board of Radiation and Isotope Technology(BRIT) (₹55.27 crore) and for Back End Fuel Cycle Projects (NRB) (₹95.08 crore) and (iii) Major Works for Fuel Fabrication Projects (NFC) (₹137.38 crore), for Back End Fuel Cycle Projects(NRB)(₹306.25 crore) and for General Service Organisation (GSO) (₹20.69 crore).	...	769.13	769.13
(घ) (i) डीआई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए मशीनरी और उपस्कर (₹25.53 करोड़) और (ii) लेजर (आरआरसीएटी) (₹5.86 करोड़) के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी हेतु डीआई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं (₹55.89 करोड़) के लिए सामान्य सेवा संगठन (जीएसओ) के लिए मुख्य कार्य (₹20.69 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure towards (i) Machinery and Equipment for DAE R&D Projects (₹25.53 crore) and (ii) Major Works for General Service Organisation (GSO) (₹20.69 crore), for DAE R&D Projects (₹55.89 crore), for Advance Technology for LASER (RRCAT) (₹5.86 crore).	...	107.97	107.97
आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)			
4 आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	4 Ministry of Ayurveda, Yoga And Naturopathy, Unani, Siddha And Homoeopathy (AYUSH)			
(क) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹8.60 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹17.89 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹8.60 crore) and Grants-in-aid Salary (₹17.89 crore) under various schemes.	26.49	...	26.49
(ख) संस्थान के निर्माण संबंधी कार्यकलापों को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹0.98 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹2.50 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹0.98 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹2.50 crore) under the scheme the scheme, North-Eastern Institute of Ayurveda & Homoeopathy, Shillong for meeting the construction activities under the institute.	3.48	...	3.48
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
8. नागर विमानन मंत्रालय	8 Ministry of Civil Aviation			
क्षेत्रीय संपर्क स्कीम के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के अनुदान (₹200 करोड़) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी को सामान्य सहायता अनुदान (₹3.70 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets (₹200 crore) to Airport Authority of India under Regional Connectivity Scheme and Grants-in-aid General (₹3.70 crore) to Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi.	203.70	...	203.70

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10. वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce			
(क) स्थापना संबंधी व्यय के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure under Establishment related Expenditure.	29.60	...	29.60
(ख) (i) 'काजू निर्यात संवर्धन परिषद' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹2 करोड़) (ii) 'चाय बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹8.50 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹8 करोड़) और सब्सिडियां (₹21.14 करोड़) (iii) 'कॉफी बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹4.29 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹39.71 करोड़) और सब्सिडियां (₹4 करोड़) (iv) 'रबड़ बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹21 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹1 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹50 करोड़) और (v) 'मसाला बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹4 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹7 करोड़) और सब्सिडियां (₹2 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-Aid General (₹2 crore) under the scheme 'Cashew Export Promotion Council', (ii) Grants-in-aid General (₹8.50 crore), Grants-in-aid Salary (₹8 crore) and Subsidies (₹21.14 crore) under the scheme 'Tea Board', (iii) Grants-in-aid Salary (₹39.71 crore), Grants-in-aid General (₹4.29 crore) and Subsidies (₹4 crore) under the scheme 'Coffee Board', (iv) Grants-in-aid General (₹21 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹1 crore) and Grants-in-aid Salary (₹50 crore) under the scheme 'Rubber Board' and (v) Grants-in-aid General (₹4 crore), Grants-in-aid Salary (₹7 crore) and Subsidies (₹2 crore) under the scheme 'Spices Board'.	172.64	...	172.64
(ग) 'चाय बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme 'Tea Board'.	10.00	...	10.00
11. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade			
(i) स्वायत्त संस्थानों सहायता स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹20.16 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹19.08 करोड़) तथा (ii) क्रेडिट गारंटी निधि स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹10 करोड़) (iii) वेतन सहायता अनुदान और (₹5.15 करोड़) और (iv) 'स्वायत्त निकायों को सहायता' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹3.78 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid Salary (₹20.16 crore) and Grants-in-aid General (₹19.08 crore) under the scheme Support to Autonomous Institutions (ii) Grants-in-aid General (₹10 crore) under the scheme Credit Guarantee Fund (iii) Grants-in-aid Salary (₹5.15 crore) and (iv) Grant-in-aid General (₹3.78 crore) under the scheme 'Assistance to Autonomous bodies'.	58.16	...	58.16
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
14 उपभोक्ता मामले विभाग	14 Department of Consumer Affairs			
(i) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को वेतन (₹0.40 करोड़) और प्रशासनिक व्यय (₹0.60 करोड़) तथा (ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामान्य सहायता अनुदान (₹5 करोड़)।	For meeting expenditure towards (i) Salary (₹0.40 crore) and Administrative Expenses (₹0.60 crore) to Central Consumer Protection Authority and (ii) Grants-in-aid General to States/UTs (₹5 crore).	6.00	...	6.00
15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	15 Department of Food and Public Distribution			
(क) 1. (i) 40 एलएमटी चीनी के बफर स्टॉक (₹100 करोड़), चीनी के बफर स्टॉक (₹100 करोड़), के सृजन और अनुष्ण के लिए तथा (ii) 2019-20 मौसम के लिए चीनी मिलों (₹100 करोड़), और 2018-19 मौसम के लिए चीनी मिलों को सहायता (₹1000 करोड़) और (iii) निर्यातों पर आंतरिक	(a) For 1. Subsidies (i) for creation and maintenance of buffer stock of 40 LMT sugar (₹100 crore), of buffer stock of sugar (₹100 crore) and (ii) for assistance to Sugar Mills for 2019-20 season (₹100 crore) and to Sugar Mills for 2018-2019 season (₹1000 crore) and			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
परिवहन, भाड़ा, हेण्डलिंग और अन्य प्रभारों के लिए चीनी मिलों को व्यय चुकाने के लिए (₹50 करोड़) हेतु सब्सिडियां 2. भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण को सामान्य सहायता अनुदान (₹4.85 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹0.30 करोड़) के लिए।	(iii) to sugar mills for defraying expenditure towards internal transport, freight, handling and other charges on exports (₹50 crore) 2.Grants-in-aid General (₹4.85 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹0.30 crore) to Warehousing Development and Regulatory Authority.	1,355.15	...	1,355.15
(ख) राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर द्वारा मशीनरी और उपकरण के अंतर्गत प्रयोगशाला उपकरणों की अधिप्राप्ति।	(b) For procurement of laboratory equipment under Machinery and Equipment by National Sugar Institute, Kanpur.	...	1.00	1.00
(ग) जलहीन एल्कोहल अथवा एल्कोहल से इथेनॉल के उत्पादन के लिए चीनी फैक्ट्रियों को ऋण।	(c) For loan to sugar factories for production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol.	...	75.00	75.00

संस्कृति मंत्रालय

17 संस्कृति मंत्रालय

- (क) (i) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (₹5 करोड़), कला संस्कृति विकास योजना (₹2 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत और राष्ट्रीय सांस्कृतिक दृश्य-श्रव्य अभिलेखागार स्कीम के लिए पुस्तकालयों एवं अभिलेखागारों का विकास (₹14.35 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान, और (ii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹0.10 करोड़)।

- (ख) कला संस्कृति विकास योजना (₹15 करोड़) और सांस्कृतिक सम्पदा के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (₹1 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत मुख्य कार्य हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

MINISTRY OF CULTURE

17 Ministry of Culture

- (a) For meeting additional expenditure in (i) Grants-in-aid General under the schemes Archaeological Survey of India (₹5 crore), Kala Sanskriti Vikas Yojana (₹2 crore) and Development of Libraries & Archives for the scheme National Cultural Audiovisual Archives (₹14.35 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Archaeological Survey of India (₹0.10 crore).
- (b) For meeting additional expenditure towards Major Works under the schemes Kala Sanskriti Vikas Yojana (₹15 crore) and National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (₹1 crore).

21.45	...	21.45
...	16.00	16.00

रक्षा मंत्रालय

20 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

- सेना के लिए 'वायुयान और वायु इंजन' (₹1000 करोड़) और नौसेना के लिए नौसेना बेड़ा (₹1250 करोड़) के कारण अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

MINISTRY OF DEFENCE

20 Capital Outlay on Defence Services

- For meeting additional expenditure on account of Aircraft and Aeroengines (₹1000 crore) for Army and Naval Fleet (₹ 1250 crore) for Navy.

...	2,250.00	2,250.00
-----	----------	----------

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

22 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

- (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद की स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र समुदाय संसाधन प्रबंधन परियोजना के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹2.71 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹4 करोड़)।

- (ख) पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए संसाधनों के केन्द्रीय पूल स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त आबंटन प्रदान करने के लिए।

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

22 Ministry of Development of North Eastern Region

- (a) For providing additional expenditure towards Grants-in-aid General (₹2.71 crore) and Grants for Cration of Capital Assets (₹4 crore) for North Eastern Region Community Resource Management project under the scheme North Eastern Council.
- (b) For providing additional allocation under the scheme Central Pool of Resources for North East and Sikkim.

6.71	...	6.71
...	55.93	55.93

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
23 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	23 Ministry of Earth Sciences			
माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (शिमला) के निर्णय के अनुपालनार्थ 'वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग ऑब्जरविंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज' (एसीआरओएसएस) स्कीम के अंतर्गत मुख्य कार्य हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For providing additional expenditure towards Major Works under the scheme Atmosphere & Climate Research-Modelling Observing Systems & Services (ACROSS) as per the decision of Hon'ble High Court of Himachal Pradesh (Shimla).	...	28.00	28.00
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
24 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	24 Ministry of Electronics and Information Technology			
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 'इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन' (₹34.80 करोड़) और 'राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क' (₹75 करोड़) के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-Aid General in respect of "Electronic Governance" (₹34.80 crore) and "National Knowledge Network" (₹75 crore) for development of North Eastern Region.	109.80	...	109.80
(ख) अनुसूचित जाति घटक (₹10 करोड़) से सम्मिलित 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (₹34.80 करोड़) के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-Aid General in respect of "Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan" (₹34.80 crore) comprising Scheduled Caste Component (₹10 crore).	34.80	...	34.80
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
25 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	25 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
(क) 1. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹4.07 करोड़) 2. भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹92.76 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹7.54 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹32.62 करोड़) 3. भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹0.40 करोड़) 4. (i) भारतीय वन्यजीव संस्थान (₹10 करोड़) (ii) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (₹1.70 करोड़) (iii) वन्यजीव पर्यावास विकास (₹5 करोड़) और (iv) ग्रीन इंडिया मिशन- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (₹2.51 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान 5. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹2.25 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹0.20 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards 1. Grants for creation of capital assets (₹4.07 crore) for Indian Institute of Forest Management 2. Grants-in-aid-Salaries (₹92.76 crore), Grants-in-aid-General (₹7.54 crore) and Grants for creation of capital assets (₹32.62 crore) for Indian Council of Forestry Research and Education 3. Grants-in-aid-General (₹1 crore) and Grants-in-aid-Salaries (₹0.40 crore) for Indian Plywood Industries Research and Training Institute 4. Grants-in-aid General for (i) Wildlife Institute of India (₹10 crore) (ii) National Tiger Conservation Authority (₹1.70 crore) (iii) Development of Wildlife Habitats (₹5 crore) and (iv) Green India Mission-National Afforestation Programme (₹2.51 crore) 5. Grants-in-aid-General (₹2.25 crore) and Grants-in-aid-Salaries (₹0.20 crore) for Central Zoo Authority.	160.05	...	160.05
(ख) (i) प्रदूषण रोकने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹0.76 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹0.74 करोड़) तथा (ii) पर्यावरणीय सूचना प्रणाली	(b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid-General (₹0.76 crore) and Grants for creation of capital assets (₹0.74 crore) for Pollution Abatement and (ii)			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹0.50 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	Grants-in-aid-General (₹0.50 crore) for Environmental Information System.	2.00	...	2.00
(ग) 1. (i) खतरनाक पदार्थ प्रबंधन (₹0.25 करोड़) (ii) सामान्य घटक (₹27 करोड़) और टीएसपी घटक (₹3 करोड़) के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण (iii) ईएपी घटक के अंतर्गत राष्ट्रीय तटीय मिशन (₹60 करोड़) (iv) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (₹0.13 करोड़) (v) प्रदूषण नियंत्रण (₹39.57 करोड़) तथा (vi) जैव विविधता संरक्षण (₹6.50 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान 2. प्रदूषण रोकने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹1.73 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹9.56 करोड़) 3. जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹2.50 करोड़) 4. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹19.49 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹3 करोड़) 5. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को सामान्य सहायता अनुदान (₹9 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹0.50 करोड़) तथा 6. उत्कृष्टता केन्द्र के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹1.04 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid-General for (i) Hazardous Substance Management (₹0.25 crore) (ii) Environment Education, Awareness and Training' under general component (₹27 crore) and under TSP component (₹3 crore) (iii) National Coastal Mission under EAP component (₹60 crore) (iv) National Green Tribunal (₹0.13 crore) (v) Control Pollution (₹39.57 crore) and (vi) Biodiversity conservation (₹6.50 crore) 2. Grants-in-aid-General (₹1.73 crore) and Grants for creation of capital assets (₹9.56 crore) for Pollution Abatement 3. Grants for creation of capital assets (₹2.50 crore) for GB Pant Himalayan Institute of Environment and Development 4. Grants-in-aid General (₹19.49 crore) and Grants for creation of capital assets (₹3 crore) for Central Pollution Control Board 5. Grants-in-aid General (₹9 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹0.50 crore) to National Biodiversity Authority and 6. Grants-in-aid Salaries (₹1.04 crore) for Centre of Excellence.	183.27	...	183.27
(घ) भारतीय वन सर्वेक्षण के लिए मुख्य कार्यों हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(d) For meeting expenditure towards Major Works for Forest Survey of India.	...	0.13	0.13
(ङ) राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के लिए मुख्य कार्यों हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(e) For meeting expenditure towards Major Works for National Museum of Natural History.	...	2.00	2.00

विदेश मंत्रालय

26 विदेश मंत्रालय

- (क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के संबंध में वेतन सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।
- (ख) मालदीव सरकार को ऋण (₹0.45 करोड़) भूटान-मंगदेचू पनबिजली परियोजना (₹44.63 करोड़), भूटान-पुनतसांगछू-II पनबिजली परियोजना (₹106.19 करोड़) और भूटान-अन्य परियोजनाएं (₹30.28 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

26 Ministry of External Affairs

- (a) For meeting expenditure towards Grants-in-Aid Salary in respect of Indian Council for Cultural Relations.
- (b) For meeting expenditure towards Loans to Government of Maldives (₹0.45 crore), Bhutan - Mangedechhu Hydroelectric Project (₹44.63 crore), Bhutan - Punatsangchhu-II Hydroelectric Project ₹106.19 crore) and Bhutan - Other Projects (₹30.28 crore).

वित्त मंत्रालय

27 आर्थिक कार्य विभाग

- (क) जी-20 भारत अध्यक्षता 2022, सेवा की नई लिखत को व्यावसायिक सेवाएं (₹0.15 करोड़) और कार्यालय व्यय (आईटी) (₹30 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।
- (ख) आईसीएचए, सेवा की नई लिखत हेतु भुगतान।

MINISTRY OF FINANCE

27 Department of Economic Affairs

- (a) For meeting expenditure towards Professional Services (₹0.15 crore) and Office Expenses (IT) (₹0.30 crore) to G-20 India Presidency 2022.
- (b) For payment towards International Corruption Hunters Alliance (ICHA).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ग) सस्ते और मध्यम आय वर्ग के आवास के लिए विशेष विंडो का सृजन।	(c) For creation of a special window for affordable and middle-income housing.	...	1,000.00	1,000.00
32. प्रत्यक्ष कर	32 Direct Taxes			
(क) भूमि की खरीद और तिरपुर, कोयम्बटूर में आयकर कार्यालय और स्टॉफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए।	(a) For purchase of land and construction of Income Tax Office and staff quarters at Tirupur and Coimbatore.	...	11.01	11.01
(ख) आय कर भवन परिसर, नुंगमबक्कम, चेन्नई में आयकर विभाग के लिए आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए।	(b) For construction of residential quarter for Income Tax Department at Aaykar Bhawan Complex, Nungambakkam, Chennai.	...	27.16	27.16
33 अप्रत्यक्ष कर	33 Indirect Taxes			
(क) (i) चंडीगढ़ में भूमि का अधिग्रहण (₹1.57 करोड़) (ii) राजस्व आसूचना महानिदेशालय का कार्यालय, लखनऊ के लिए भूमि का अधिग्रहण (₹25 करोड़) (iii) सीजीएसटी, उज्जैन के लिए भूमि का अधिग्रहण (₹10.68 करोड़) (iv) क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय सीमा-शुल्क, अप्रत्यक्ष कर तथा स्वापक, अट्टापुर, हैदराबाद का निर्माण (₹12 करोड़) (v) जामनगर, गुजरात में कार्यालय भवन का निर्माण (₹5 करोड़) (vi) अगरतला, त्रिपुरा में कार्यालय भवन का निर्माण (₹3 करोड़) और (vii) सीजीएसटी, जोधपुर, राजस्थान के लिए परिसर की आयोजना तथा कार्यालय-सह-आवासीय परिसर का अभिकल्प के लिए व्यापक परामर्शदात्री सेवा (₹1.02 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure for (i) acquisition of land at Chandigarh (₹1.57 crore) (ii) acquisition of land for office of Directorate General of Revenue Intelligence, Lucknow (₹25 crore) (iii) acquisition of land for CGST, Ujjain (₹10.68 crore) (iv) construction of Regional Training Institute, National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, Attapur, Hyderabad (₹12 crore) (v) construction of office building at Jamnagar, Gujarat (₹5 crore) (vi) construction of office building at Agartala, Tripura (₹3 crore) and (vii) Comprehensive consultancy service for planning of campus and design of office-cum-residential campus for CGST, Jodhpur, Rajasthan (₹1.02 crore).	...	58.27	58.27
(ख) द्वारका, दिल्ली (₹12 करोड़), अन्ना नगर, चेन्नई (₹15 करोड़) तथा खारगढ़, नवी मुंबई (₹10 करोड़) में आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure for construction of residential quarters at Dwarka, Delhi (₹12 crore), Anna Nagar, Chennai (₹15 crore) and Kharghar, Navi Mumbai (₹10 crore).	...	37.00	37.00
38 राज्यों को अंतरण	38 Transfers to States			
राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) के अंतर्गत राज्य सरकारों को आपदा राहत के लिए अतिरिक्त आबंटन प्रदान करना।	For providing additional allocation for disaster relief to State Governments under National Disaster Relief Fund (NDRF).	10,000.00	...	10,000.00
मत्स्य पालन, पशु पालन और डेरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING			
40 मत्स्य पालन, पशु पालन और डेरी कार्य विभाग	40 Department of Animal Husbandry and Dairying			
(क) खुर एवं मुख रोग तथा ब्रुसेल्लोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Advertisement & Publicity under the scheme National Animal Disease Control Programme for Foot and Mouth Disease and Brucellosis.	0.10	...	0.10
(ख) राष्ट्रीय पशुधन मिशन स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान जारी करने के लिए।	(b) For release of Grants-in-aid General under the scheme National Livestock Mission.	60.12	...	60.12
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
41 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	41 Ministry of Food Processing Industries			
भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, तंजावुर को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets to Indian Institute of Food Processing Technology, Thanjavur.	45.50	...	45.50

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
42 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	42 Department of Health and Family Welfare			
(क) सीजीएचएस पेंशन भोगियों के चिकित्सीय उपचार हेतु निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता के लिए (पीओआरबी)।	(a) For additional requirement of fund for medical treatment of CGHS Pensioners (PORB).	1,136.10	...	1,136.10
(ख) (i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹451.83 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹353.17 करोड़) (ii) वेतन सहायता अनुदान (₹641.54 करोड़) और (iii) निम्नलिखित स्कीमों/कार्यक्रमों/संस्थानों/संगठनों के अंतर्गत व्यय की अन्य मदें : डॉ. आर.एम.एल. हस्पताल, नई दिल्ली - अन्य प्रभार - ₹23.58 करोड़ - होस्मैक परियोजना प्रा. लि. के विवाचन मामले में ब्याज के साथ पंचाट की लागत पूरी करने (₹17.46 करोड़) तथा झुग्गी वासियों के पुनर्वास/पुनर्स्थापन के लिए डीयूएसआईबी को ₹6.12 करोड़ का भी भुगतान करने हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards (i) Grants in aid General (₹451.83 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹353.17 crore) (ii) Grants in aid Salaries (₹641.54 crore) under various schemes and (iii) other items of expenditure under following schemes/programmes/Institutions/Organisations: Dr. RML Hospital, New Delhi - Other Charges – ₹23.58 crore - To meet cost of award with interest (₹17.46 crore) in the Arbitration Case in the matter of HOSMAC Project India Pvt. Ltd. and also payment of ₹6.12 crore to DUSIB for rehabilitation/relocation of Jhuggi Dwellers.	1,470.12	...	1,470.12
(ग) (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹56.84 करोड़) (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान, एनआईएचएफडब्ल्यू, नई दिल्ली (₹1.17 करोड़) (iii) निम्नलिखित संस्थानों के तहत वेतन सहायता अनुदान - अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई - (₹2.77 करोड़) 2. एनआईएच एफडब्ल्यू, नई दिल्ली (₹0.04 करोड़) (iv) निम्नलिखित स्कीमों/कार्यक्रमों/संस्थानों/संगठनों के संबंध में व्यय की अन्य मदें : जनसंख्या स्थिरता कोष (₹23 करोड़), संघ राज्य क्षेत्रों - बिना विधानमंडल को वित्तीय सहायता, जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास योजना (₹1.39 करोड़) - अन्य प्रभार, व्यावसायिक सेवाओं के लिए डब्ल्यू.एच.ओ. समर्थित राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना (₹29 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards (i) Grants in aid General (₹56.84 crore) (ii) Grants for creation of Capital Assets NIHFV, New Delhi (₹1.17 crore) (iii) Grants in aid Salaries under the following Institutions International Institute for Population Sciences, Mumbai – (₹2.77 crore) 2. NIHFV, New Delhi (₹0.04 crore) (iv) other items of expenditure in respect of following schemes/programmes/Institutions/Organisations: Jansankhya Sthirata Kosh (₹23 crore), Financial Assistance to U.Ts. Without legislature - Prime Minister's Development Plan for J&K – (₹1.39 crore) - Other Charges, WHO Supported National Polio Surveillance Project (₹29 crore) for Professional Services.	114.21	...	114.21
(घ) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹241.37 करोड़), निम्नलिखित संस्थानों के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान:- 1. एनआईजी आरआई एचएमएस, शिलांग (₹207.43 करोड़) 2. आरआईएमएस, इम्फाल (₹15.72 करोड़) 3. आरआईपीएनएस, आइजोल (₹5.50 करोड़) तथा निम्नलिखित संस्थानों के लिए वेतन सहायता अनुदान : 1. एनआईजीआरआई एचएमएस, शिलांग (₹12 करोड़) 2. आरआई एमएस, इम्फाल (₹9.66 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(d) For additional towards Grants in aid General (₹241.37 crore) under various schemes, Grants for creation of Capital Assets under the following Institutions:- 1. NEIGRIHMS, Shillong (₹207.43 crore) 2. RIMS, Imphal (₹15.72 crore) 3. RIPANS, Aizawl (₹5.50 crore) and Grants in aid Salaries under the following Institutions:- 1. NEIGRIHMS, Shillong (₹12 crore). 2. RIMS, Imphal (₹9.66 crore).	491.68	...	491.68
(ङ) निम्नलिखित संस्थानों के तहत सामान्य सहायता अनुदान 1. संचारी रोगों के लिए फ्लेक्सिबल पूल (ईएसी) (₹248.60 करोड़)	(e) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under Institutions: 1. Flexible Pool for			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
और 2. नेमी टीकाकरण, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन कमी विकार नियंत्रण कार्यक्रम (ईएसी) (₹571.22 करोड़) सहित आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	Communicable Diseases (EAC) (₹248.60 crore) and 2. RCH Flexible Pool including Routine Immunization Programme, Pulse Polio Immunization Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme (EAC) (₹571.22 crore)	819.82	...	819.82
(च) निम्नलिखित संस्थानों के तहत सामान्य सहायता अनुदान: 1. संचारी रोगों के लिए फ्लेक्सिबल पूल (ईएसी) (₹0.92 करोड़) और 2. नेमी टीकाकरण कार्यक्रम सहित आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन कमी विकार नियंत्रण (ईएसी) (₹1.41 करोड़) और 3. जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास योजना - (₹61.95 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(f) For additional expenditure towards Grant in Aid General under the following Institutions;- 1. Flexible Pool for Communicable Diseases (EAC) (₹0.92 crore) 2. RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunization Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control EAC (₹1.41 crore) and 3. Prime Minister's Development Plan for J&K - (₹61.95 crore).	64.28	...	64.28
(छ) अन्य संविदात्मक सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(g) For meeting additional requirement under the Schemes/Programmes under the head Other Contractual Services.	608.00	...	608.00
(ज) निम्नलिखित स्कीमों/कार्यक्रमों/संस्थानों आदि के अंतर्गत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय पूरा करने के लिए:- 1. औषधालयों/हस्पतालों की स्थापना (₹5.13 करोड़), 2. प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना - (₹163 करोड़) - एम.ई. 3. डॉ. आर.एम.एल. हस्पताल, नई दिल्ली (₹29 करोड़) 4. सफदरजंग हस्पताल, नई दिल्ली (₹38 करोड़) 5. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती एस.के. हस्पताल, नई दिल्ली - (₹28.23 करोड़), 6. सीआईपी, रांची (₹8 करोड़) मुख्य कार्यों के लिए, 7. डब्ल्यू.एच.ओ.-एसईएआरओ भवन का पुनर्निर्माण (₹85 करोड़) मुख्य कार्यों के लिए, 8. राष्ट्रीय तपेदिक संस्थान, बेंगलोर - (₹0.44 करोड़) मोटर वाहनों के लिए। 9. केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - (₹0.05 करोड़) मोटर वाहन के लिए, 10. क्षेत्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर - (₹1.40 करोड़) 11. क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - (₹0.10 करोड़) मुख्य कार्यों के लिए, 12. केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - (₹0.52 करोड़), 13. पत्तन स्वास्थ्य प्राधिकरण - (₹0.5 करोड़) 14. एनसीडीसी शाखाओं की स्थापना व सुदृढीकरण तथा स्वास्थ्य पहलें - (₹8.71 करोड़) और 15. कूलरों और अन्य मदों की अधिप्राप्ति के लिए मशीनरी और उपस्कर के अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम - (₹72.02 करोड़)।	(h) For meeting additional capital expenditure of the following Schemes/Programmes/Institutions etc.: 1. Setting up of Dispensaries and / Hospitals (₹5.13 crore) 2. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana - (₹163 crore) 3. Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi (₹29 crore) 4. Safdarjung Hospital, New Delhi (₹38 Crore) 5. Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital, New Delhi - (₹28.23 crore) 6. CIP, Ranchi (₹8 crore) 7. Reconstruction of WHO - SEARO Building, (₹85 crore) 8. National TB Institute, Bangalore (₹0.44 crore) 9. Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu (₹0.05 crore) 10. Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur (₹1.40 crore) 11. Regional Leprosy Training and Research Institute, Gauripur (₹0.10 crore) for Major Works 12. Central Research Institute, Kasauli (₹0.52 crore) 13. Port Health Authority (₹0.05 crore) 14. Establishment and Strengthening of NCDC Branches and Health Initiatives - (₹8.71 Crore) and 15 National AIDS & STD Control Programme (₹72.02 crore) under Machinery & Equipment for procurement of work in coolers & Other items.	...	439.65	439.65

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(झ) निम्नलिखित स्कीमों/कार्यक्रमों/संस्थानों आदि के अंतर्गत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय पूरा करने के लिए:- 1. सफदरजंग हस्पताल, नई दिल्ली (₹10 करोड़) मुख्य कार्यों के लिए, 2. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्री एस.के. हस्पताल, नई दिल्ली - (₹1 करोड़) और 3. सीआईपी, रांची (₹10 करोड़)।	(i) For meeting additional capital expenditure under the following Schemes/Programmes/ Institutions etc.:- 1. Safdarjung Hospital, New Delhi (₹10 crore) 2. Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital, New Delhi - (₹1 crore) and 3. CIP, Ranchi (₹10 crore).	...	21.00	21.00
43. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम के तहत भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेला, 2019 में भागीदारी हेतु भुगतान के लिए सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरी करने हेतु।	43 Department of Health Research For meeting additional requirement towards Grants-in-aid General for payment for participation in India International Science Fair, 2019 under the scheme International Cooperation.	5.00	...	5.00
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
44. भारी उद्योग विभाग आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के निर्णय के अनुसार नेपा लि. को अपने कर्मचारियों के वेतन/सांविधिक देयताओं तथा अन्य सरकारी देयताओं का भुगतान करने के लिए जारी इक्विटी का ऋण में रूपान्तरण के लिए।	44 Department of Heavy Industry For conversion of equity released to Nepa Limited for payment of salary/statutory dues and other govt. dues to its employees into loan as per CCEA decision.	...	38.26	38.26
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
46. गृह मंत्रालय (क) एन.आई.-विदेशी यात्रा व्यय हेतु अन्य गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) प्राधिकरण। (ख) धार्मिक स्थानों; मंदिरों आदि के संरक्षण और अयोध्या के रखरखाव हेतु अन्य प्रभार।	46 Ministry of Home Affairs (a) For Other Unlawful Activities (Prevention) Tribunal for National Integration. (b) For Other Charges for upkeep of Shrines, Temples etc. Protection and upkeep of Ayodhya.	1.39 20.40	1.39 20.40
47. मंत्रिमंडल (i) मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय हेतु सिनर्जी परियोजनाओं के लिए और (ii) साइबर सुरक्षा (आर एंड डी) व अन्य प्रभार (₹13.59 करोड़) हेतु पूंजीगत आस्तियों (₹10 करोड़) के सृजन हेतु अनुदान के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	47 Cabinet For meeting expenditure towards (i) Grants for Creation of Capital Assets (₹10 crore) for O/o Principal Scientific Adviser for Synergy Projects and (ii) Cyber Security (R&D) and Other Charges (₹13.59 crore).	23.59	...	23.59
48. पुलिस (क) महिला सहायता डेस्क सहित मानव-तस्करी विरोधी एकक हेतु। एसआरई सहित सामान्य सहायता अनुदान। (ख) महिला सहायता डेस्क सहित मानव-तस्करी विरोधी एकक हेतु। एसआरई सहित सामान्य सहायता अनुदान। (ग) सीमा अवसरचना प्रबंधन (₹398 करोड़) हेतु मुख्य कार्य और कार्यालय परिसर (₹6.77 करोड़) की दिल्ली पुलिस के तहत महिलाओं की सुरक्षा (निर्भया निधि) हेतु व्यय पूरा करने हेतु।	48 Police (a) For providing Grants-in-aid General to states towards Anti-Human Trafficking Unit including Women Help Desks. (b) For providing Grants-in-aid to UTs towards Anti-Human Trafficking Unit including Women Help Desks. (c) For meeting expenditure towards Major Works for Border Infrastructure Management (₹398 crore) and for Safety of Women under Delhi Police (Nirbhaya Fund Scheme) Office Building (₹6.77 crore).	184.00 5.00 404.77	184.00 5.00 404.77
49. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (क) राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (₹8.40 करोड़) और आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई (₹9.60 करोड़) के तहत स्थापना संबंधी व्यय पूरा करने हेतु।	49 Andaman and Nicobar Islands (a) For meeting establishment related expenditure under National Vector Borne Disease Control Programme (₹8.40 crore) and Ayushman Bharat - PMJAY (₹9.60 crore).	18.00	...	18.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) क्षतिपूर्ति वनीकरण, आवाह क्षेत्र उपचार योजना, एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना आदि हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure under Compensatory Afforestation, Catchment Area Treatment Plan, Integrated Wild Life Management Plan etc.	3.24	...	3.24
(ग) अंडमान और निकोबार नवाचार स्टार्ट अप नीति-2018 के व्यय को पूरा करने हेतु।	(c) For meeting expenditure Andaman & Nicobar innovation Start-up Policy 2018.	1.00	...	1.00
(घ) पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर रनवे के विस्तार के संबंध में विवाचन पंचाट के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(d) For meeting additional expenditure towards Arbitration Awards in respect of Extension of Runway at Port Blair Airport.	...	12.18	12.18
51. दादरा और नगर हवेली	51 Dadra and Nagar Haveli			
(क) उर्वरक की खरीद हेतु किसानों को सब्सिडियां देने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(a) For meeting additional requirement to provide subsidies to farmers for purchase of Fertilizer.	0.06	...	0.06
(ख) वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान गिर गायों की खरीद हेतु लाभार्थियों को सब्सिडियां प्रदान करने हेतु।	(b) For providing subsidies to beneficiaries for purchase of Gir Cows during 2019-20.	0.12	...	0.12
53. लक्षद्वीप	53 Lakshadweep			
आंगनवाड़ी स्टाफ से संबंधित स्थापना संबंधी व्यय हेतु।	For meeting establishment related expenditure pertaining to Anganwadi staff.	1.95	...	1.95
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS			
56. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	56 Ministry of Housing and Urban Affairs			
(क) (i) आरईआरए से एनसीटी दिल्ली की आवश्यकता (₹7.50 करोड़) को पूरा करने हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सामान्य सहायता अनुदान और (ii) प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रकाश स्तंभ परियोजना (एलएचपी) और नमूना आवासन परियोजना (डीएचपी) हेतु (₹95 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting expenditure (i) Grants-in-aid General and Grants for Creation of Capital Assets to meet requirement of RERA to NCT of Delhi (₹7.50 crore) and (ii) Grants-in-aid General under PMAY(U) for Light House Project (LHP) and Demonstration Housing Projects (DHP) (₹95 crore).	102.50	...	102.50
(ख) शहरी और पर्यावरणीय अध्ययन क्षेत्रीय केन्द्र नगर पालिका, लखनऊ के कर्मचारियों (आरसीईयूएस) हेतु प्रशिक्षण केन्द्र स्कीम के लिए (₹1.91 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान और वेतन सहायता अनुदान और (ii) सुल्तानपुर लोधी (₹5 करोड़) के विकास हेतु 100 स्मार्ट शहर मिशन स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान, पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General and Grants-in-aid Salaries for the scheme of Training Centre for Municipal Employees of Regional Centre for Urban and Environment Studies (RCEUS), Lucknow (₹1.91 crore) (ii) Grants-in-aid General, Grants for creation of capital assets under the scheme of 100 Smart Cities Mission, for development of Sultanpur Lodhi (₹5 crore).	6.91	...	6.91
(ग) (i) सीएएए का माध्यम से आने वाले जेआईसीए द्वारा दिए गए ईएपी हेतु सामान्य पूल के तहत आवास व्यवस्था (₹145 करोड़), (ii) मुख्य कार्य (₹200 करोड़) के तहत सर्वोच्च न्यायालय की जारी परियोजना और (iii) संसद भवन केन्द्रीय विस्टा और अन्य संबंधित भवनों का विकास/पुनर्विकास हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (₹333 करोड़)।	(c) For meeting expenditure for (i) General Pool Accommodation for EAP granted by JICA coming through CAAA.(₹145 crore), (ii) ongoing project of Supreme Court under Major Work (₹200 crore) and (iii) development/re-development of Parliament building, new work of Central Vista and other connected buildings (₹333 crore).	...	678.00	678.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(घ) अधिशेष भूमि की रजिस्ट्री, डी-मर्जर के आदेश पर स्टाम्प ड्यूटी, एचपीआईएल और अन्य संयोगात्मक खर्चों आदि हेतु व्यय पूरा करने हेतु।	(d) For meeting expenditure towards registry of surplus land, stamp duty on the order of De-merger, listing of securities of HPIL and other incidental expenses etc	...	700.00	700.00
(ङ) एचपीआईएल की प्रतिभूतियां अधिसूचित करने हेतु मैसर्स एचपीआईएल के लिए ऋण और अग्रिम के लिए।	(e) For providing Loans to M/s HPIL towards listing of securities of HPIL.	...	51.00	51.00
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
57. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	57 Department of School Education and Literacy			
(क) (i) नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) (₹397.34 करोड़), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) (₹2480.36 करोड़), राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) (₹160.24 करोड़), केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए) (₹30.50 करोड़), समग्र शिक्षा (₹14 करोड़) और राष्ट्रीय बाल भवन (₹0.39 करोड़) स्कीमों हेतु सामान्य सहायता अनुदान (ii) एनवीएस (₹574.48 करोड़), के केवीएस (₹820.44 करोड़), एनसीईआरटी (₹43.58 करोड़) और समग्र शिक्षा (₹4 करोड़) स्कीमों के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (iii) एनवीएस (₹931.80 करोड़), केवीएस (₹1161.52 करोड़) और सीटीएसए (₹0.76 करोड़) स्कीमों के तहत वेतन सहायता अनुदान और (iv) राष्ट्रीय मीन्स सह मेरिट छात्रवृत्ति स्कीम (₹96.80 करोड़) के तहत छात्रवृत्ति/वृत्तिका हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for the schemes Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) (₹397.34 crore), Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) (₹2480.36 crore), National Council of Educational Research and Training (NCERT) (₹160.24 crore), Central Tibetan Schools Administration (CTSA) (₹30.50 crore), Samagra Shiksha (₹14 crore) and National Bal Bhawan (₹0.39 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the schemes NVS (₹574.48 crore), KVS (₹820.44 crore), NCERT (₹43.58 crore) and Samagra Shiksha ₹(₹4 crore) (iii) Grants-in-Aid Salary under the schemes NVS (₹931.80 crore), KVS (₹1161.52 crore) and CTSA (₹0.76 crore) and (iv) Scholarships/Stipend under the scheme National Means cum Merit Scholarship Scheme (₹96.80 crore).	6,716.21	...	6716.21
(ख) एनवीएस (₹44 करोड़) और केवीएस (₹276 करोड़) स्कीमों के तहत सामान्य सहायता अनुदान (ii) एनवीएस (₹64 करोड़) और केवीएस (₹92 करोड़) स्कीमों के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान और (iii) एनवीएस (₹104 करोड़) और केवीएस (₹130 करोड़) स्कीमों के तहत वेतन सहायता अनुदान।	(b) For meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid General under Schemes NVS (₹44 crore) and KVS (₹276 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the Schemes of NVS (₹64 crore) and KVS (₹92 crore) (iii) Grants-in-Aid Salary under the schemes NVS (₹104 crore) and KVS (₹130 crore).	710.00	...	710.00
(ग) समग्र शिक्षा (₹1330 करोड़) और मदरसों/अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शिक्षण योजना (₹200 करोड़) स्कीमों के तहत सामान्य सहायता अनुदान और (ii) मदरसों/अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शिक्षण योजना (₹20 करोड़) स्कीमों के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(c) For meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid General under the Schemes Samagra Shiksha (₹1330 crore) and Education Scheme for Madrassas/Minorities (₹200 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the schemes Education Scheme for Madrassas/Minorities (₹20 crore).	1,550.00	...	1,550.00
(घ) समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹30 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों (₹50 करोड़) के सृजन हेतु अनुदान के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹30 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹50 crore) under the scheme Samagra Shiksha.	80.00	...	80.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
58. उच्चतर शिक्षा विभाग	58 Department of Higher Education			
(क) (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹791.88 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹85 करोड़) तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹1020 करोड़) (ii) भारत में अध्ययन हेतु योजना (₹7.39 करोड़) के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं (iii) महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वृत्तिका (₹25 करोड़) (iv) वैश्विक संपर्क (₹5 करोड़) हेतु पहल योजना के अंतर्गत अन्य 'प्रशासनिक व्यय' के व्यय को पूरा करने हेतु।	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹791.88 crore), Grants for creation of capital assets (₹85 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹1020 crore) under the various schemes (ii) 'Professional Services' under the scheme Study in India (₹7.39 crore) (iii) 'Scholarship/ Stipends' under the scheme Scholarship for College & University Students (₹25 crore) and (iv) 'Other Administrative Expenses' under the scheme Initiatives for global engagement (₹5 crore).	1,934.27	...	1934.27
(ख) (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹454.45 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹460.07 करोड़) तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹42 करोड़) (ii) टीईक्यूआईपी के योजना (₹10 करोड़) के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं के व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹454.45 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹460.07 crore) and Grants-in-Aid Salaries (₹42 crore) under various schemes and (ii) Professional Services under the scheme TEQIP (₹10 crore).	966.52	...	966.52
(ग) (i) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (₹150 करोड़) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (₹50 करोड़) को सहायता हेतु योजनाओं के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (ii) एसएलआईटी, एनआईआरआईएसटी, एनआईएफएफसी रांची, सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थाओं को सहायता योजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹20 करोड़) (iii) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों योजनाओं (₹250 करोड़) के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान तथा एसएलआईटी, एनआईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी कोकराझार (₹4 करोड़) सहित अन्य संस्थाओं को सहायता के व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the schemes Central Universities (₹150 crore) and Support to University Grants Commission (UGC) (₹50 Crore) (ii) Grants for creation of capital assets under the scheme Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar (₹20 crore) (iii) Grants-in-aid Salaries under the schemes Central Universities (₹250 crore) and Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar (₹4 crore).	474.00	...	474.00
जल शक्ति मंत्रालय	MINISTRY OF JAL SHAKTI			
60. जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग	60 Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
1. सामान्य सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय जल मिशन (₹1.40 करोड़) (ii) नाबार्ड ऋण (₹126.61 करोड़) पर व्याज अदायगी (iii) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी को प्रबंधन (₹6.40 करोड़) (iv) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (₹9.10 करोड़) तथा 2. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (₹2.50 करोड़) को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid General (i) to National Water Mission (₹1.40 crore) (ii) interest payment on NABARD loan (₹126.61 crore) and (iii) for River Basin Management (₹6.40 crore) to National Water Development Agency (iii) National Institute of Hydrology (₹9.10 crore) and 2. Grants for Creation of Capital Assets to National Institute of Hydrology (₹2.50 crore).	146.01	...	146.01
61. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	61 Department of Drinking Water and Sanitation			
(क) (i) नव सृजित संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख (₹69 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान (ii) जल जीवन मिशन (तत्कालीन राष्ट्रीय ग्रामीण	(a) For providing (i) Grants-in-aid General for newly created Union Territory of Ladakh (₹69 crore) and (ii) Grants for			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पेयजल कार्यक्रम) (₹51.45 करोड़) के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र के लिए राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता एवं गुणता केन्द्र को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान।	creation of capital assets for Rashtriya Swachhta Kendra to National Centre for Drinking Water, Sanitation & Quality under Jal Jeevan Mission (erstwhile National Rural Drinking Water Programme) (₹51.45 crore).	120.45	...	120.45
(ख) जल जीवन मिशन (तत्कालीन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम) के अंतर्गत नवनिर्मित जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए।	(b) For providing Grants-in-aid General to Union Territory of Jammu and Kashmir under Jal Jeevan Mission (erstwhile National Rural Drinking Water Programme).	143.00	...	143.00
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
62. श्रम और रोजगार मंत्रालय	62 Ministry of Labour and Employment			
(क) (i) 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' योजना के अंतर्गत (₹4 करोड़) का अंशदान (ii) 'कर्मचारी पेंशन योजना' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत (₹450 करोड़) तथा अंशदान (₹540.36 करोड़) एवं (iii) 'केंद्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड' योजना के अंतर्गत (₹31.30 करोड़) वेतन सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards (i) Contribution (₹4 crore) under the scheme 'International Cooperation' (ii) Contribution (₹540.36 crore) and Grant-in-aid General (₹450 crore) under the scheme 'Employees Pension Scheme' and (iii) Grant-in-aid Salaries (₹31.30 crore) under the Scheme 'Central Board for Workers Education'.	1,025.66	...	1,025.66
(ख) अंशदान (₹444.64 करोड़) तथा 'कर्मचारी पेंशन योजना' के अंतर्गत (₹50 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान (ii) 'केंद्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड' योजना के अंतर्गत (₹3.70 करोड़) की सामान्य सहायता अनुदान तथा 'राष्ट्रीय करियर सेवाएं' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹1.68 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Contribution (₹444.64 crore) and Grant-in-aid General under the scheme 'Employees Pension Scheme' (₹50 crore) (ii) Grants-in-aid Salaries (₹3.70 crore) under the scheme 'Central Board for Workers Education' and (iii) Grant-in-aid General (₹1.68 crore) under the scheme 'National Career Services'.	500.02	...	500.02
(ग) राष्ट्रीय करियर सेवाएं योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme National Career Services.	14.32	...	14.32
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS			
68. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	68 Ministry of Minority Affairs			
अनुसंधान/अध्ययन, योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹4.80 करोड़) तथा अन्य प्रशासनिक शीर्ष (₹0.20 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Grants-in-aid Salaries (₹4.80 crore) and Other Administrative head (₹0.20 crore) for Research/Studies, Monitoring and Evaluation of schemes.	5.00	...	5.00
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
69 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	69 Ministry of New and Renewable Energy			
सौर ऊर्जा (ऑफ ग्रिड) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोगना (₹3 करोड़) तथा अनुसूचित जाति उपयोगना (₹72 करोड़) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान तथा (ii) पवन ऊर्जा (ग्रिड) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोगना (₹118 करोड़) तथा अनुसूचित जाति उपयोगना (₹56 करोड़) के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान करने के लिए।	For providing (i) Grants for creation of capital assets for Scheduled Tribe Sub-Plan (₹3 crore) and Scheduled Caste Sub-Plan (₹72 crore) under Solar Power (Off-Grid) and (ii) Subsidy under Scheduled Tribe Sub-Plan (₹118 crore) and Scheduled Castes Sub-Plan (₹56 crore) under Wind Power (Grid).	249.00	...	249.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
संसदीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS			
71 संसदीय कार्य मंत्रालय	71 Ministry of Parliamentary Affairs			
राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग के कार्यान्वयन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure under Information Technology for implementation of National eVidhan Application.	1.00	...	1.00
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
72 कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	72 Ministry of Personnel, Public Grievances And Pensions			
(क) मोटर वाहन एवं प्रमुख कार्यों के अंतर्गत सीबीआई के लिए।	(a) For CBI under Motor Vehicles and Major Works.	...	6.35	6.35
(ख) प्रमुख कार्यों के अंतर्गत वैंट एवं एलबीएसएनए के लिए।	(b) For CAT and LBSNAA under Major Works.	...	14.97	14.97
रेल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS			
82 रेल मंत्रालय	82 Ministry of Railways			
मध्य रेल के जरिए ₹336.79 करोड़ की लागत से सात (7) मंडलों पर केंद्रीकृत ट्रैफिक नियंत्रण प्रणाली तथा राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से 'सिग्नल एवं टेलीकम्यूनिकेशन कार्य' शीर्ष के अंतर्गत पूर्वी रेल के जरिए ₹290.57 करोड़ लागत से पांच (5) मंडलों में व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure on Centralized Traffic Control system on seven (7) Divisions costing ₹336.79 crore through Central Railway and in five (5) Divisions costing ₹290.57 crore through Eastern Railway under the head 'Signalling and Telecommunication Works' from Rashtriya Rail Sanraksha Kosh.	...	627.36	627.36
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
83. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	83 Ministry of Road Transport and Highways			
(क) उत्तर पूर्व क्षेत्र में रोड विंग के लिए प्रमुख कार्यों हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards Major Works for Road Wing in North East Region.	...	1,600.00	1,600.00
(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग आधारभूत कार्य - जनजाति क्षेत्र उपयोजना हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Major Works for National Highways Original Works-Tribal Area Sub Plan.	...	380.00	380.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
84 ग्रामीण विकास विभाग	84 Department of Rural Development			
(क) व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)-कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के लिए।	(a) For Public Financial Management System (PFMS) – Programme Management Unit (PMU) under professional services.	0.01	...	0.01
(ख) (i) एससी प्रशासनिक लागत तथा (ii) प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-ग्रामीण) के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(b) For providing Grant-in-aid General for (i) Scheduled Caste Administration Cost and (ii) interest subsidy under the scheme Pradhan Mantri Aawas Yojana – Gramin (PMAY-Gramin)	335.53	...	335.53
(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूह (डब्ल्यूएसएचजी) को ब्याज आर्थिक सहायता के लिए अन्य प्रभार प्रदान करने के लिए।	(c) For providing Other Charges for interest Subvention to Women Self Help Group (WSHGs) under National Rural Livelihood Mission	4.40	...	4.40

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(घ) प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति प्रशासन लागत के लिए सामान्य सहायता अनुदान के लिए।	(d) For Grant-in-aid General for Scheduled Tribe Administration Cost under Pradhan Mantri Aawas Yojana – Gramin (PMAY-G).	2.55	...	2.55
(ङ) प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के अंतर्गत अन्य प्रभारों - प्रशासनिक लागत के लिए सामान्य सहायता अनुदान के लिए।	(e) For Grant-in-aid General for other charges Administration Cost under Pradhan Mantri Aawas Yojana – Gramin.	17.19	...	17.19
(च) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को निधि जारी करने के लिए।	(f) For releasing fund to Union Territory of Jammu and Kashmir under National Rural Livelihood Mission.	0.01	...	0.01

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

86 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

86 Department of Science and Technology

(i) भारतीय सर्वेक्षण के लिए मोटर वाहन, मशीनरी और उपस्कर तथा मुख्य कार्यों के अंतर्गत क्रमशः ₹1 करोड़, ₹1.50 करोड़ और ₹2 करोड़ तथा (iii) डिजिटल मानचित्रण प्रणाली (एनएटीएमओ) के लिए 'मशीनरी और उपस्कर' के अंतर्गत ₹1.50 करोड़ का व्यय पूरा करने के लिए।

For meeting expenditure of (i) ₹1 crore, ₹1.50 crore and ₹2 crore under Motor Vehicle, Machinery and Equipment and Major works respectively for Survey of India and (ii) ₹1.50 crore under 'Machinery and Equipment' for Digital Mapping System (NATMO).

... 6.00 6.00

पोत परिवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

89 पोत परिवहन मंत्रालय

89 Ministry of Shipping

(क) 'अंतर्देशीय जल परिवहन' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु।
(ख) (i) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (₹9.75 करोड़) (ii) आयकर देनदारियां (₹53.86 करोड़) तथा हुगली गोदी एवं पत्तन इंजीनियर्स लिमिटेड को सामान्य कानूनी देनदारियां (₹9.41 करोड़) को (₹73.02 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान के लिए।

(a) For Grants for creation of Capital Assets under the scheme 'Inland Water Transport'
(b) For Grants-in-aid General for (i) implementation of Voluntary Retirement Scheme (₹9.75 crore) (ii) Income Tax Liability (₹53.86 crore) and (iii) General Statutory Liabilities (₹9.41 crore) to Hooghly Dock & Port Engineers Limited (₹73.02 crore).

8.15 ... 8.15

(ग) (i) सागरमाला परियोजना के लिए 'व्यावसायिक सेवाएं' (₹12.57 करोड़) तथा (ii) लघु पत्तनों के लिए लघु कार्यों (₹9.45 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।
(घ) महानिदेशालय (पोत परिवहन) के लिए लघु कार्यों हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

(c) For meeting expenditure towards (i) 'Professional Services' for Sagarmala Project (₹12.57 crore) and (ii) 'Minor Works' for Minor Ports (₹9.45 crore).
(d) For meeting expenditure towards 'Minor Works' for Directorate General (Shipping).

146.04 ... 146.04

22.02 ... 22.02

(ङ) 'बांग्लादेश को सहायता' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।

(e) For providing Grants-in-aid General under the scheme 'Aid to Bangladesh'.

1.00 ... 1.00

0.01 ... 0.01

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

90. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

90 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

(क) (i) 'संस्थागत प्रशिक्षण अवसंरचना का सुदृढीकरण' योजना के अंतर्गत डीटीई (₹0.85 करोड़) तथा ओएई (₹1.30 करोड़) एवं 'कौशल विकास' योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹246 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।

(a) For meeting expenditure towards (i) DTE (₹0.85 crore) and OAE (₹1.30 crore) under the scheme 'Strengthening of Infrastructure for Institutional Training and (ii) Grants-in-aid General (₹246 crore) under the scheme 'Development of Skills'.

248.15 ... 248.15

(ख) 'कौशल विकास' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।

(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme 'Development of Skills'.

0.44 ... 0.44

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ग) 'कौशल संस्थानों का सुदृढीकरण' योजना के अंतर्गत मोटर वाहन (₹0.02 करोड़) तथा मशीनरी एवं उपकरण (₹0.20 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards Motor Vehicle (₹0.02 crore) and Machinery & Equipment (₹0.20 crore) under the scheme 'Strengthening of Skill Institutions'.	...	0.22	0.22
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
91. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	91 Department of Social Justice And Empowerment			
(क) (i) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (₹10 करोड़), एससी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (₹100 करोड़), एससी के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (₹10 करोड़), डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय मेमोरियल (₹5 करोड़), पिछड़े वर्ग के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (₹20 करोड़), ओबीसी एवं ईबीसी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (₹50 करोड़) एवं गैर अधिसूचित घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू समुदायों के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड (₹1 करोड़) (ii) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹0.20 करोड़) (iii) एससी के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वृत्तिका (₹33 करोड़) (iv) बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹50 करोड़) बाल और बालिका विद्यालय (₹20 करोड़) (v) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अंतर्गत विदेशी यात्रा व्यय (₹0.50 करोड़) तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (₹0.50 करोड़) (vi) गैर-अधिसूचित, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू समुदायों के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹2 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Grants in aid General under Post Matric Scholarships (₹10 crore), National Fellowship for SCs (₹100 crore), Pre Matric Scholarships for SCs (₹10 crore), Dr. Ambedkar National Memorial (₹5 crore), Assistance to Voluntary Organisations for Backward Classes (₹20 crore), National Fellowship for OBCs and EBCs (₹50 crore) and Development and Welfare Board for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities (₹1 crore) (ii) Other Charges under Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana (₹0.20 crore) (iii) Scholarship/Stipend under Top Class Education for SCs (₹33 crore) (iv) Grants for Creation of Capital Assets under Babu Jagjivan Ram Chhatrawas Yojna (₹50 crore), Boys and Girls Hostel (₹20 crore) (v) Foreign Travel Expenses under National Commission for Scheduled Castes (₹0.50 crore) and National Commission for Safai Karamcharis (₹0.50 crore) (vi) Grants in aid Salaries under Development and Welfare Board for Denotified, Nomadic and Semi Nomadic Communities (₹2 crore).	302.20	...	302.20
(ख) राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक कार्यवाई योजना (₹20 करोड़), एल्कोहल एवं अन्य मादक (नशीली दवाइयों) पदार्थ निषेध (₹20 करोड़), राष्ट्रीय दवाई मांग कमी कार्यवाई योजना (₹20 करोड़), वृद्धों से संबंधित कार्यक्रम के लिए स्वैच्छिक संगठन को सहायता (₹20 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान तथा अनुसंधान अध्ययन एवं अनुसंधान प्रकाशन (₹10 करोड़) के लिए सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Grants in aid General under National Action Plan for Senior Citizens (₹20 crore), Prevention of Alcoholism and Substance (Drugs) Abuse (₹20 crore), National Action Plan for Drug Demand Reduction (₹20 crore), Assistance to Voluntary Organisations for Programmes Relating to Aged (₹20 crore) and Grants in aid for Research Studies and Research Publications (₹10 crore).	90.00	...	90.00
(ग) राष्ट्रीय नशीली दवाई मांग कमी कार्यवाई योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards Grants in aid General under National Action Plan for Drug Demand Reduction.	10.00	...	10.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(घ) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को एससी के लिए उद्यम पूंजी निधि (₹100 करोड़) एससी (आईएफसी के जरिए) (₹50 करोड़) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना तथा ओबीसी के लिए उद्यम पूंजी निधि (₹44 करोड़) के अंतर्गत निवेश हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure towards Investments under Venture Capital Fund for SCs to Industrial Finance Corporation of India (₹100 crore), Credit Guarantee Fund for SCs (Through IFC) (₹50 crore) and Venture Capital Fund for OBCs (₹44 crore).	...	194.00	194.00
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
93 अंतरिक्ष विभाग	93 Department of Space			
(क) (i) नई परियोजनाएं अर्थात् चंद्रयान-III (₹15 करोड़), जीसैट 12 आर (₹23.44 करोड़) एवं जीसैट 20/24 लांच सेवाएं (₹2.25 करोड़) (ii) अर्द्ध चालक प्रयोगशाला (₹144.72 करोड़), भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (₹6 करोड़) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (₹22.30 करोड़) तथा राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (₹3 करोड़) तथा (iii) भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (₹22 करोड़), उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (₹3.75 करोड़), भौतिक अनुसंधान (₹47.41 करोड़) एवं राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (₹7.50 करोड़) के पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards (i) new Projects viz. Chandrayaan-III (₹15 crore), GSAT 12R (₹23.44 crore) & GSAT 20/24 Launch services (₹2.25 crore) (ii) Grant-in-aid General and Grants for creation of capital assets of Semi - Conductor Laboratory (₹144.72 crore), Indian Institute of Space Science & Technology (₹6 crore), Physical Research Laboratory (₹22.30 crore) and National Atmospheric Research Laboratory (₹3 crore) and (iii) Grants for creation of capital assets of Indian Institute of Space Science & Technology (₹22 crore), North Eastern Space Application Centre (₹3.75 crore), Physical Research Laboratory (₹47.41 crore) and National Atmospheric Research Laboratory (₹7.50 crore).	297.37	...	297.37
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
94. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	94 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
(i) विश्व बैंक द्वारा “राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार” की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए क्षमता विकास योजना (₹0.52 करोड़) (ii) 7वीं आर्थिक जनगणना एवं राष्ट्रीय एकीकृत सूचना पोर्टल (₹657.91 करोड़) की स्थापना एवं (iii) सामान्य सहायता अनुदान (₹10.50 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन (₹9.60 करोड़) तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के जीआईए-वेतन (₹44.10 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए	For meeting expenditure towards (i) Capacity Development Scheme for Externally Aided Project of “Improvement of Quality of National Statistical System” by World Bank (₹0.52 crore) (ii) 7th Economic census and setting up of a National Integrated Information Portal (₹657.91 crore). & (iii) Grant-in-aid General (₹10.50 crore), Creation of Capital Assets (₹9.60 crore) and GIA-Salaries (₹44.10 crore) of Indian Statistical Institute, Kolkata.	722.63	...	722.63
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
96. कपड़ा मंत्रालय	96 Ministry of Textiles			
(क) (i) ‘राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम’ योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹3 करोड़) तथा सामान्य सहायता अनुदान (₹6.53 करोड़) (ii) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, (₹10 करोड़), पूर्वोत्तर में कृषि वस्त्रों के संवर्धन के लिए योजना (₹6 करोड़) तथा “पूर्वोत्तर में भू	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants for Creation of Capital Assets (₹3 crore) and Grants-in-aid General (₹6.53 crore) under the scheme ‘National Handloom Development Programme’, (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the schemes			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
वस्त्रों का उपयोग" (₹10 करोड़) नामक योजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (iii) 'केन्द्रीय रेशम बोर्ड' योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹3.99 करोड़) तथा सामान्य सहायता अनुदान (₹25 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	'National Institute of Fashion Technology' (₹10 crore), Scheme for Promoting Agro Textiles in North East' (₹6 crore) and Usage of Geotextiles in North East' (₹10 crore) (iii) Grants-in-aid Salaries (₹3.99 crore) and Grants-in-aid General (₹25 crore) under the scheme 'Central Silk Board'.	64.52	...	64.52
(ख) (i) अन्य हथकरघा योजनाएं, स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹0.15 करोड़) तथा वेतन सहायता अनुदान (0.85 करोड़) (ii) 'राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹39.89 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹15.50 करोड़) (iii) 'अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹3 करोड़) (iv) 'अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास' (₹3 करोड़), 'हस्तशिल्प वृहत् समूह विकास कार्यक्रम-हस्तशिल्प वृहत् समूह' (₹2.57 करोड़) योजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (v) विपणन सहायता एवं सेवाएं योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹8 करोड़) (vi) 'केन्द्रीय रेशम बोर्ड' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹151.53 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹3.50 करोड़) तथा वेतन सहायता अनुदान (₹26.47 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹0.15 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹0.85 crore) under the scheme 'Other Handloom Schemes', (ii) Grants-in-aid General (₹39.89 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹15.50 crore) under the scheme 'National Handloom Development Programme', (iii) Grants-in-aid General (₹3 crore) under the scheme 'Ambedkar Hastshilp Vikas Yojna', (iv) Grants for creation of Capital Assets under the scheme 'Infrastructure and Technology Development' (₹3 crore), 'Handicraft Mega Cluster Development Programme (₹2.57 crore) (v) Grants-in-aid General (₹8 crore) under the scheme 'Marketing Support and Services', (vi) Grants-in-aid General (₹151.53 crore), Grants- for creation of Capital Assets (₹3.50 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹26.47 crore) under the scheme Central Silk Board.	254.46	...	254.46
(ग) (i) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (₹59 करोड़), 'फ्लैटर्ड फैक्ट्री सह इंकुबेटर्स' (₹3 करोड़), 'समेकित प्रसंस्करण विकास योजना' (₹21.50 करोड़) योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (ii) 'आरएंडडी वस्त्र' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹42.99 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹15 करोड़), (iii) 'वस्त्र समिति को सहायता' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹15.26 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹38.15 करोड़) तथा सामान्य सहायता अनुदान (₹10 करोड़) (iv) 'पटसन क्षेत्र विकास योजना' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹70 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹4 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹7 करोड़) (vii) 'बाजार प्रचालन के लिए भारतीय पटसन निगम को सब्सिडी' योजना के अंतर्गत सब्सिडियाँ (83 करोड़) (viii) 'अन्य (टीआरए, सीओपी)' योजना के अंतर्गत अंशदान (₹0.50 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards (i) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme 'National Institute of Fashion Technology', (₹59 crore), Flattered Factory cum incubators', (₹3 crore), 'Integrated Processing Development Scheme', (₹21.50 crore) (ii) Grants-in-aid General (₹42.99 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹15 crore) under the scheme 'R & D Textiles', (iii) Grants-in-aid General (₹15.26 crore), Grants-in-aid Salaries (₹38.15 crore) and Grants-in-aid General (₹10 crore) under the scheme 'Assistance to Textiles Committee', (iv) Grants-in-aid General (₹70 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹4 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹7 crore) under the scheme 'Scheme for Development of Jute Sector', (vii) Subsidies (₹83 crore) under the scheme 'Subsidy to Jute Corporation of India towards market operation, (viii) Contribution (₹0.50 crore) under the other schemes.	369.40	...	369.40

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(घ) 'अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास योजना' के अंतर्गत मुख्य कार्य हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(d) For meeting expenditure towards Major Works under the scheme Infrastructure and Technology Development scheme.	...	10.79	10.79
पर्यटन मंत्रालय				
97. पर्यटन मंत्रालय				
(i) चैम्पियन सेवा क्षेत्र योजना के अंतर्गत गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹2 करोड़) विज्ञापन और प्रचार (₹5 करोड़) तथा अन्य प्रभार (₹40 करोड़) तथा सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण (सीबीएसपी) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹10 करोड़) प्रदान करने के लिए।	(d) For providing (i) Grants in aid General (₹2 Crore), advertising and publicity (₹5 crores) and Other charges (₹40 Crores) to facilitate activities under Champion Services Sector Scheme and funds for Grants in Aid General under Capacity Building for Services Providers (CBSP) (₹10 crore).	57.00	...	57.00
जनजातीय कार्य मंत्रालय				
98. जनजातीय कार्य मंत्रालय				
(क) 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अंतर्गत प्रकाशन के लिए (₹0.17 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.39 करोड़) तथा विज्ञापन और प्रचार (₹0.50 करोड़), (ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत कार्यालयी व्यय (₹0.50 करोड़) तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कार्यक्रम स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (₹0.10 करोड़) (iii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹0.25 करोड़), अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कार्यक्रम स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (₹0.04 करोड़) (iv) निगरानी और मूल्यांकन योजना के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹1.50 करोड़) (v) एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल (₹0.98 करोड़), मैट्रिक पूर्व योजना (₹1.25 करोड़) योजनाओं के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान, जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन हेतु संस्थागत सहायता (₹45.50 करोड़) तथा लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम सहायता लागत (₹60 करोड़) (vi) एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹14.99 करोड़) (vii) एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (0.24 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure under National Commission for Scheduled Tribes towards Publications (₹0.17 crore), Other Administrative Expenses (₹0.39 crore) and Advertisement & Publicity (₹0.50 crore) (ii) Office Expenses under the scheme Post Matric Scholarship (₹0.50 crore) and Aid to Voluntary Organisations working for the welfare of Scheduled Tribes (₹0.10 crore) (iii) Professional Services under the schemes Post Matric Scholarship (₹0.25 crore), Aid to Voluntary Organisations working for the welfare of Scheduled Tribes (₹0.04 crore) (iv) Other Charges under the scheme Monitoring & Evaluation (₹1.50 crore) (v) Grants-in-aid General under the schemes Eklavya Model Residential School (₹0.98 crore), Pre- Matric Scheme (₹1.25 crore), Institutional Support for Development and Marketing of Tribal Products (₹45.50 crore) and Minimum Support Price for Minor Forest Produce (₹60 crore) (vi) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Eklavya Model Residential School (₹14.99 crore) (vii) Grants-in-aid Salaries under the scheme Eklavya Model Residential School (₹0.24 crore).	126.41	...	126.41
(ख) एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल योजना के अंतर्गत मुख्य कार्य हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Major Works under the scheme Eklavya Model Residential School.	...	10.00	10.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
99. महिला और बाल विकास मंत्रालय	99 Ministry of Women and Child Development			
(क) (i) राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹5.68 करोड़), वेटनरीय सामाजिक कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) (₹28.09 करोड़), केन्द्रीय एकक संसाधन प्राधिकरण (0.80 करोड़), राष्ट्रीय महिला आयोग (₹1 करोड़) तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपी सीआर) (₹0.23 करोड़) (ii) राष्ट्रीय महिला आयोग योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.50 करोड़) (iii) एनआईपीसीसीडी (₹3.06 करोड़) योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान, केन्द्रीय वर्गीकरण दत्तक संसाधन प्राधिकरण (₹1.20 करोड़) तथा एनसीपीसीआर (₹0.29 करोड़) के अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the scheme National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) (₹5.68 crore), Central Social Welfare Board (CSWB) (₹28.09 crore), Central Adoption Resource Authority (₹0.80 crore), National Commission for Women (₹1 crore) and National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) (₹0.23 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme National Commission for women (₹0.50 crore) (iii) Grants-in-aid Salary under the scheme NIPCCD (₹3.06 crore), Central Adoption Resource Authority (₹1.20 crore) and NCPCR (₹0.29 crore).	40.85	...	40.85
(ख) एनआईपीसीसीडी स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme NIPCCD.	1.00	...	1.00
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
100. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	100 Ministry of Youth Affairs and Sports			
(i) भारतीय खेल प्राधिकरण योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹10 करोड़) (ii) खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति घटक (₹0.40 करोड़) और अनुसूचित जनजाति घटक (₹0.18 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹1.53 करोड़) तथा अनुसूचित जाति घटक (₹1.58 करोड़) और अनुसूचित जनजाति घटक (₹0.72 करोड़) के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹6.12 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid Salary (₹10 crore) under the scheme Sports Authority of India (ii) Grants-in-aid General (₹1.53 crore) under SC Component (₹0.40 crore) and under ST component (₹0.18 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹6.12 crore) under SC component (₹1.58 crore) and ST component (₹0.72 crore) under the scheme Khelo India.	20.53	...	20.53
कुल सांकेतिक	Total Token	0.93	0.35	1.28
5. आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की समेकित निधि में से ₹26,52,00,000 करोड़ की अग्रिम धनराशि स्वीकृत की गई थी। अनुदानों की पूरक मांगों के अनुमोदित होने के बाद इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।	5. An advance of ₹26,52,00,000 was sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting contingency requirement. This will be recouped to the Fund after the Supplementary Demands for Grants are approved.			
कुल योग	GRAND TOTAL	17,441.37	3,804.79	21,246.16
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	15,345.55	3,649.96	18,995.51
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	2,094.89	154.48	2,249.37
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.93	0.35	1.28

विषय सूची CONTENTS

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(₹ करोड़ in ₹ crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE					
1.	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग स्वीकृत	1. Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare	Voted	0.05	...	0.05	1-2
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग स्वीकृत	2. Department of Agricultural Research and Education	Voted	0.01	...	0.01	3
परमाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
3.	परमाणु ऊर्जा स्वीकृत	3. Atomic Energy	Voted	0.01	0.03	0.04	4
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय		MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)					
4.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय स्वीकृत	4. Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.02	...	0.02	5-6
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS					
7.	भेषज विभाग स्वीकृत	7. Department of Pharmaceuticals	Voted	...	160.00	160.00	7
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
8.	नागर विमानन मंत्रालय स्वीकृत	8. Ministry of Civil Aviation	Voted	0.01	...	0.01	8
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY					
10.	वाणिज्य विभाग भारित स्वीकृत	10. Department of Commerce	Charged	0.02	...	0.02	9-10
			Voted	218.03	65.00	283.03	
11.	उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग स्वीकृत	11. Department for Promotion of Industry and Internal Trade	Voted	400.50	165.00	565.50	11
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
14.	उपभोक्ता मामले विभाग स्वीकृत	14. Department of Consumer Affairs	Voted	0.01	...	0.01	12
15.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग भारित स्वीकृत	15. Department of Food and Public Distribution	Charged	0.01	...	0.01	13
			Voted	0.01	0.02	0.03	
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS					
16.	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय स्वीकृत	16. Ministry of Corporate Affairs	Voted	12.85	...	12.85	14
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE					
17.	संस्कृति मंत्रालय स्वीकृत	17. Ministry of Culture	Voted	0.01	0.01	0.02	15
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE					
19.	रक्षा सेवाएं (राजस्व) स्वीकृत	19. Defence Services (Revenues)	Voted	2000.00	...	2000.00	16
20.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय स्वीकृत	20. Capital Outlay on Defence Services	Voted	...	0.01	0.01	17
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION					
22.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय स्वीकृत	22. Ministry of Development of North Eastern Region	Voted	24.08	0.01	24.09	18
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		MINISTRY OF EARTH SCIENCES					
23.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय स्वीकृत	23. Ministry of Earth Sciences	Voted	...	0.01	0.01	19

मांग संख्या और शीर्षक	No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	(₹ करोड़ in ₹ crore)			पृष्ठ Page
				पूँजी Capital	जोड़ Total		
इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY						
24. इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्वीकृत	24. Ministry of Electronics and Information Technology	Voted	0.02	...	0.02		20
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE						
25. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत स्वीकृत	25. Ministry of Environment, Forests and Climate Change	Charged	...	0.29	0.29		21-22
		Voted	0.03	0.02	0.05		
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS						
26. विदेश मंत्रालय स्वीकृत	26. Ministry of External Affairs	Voted	0.01	0.01	0.02		23
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE						
27. आर्थिक कार्य विभाग स्वीकृत	27. Department of Economic Affairs	Voted	13.69	33.97	47.66		24
29. वित्तीय सेवाएं विभाग स्वीकृत	29. Department of Financial Services	Voted	...	2500.00	2500.00		25
32. प्रत्यक्ष कर स्वीकृत	32. Direct Taxes	Voted	...	0.02	0.02		26
33. अप्रत्यक्ष कर स्वीकृत	33. Indirect Taxes	Voted	...	0.02	0.02		27
34. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग स्वीकृत	34. Indian Audit and Accounts Department	Voted	27.39	...	27.39		28
38. राज्यों को अंतरण भारत स्वीकृत	38. Transfers to States	Charged	1000.00	...	1000.00		29
		Voted	0.01	...	0.01		
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING						
40. पशुपालन और डेरी कार्य विभाग स्वीकृत	40. Department of Animal Husbandry and Dairying	Voted	0.02	...	0.02		30
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES						
41. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वीकृत	41. Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.01	...	0.01		31
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE						
42. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग स्वीकृत	42. Department of Health and Family Welfare	Voted	0.07	0.02	0.09		32-34
43. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग स्वीकृत	43. Department of Health Research	Voted	0.01	...	0.01		35
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES						
44. भारी उद्योग विभाग स्वीकृत	44. Department of Heavy Industry	Voted	...	0.01	0.01		36
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS						
46. गृह मंत्रालय स्वीकृत	46. Ministry of Home Affairs	Voted	8820.64	...	8820.64		37
47. मंत्रिमंडल स्वीकृत	47. Cabinet	Voted	0.01	...	0.01		38
48. पुलिस स्वीकृत	48. Police	Voted	3387.48	0.01	3387.49		39
49. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्वीकृत	49. Andaman and Nicobar Islands	Voted	0.03	0.01	0.04		40
50. चंडीगढ़ भारत	50. Chandigarh	Charged	...	60.00	60.00		41
51. दादरा और नगर हवेली स्वीकृत	51. Dadra and Nagar Haveli	Voted	0.02	5.00	5.02		42
53. लक्षद्वीप स्वीकृत	53. Lakshadweep	Voted	0.01	...	0.01		43
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS						
56. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय भारत स्वीकृत	56. Ministry of Housing and Urban Affairs	Charged	9.10	...	9.10		44-45
		Voted	0.02	0.03	0.05		

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(₹ करोड़ in ₹ crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT					
57.	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग स्वीकृत	57. Department of School Education and Literacy	Voted	0.04	...	0.04	46
58.	उच्चतर शिक्षा विभाग स्वीकृत	58. Department of Higher Education	Voted	0.03	...	0.03	47-48
जल शक्ति मंत्रालय		MINISTRY OF JAL SHAKTI					
60.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग स्वीकृत	60. Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	Voted	0.01	...	0.01	49
61.	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग स्वीकृत	61. Department of Drinking Water and Sanitation	Voted	0.02	...	0.02	50
श्रम और रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT					
62.	श्रम और रोजगार मंत्रालय स्वीकृत	62. Ministry of Labour and Employment	Voted	0.03	5.10	5.13	51
विधि और न्याय मंत्रालय		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE					
64.	निर्वाचन आयोग स्वीकृत	64. Election Commission	Voted	...	6.22	6.22	52
65.	विनियोग-भारत का उच्चतम न्यायालय भारित	65. Appropriation - Supreme Court of India	Charged	20.58	...	20.58	53
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय		MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS					
68.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय स्वीकृत	68. Ministry of Minority Affairs	Voted	0.01	...	0.01	54
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY					
69.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय स्वीकृत	69. Ministry of New and Renewable Energy	Voted	0.01	60.00	60.01	55
संसदीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS					
71.	संसदीय कार्य मंत्रालय स्वीकृत	71. Ministry of Parliamentary Affairs	Voted	0.01	...	0.01	56
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS					
72.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय स्वीकृत	72. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Voted	...	0.02	0.02	57
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS					
74.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय स्वीकृत	74. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	1000.00	...	1000.00	58
योजना मंत्रालय		MINISTRY OF PLANNING					
75.	योजना मंत्रालय स्वीकृत	75. Ministry of Planning	Voted	22.18	...	22.18	59
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय		THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT					
79.	राज्यसभा स्वीकृत	79. Rajya Sabha	Voted	20.00	...	20.00	60
रेल मंत्रालय		MINISTRY OF RAILWAYS					
82.	रेल मंत्रालय स्वीकृत	82. Ministry of Railways	Voted	...	0.01	0.01	61
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS					
83.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय स्वीकृत	83. Ministry of Road Transport and Highways	Voted	...	0.02	0.02	62
ग्रामीण विकास मंत्रालय		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT					
84.	ग्रामीण विकास विभाग स्वीकृत	84. Department of Rural Development	Voted	0.06	...	0.06	63

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(₹ करोड़ in ₹ crore)			
				राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY					
86	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृत	86. Department of Science and Technology	Voted	54.00	0.01	54.01	64
पोत परिवहन मंत्रालय		MINISTRY OF SHIPPING					
89.	पोत परिवहन मंत्रालय स्वीकृत	89. Ministry of Shipping	Voted	0.05	22.87	22.92	65
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय		MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP					
90.	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय स्वीकृत	90. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	Voted	0.02	50.01	50.03	66
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT					
91.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग स्वीकृत	91. Department of Social Justice and Empowerment	Voted	0.03	0.01	0.04	67-68
अंतरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE					
93.	अंतरिक्ष विभाग स्वीकृत	93. Department of Space	Voted	0.01	666.00	666.01	69
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION					
94.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय स्वीकृत	94. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted	0.01	...	0.01	70
कपड़ा मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
96.	कपड़ा मंत्रालय स्वीकृत	96. Ministry of Textiles	Voted	0.03	0.01	0.04	71-72
पर्यटन मंत्रालय		MINISTRY OF TOURISM					
97.	पर्यटन मंत्रालय स्वीकृत	97. Ministry of Tourism	Voted	0.01	...	0.01	73
जनजातीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
98.	जनजातीय कार्य मंत्रालय भासित स्वीकृत	98. Ministry of Tribal Affairs	Charged	185.00	...	185.00	74
			Voted	0.01	0.01	0.02	
महिला और बाल विकास मंत्रालय		MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT					
99.	महिला और बाल विकास मंत्रालय स्वीकृत	99. Ministry of Women and Child Development	Voted	0.02	5.00	5.02	75
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS					
100.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	100. Ministry of Youth Affairs and Sports	Voted	225.01	...	225.01	76
कुल जोड़		GRAND TOTAL		17441.37	3804.79	21246.16	
	भासित		Charged	1214.71	60.29	1275.00	
	स्वीकृत		Voted	16226.66	3744.50	19971.16	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 1

कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS' WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	130450.51	130450.51
पूंजी	Capital	...	34.70	34.70
जोड़	Total	...	130485.21	130485.21
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.05	0.05
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.05	0.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	130485.26	130485.26
राजस्व	Revenue	...	130450.56	130450.56
पूंजी	Capital	...	34.70	34.70

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry	...	0.01 (का)	0.01
2425-सहकारिता	2425-Co-operation	...	0.01 (ख)	0.01
2435-अन्य कृषि कार्यक्रम	2435-Other Agricultural Programmes	...	0.01 (ग)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (घ)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (ङ)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.05	0.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplementary Grants are required for:
(क) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के लिए कृषि विस्तार पर उप-मिशन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़)।	(a) Grants-in-aid General for Special Component Plan for Scheduled Castes under Sub-Mission on Agriculture Extension (₹ 10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) सामान्य घटक (₹ 35.30 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹ 4 करोड़) तथा जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹ 5 करोड़) के लिए कृषि सहयोग पर एकीकृत स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।	(b) Grants-in-aid General for General Component (₹ 35.30 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 4 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹ 5 crore) under Integrated Scheme on Agriculture Cooperation. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c) Grants-in-aid General under the scheme of 'Formation and Promotion of Farmers Producers Organizations' (₹ 30 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ) (i) 'कृषक उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 30 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(d) (i) Grants for creation of Capital Assets for Tribal Area Sub-Plan under the scheme of 'Organic Value Chain Development for North Eastern Region' (₹ 5 crore).
(ii) जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत 'राष्ट्रीय वहनीय कृषि मिशन' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 14.85 करोड़)।	(ii) Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under the scheme of 'National Mission for Sustainable Agriculture' (₹ 14.85 crore).
(iii) सामान्य घटक (₹ 21 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (₹ 2 करोड़) के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - अन्य फसलें के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।	(iii) Grants-in-aid General for General Component (₹ 21 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹ 2 crore) under 'National Food Security Mission' - Other Crops.
(iv) जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के लिए 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 85 करोड़)।	(iv) Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under 'Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna' (₹ 85 crore).
(v) सामान्य घटक (₹ 10 करोड़) और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹ 0.70 करोड़) के लिए 'एकीकृत कृषि सहयोग स्कीम' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।	(v) Grants-in-aid General for General Component (₹ 10 crore) and Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 0.70 crore) under 'Integrated Scheme on Agriculture Cooperation'.
(vi) जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के लिए 'कृषि विस्तार पर उपमिशन' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 20 करोड़)।	(vi) Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under 'Sub-Mission on Agriculture Extension' (₹ 20 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ड) (i) 'एकीकृत बागवानी विकास मिशन' के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 29 करोड़), अनुसूचित जाति उपयोजना (₹ 1 करोड़) और जनजातीय उपयोजना (₹ 1 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।

(ii) 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' के अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना (₹ 2 करोड़) और जनजातीय उपयोजना (₹ 3 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(e) (i) Grants-in-aid General under General Component (₹ 29 crore), Scheduled Caste Sub-Plan (₹ 1 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹1 crore) under 'Mission for Integrated Development of Horticulture'.

(ii) Grants-in-aid General under Scheduled Caste Sub-Plan (₹ 2 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹ 3 crore) under 'Rashtriya Krishi Vikas Yojna'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	8078.76	8078.76
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	8078.76	8078.76
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	8078.77	8078.77
राजस्व	Revenue	...	8078.77	8078.77
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2415-Agricultural Research and Education	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) निम्नलिखित के लिए आईसीएआर को सामान्य सहायता अनुदान (मुख्यालय) (i) पेंशनभोगियों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की बकाया राशि का भुगतान (₹ 300.00 करोड़) और (ii) आईसीएआर मुख्यालय (₹ 21.86 करोड़)।
- (ii) फानी चक्रवात से हुई टूट-फूट के मरम्मत कार्यों के लिए आईसीएआर को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 41.17 करोड़)।
- अनुदान के एक ही भाग के भीतर उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, यह एक नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

- (i) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research (Headquarter) for (i) payment of 7th CPC arrears to pensioners (₹ 300.00 crore) and (ii) ICAR Headquarter (₹ 21.86 crore).
- (ii) Grants for creation of Capital Assets to ICAR for repair works of damages caused by Cyclone Fani (₹ 41.17 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 3

परमाणु ऊर्जा
ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.00	14957.52	14958.52
पूंजी	Capital	10.00	9399.37	9409.37
जोड़	Total	11.00	24356.89	24367.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.03	0.03
जोड़	Total	...	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	11.00	24356.93	24367.93
राजस्व	Revenue	1.00	14957.53	14958.53
पूंजी	Capital	10.00	9399.40	9409.40
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	3401-Atomic Energy Research	...	0.01	(का) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects	...	0.01	(खब) 0.01
4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries	...	0.01	(गc) 0.01
5401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5401-Capital Outlay on Atomic Energy Research	...	0.01	(घd) 0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.03	0.03
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.04	0.04
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	(i) सहायता प्राप्त संस्थानों (₹ 334.88 करोड़) और परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी (एईईएस) (₹ 16 करोड़) को वेतन सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए। (ii) सहायता प्राप्त संस्थानों को (₹ 120 करोड़) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य अनुदान देने हेतु। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	meeting additional expenditure towards (i) Grant in aid Salaries to Aided Institutes (₹ 334.88 crore) and to Atomic Energy Education Society (AEES) (₹ 16 crore) and (ii) Grant in aid General (₹ 120 crore) to Aided Institutes. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ख)	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि. (भाविनी) के लिए निवेश हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 40 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	meeting additional requirement towards investment for Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Ltd (BHAVINI) (₹ 40 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ग)	(i) भारी जल उत्पादन सुविधा (एचडब्ल्यूबी) को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.21 करोड़) (ii) ईंधन निर्माण परियोजनाओं (एनएफसी) (₹ 152.25 करोड़), विकिरण एवं आईसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (बीआरआईटी) (₹ 55.27 करोड़) और बैक एण्ड ईंधन चक्र परियोजनाएं (एनआरबी) (₹ 95.08 करोड़) के लिए मशीनरी और उपस्कर तथा (iii) ईंधन निर्माण परियोजनाओं (एनएफसी) (₹ 137.38 करोड़), बैक एण्ड ईंधन चक्र परियोजनाएं (एनआरबी) (₹ 306.25 करोड़) और सामान्य सेवा संगठन (जीएसओ) (₹ 20.69 करोड़) के लिए मुख्य कार्यों हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	meeting additional expenditure towards (i) Grant in aid General (₹ 2.21 crore) to Heavy Water Production Facility(HWB) (ii) Machinery and Equipment for Fuel Fabrication Projects (NFC) (₹ 152.25 crore), for Board of Radiation and Isotope Technology(BRIT) (₹ 55.27 crore) and for Back End Fuel Cycle Projects (NRB) (₹ 95.08 crore) and (iii) Major Works for Fuel Fabrication Projects (NFC) (₹ 137.38 crore), for Back End Fuel Cycle Projects(NRB)(₹ 306.25 crore) and for General Service Organisation (GSO) (₹ 20.69 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(घ)	(i) डीएई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए मशीनरी और उपस्कर (₹ 25.53 करोड़), (ii) सामान्य सेवा संगठन (जीएसओ) के लिए प्रमुख कार्यों हेतु (₹ 20.69 करोड़), डीएई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं (₹ 55.89 करोड़) लेसर (आरआरसीएटी) के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए मुख्य कार्यों हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 5.86 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(d)	meeting additional expenditure towards (i) Machinery and Equipment for DAE R&D Projects (₹ 25.53 crore) and (ii) Major Works for General Service Organisation (GSO) (₹ 20.69 crore), for DAE R&D Projects (₹ 55.89 crore), for Advance Technology for LASER(RRCAT) (₹ 5.86 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 4

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2445.55	2445.55
पूंजी	Capital	...	0.21	0.21
जोड़	Total	...	2445.76	2445.76
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2445.78	2445.78
राजस्व	Revenue	...	2445.57	2445.57
पूंजी	Capital	...	0.21	0.21
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01 (क)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	(i) अंतर्राष्ट्रीय योग और आयुर्वेद दिवस आदि मनाने के लिए व्यय पूरा करने हेतु 'सूचना, शिक्षा और संचार पर व्यय' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3 करोड़) (ii) राष्ट्रीय भेषज सतर्कता समन्वय केंद्र को निधियां वितरित करने के लिए व्यय पूरा करने हेतु 'एएसयू दवाईयों के लिए भेषज सतर्कता पहल (₹ 0.93 करोड़) (iii) संस्थान की प्रतिबद्ध देयता के लिए व्यय पूरा करने के लिए 'केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1 करोड़) (iv) संस्थान की प्रतिबद्ध देयता के लिए व्यय पूरा करने के लिए 'केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोड़) (v) संस्थान की प्रतिबद्ध देयता के लिए व्यय पूरा करने के लिए 'केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.61 करोड़) (vi) संस्थान की प्रतिबद्ध देयता के लिए व्यय पूरा करने के लिए 'केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.75 करोड़) (vii) संस्थान की प्रतिबद्ध देयता के लिए व्यय पूरा करने के लिए 'राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.56 करोड़) (viii) परिषद की प्रतिबद्ध देयता के लिए व्यय पूरा करने के लिए 'अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.25 करोड़) (ix) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन तथा रिक्त पदों को भरने के लिए व्यय पूरा करने हेतु 'एएसयू की औषध विज्ञान समितियां और भारतीय चिकित्सा के औषध विज्ञान आयोग का सुदृढीकरण (पीसीआईएम)' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.30 करोड़) (x) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन तथा रिक्त पदों को भरने के लिए व्यय पूरा करने हेतु 'अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली' (एआईआईए) स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़) (xi) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन तथा रिक्त पदों को भरने के लिए व्यय पूरा करने हेतु 'राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोड़) (xii) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन तथा रिक्त पदों को भरने के लिए व्यय पूरा करने हेतु 'राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 4.50 करोड़) (xiii) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन तथा रिक्त पदों को भरने के लिए व्यय पूरा करने हेतु 'केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 1.70 करोड़) (xiv) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन तथा रिक्त पदों को भरने के लिए व्यय पूरा करने हेतु 'केंद्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 4.39 करोड़) (xv) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन तथा रिक्त पदों को भरने के लिए व्यय पूरा करने हेतु 'राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.75 करोड़) (xvi) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन तथा रिक्त पदों को भरने के लिए व्यय पूरा	(a)	(i) Grants-in-aid-General, under the scheme, "Expenditure on Information, Education and Communication" for meeting expenditure for celebration of International Day of Yoga and Ayurveda Day etc.(₹ 3 crore). (ii) Grants-in-aid-General, under the scheme, "Pharmacovigilance Initiative for ASU Drugs" for meeting expenditure for disbursing the funds to the National Pharmacovigilance Co-ordination Centre(₹ 0.93 crore). (iii) Grants-in-aid-General, under the scheme, "Central Council for Research in Ayurveda Sciences, New Delhi" for meeting expenditure for committed liabilities of the Institute (₹ 1 crore). (iv) Grants-in-aid-General, under the scheme, "Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi" for meeting expenditure for committed liabilities of the Institute(₹ 0.50 crore). (v) Grants-in-aid-General, under the scheme, "Central Council for Research in Homeopathy, New Delhi" for meeting expenditure for committed liabilities of the Institute (₹ 0.61 crore). (vi) Grants-in-aid-General, under the scheme, "Central Council for Research in Siddha, Chennai" for meeting expenditure for committed liabilities of the Council (₹ 0.75 crore). (vii) Grants-in-aid-General, under the scheme, "National Institute of Siddha, Chennai" for meeting expenditure for committed liabilities of the Institute (₹ 0.56 crore). (viii) Grants-in-aid-General, under the scheme, "All India Institute of Ayurveda , New Delhi" for meeting expenditure for committed liabilities of the Council (₹ 1.25 crore). (ix) Grants-in-aid-salary under the scheme, "Pharmacopoeia Committees of ASU and Strengthening of Pharmacopoeia Commission of Indian Medicine(PCIM)" for meeting the expenditure for implementation of 7th CPC and filling up of vacant posts (₹ 0.30 crore). (x) Grants-in-aid-salary under the scheme, "All India Institute of Ayurveda(AIIA), New Delhi" for meeting the expenditure for implementation of 7th CPC and filling -up of vacant posts (₹ 5 crore). (xi) Grants-in-aid-salary under the scheme, "Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, New Delhi" for meeting the expenditure for implementation of 7th CPC and filling up of vacant posts (₹ 0.50 crore). (xii)Grants-in-aid-salary

करने हेतु 'राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.55 करोड़) (xvii) वेतन तथा अन्य भत्तों का व्यय पूरा करने के लिए 'राष्ट्रीय सोवा-रिग्पा अनुसंधान संस्थान, लेह' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.20 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) (i) संस्थान के प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग स्कीम के अधीन सहायता-अनुदान-सामान्य (₹ 0.98 करोड़), (ii) संस्थान के अधीन निर्माण कार्यकलापों को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग स्कीम के अधीन पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 2.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

under the scheme, "National Institute of Homeopathy, Kolkata " for implementation of 7th CPC and filling up of vacant posts (₹ 4.50 crore). (xiii) Grants-in-aid-salary under the scheme, "Central Council for Research in Homeopathy" for implementation of 7th CPC and filling up of vacant posts (₹ 1.70 crore). (xiv) Grants-in-aid-salary under the scheme, "Central Council for Research in Unani Medicine" for implementation of 7th CPC and filling up of vacant posts (₹ 4.39 crore). (xv) Grants-in-aid-salary under the scheme, "National Institute of Siddha, Chennai" for implementation of 7th CPC and filling up of vacant posts (₹ 0.75 crore). (xvi) Grants-in-aid-salary under the scheme, "National Institute of Naturopathy, Pune" for implementation of 7th CPC and filling up of vacant posts (₹ 0.55 crore). (xvii) Grants-in-aid-salary under the scheme, "National Research Institute for Sowa-Rigpa, Leh" for meeting the expenditure for salary and other allowances (₹ 0.20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) Grants-in-aid-general under the scheme, North-Eastern Institute of Ayurveda & Homeopathy, Shillong for meeting the committed liabilities of the Institute (₹ 0.98 crore). (ii) Grants for creation of capital assets under the scheme, North-Eastern Institute of Ayurveda & Homeopathy, Shillong for meeting the construction activities under the institute (₹ 2.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 7

भेषज विभाग

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	230.45	230.45
पूंजी	Capital	...	5.06	5.06
जोड़	Total	...	235.51	235.51
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	160.00	160.00
जोड़	Total	...	160.00	160.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	395.51	395.51
राजस्व	Revenue	...	230.45	230.45
पूंजी	Capital	...	165.06	165.06
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6857-रसायन और भेषज उद्योगों के लिए ऋण	6857-Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries	...	160.00	160.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मंत्रिमंडल द्वारा यथा अनुमोदित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (आईडीपीएल, आरडीपीएल और एचएएल) के कर्मचारियों को भुगतान न किए गए वेतन/बीआरएस संबंधी देयताओं का आंशिक भुगतान करना (₹ 160 crore)।
इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

payment of employee's liabilities of unpaid salary/VRS of PSUs (IDPL, RDPL and HAL) as approved by Cabinet (₹ 160 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 8
नागर विमानन मंत्रालय
MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4474.99	4474.99
पूंजी	Capital	...	25.01	25.01
जोड़	Total	...	4500.00	4500.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4500.01	4500.01
राजस्व	Revenue	...	4475.00	4475.00
पूंजी	Capital	...	25.01	25.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) क्षेत्रीय संपर्क स्कीम के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पूंजीगत आस्तियों के मुजन के अनुदान (₹ 200 करोड़)।
- (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.70 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- (i) Grants for creation of Capital Assets to Airport Authority of India under Regional Connectivity Scheme (₹ 200 crore).
- (ii) Grants-in-aid General to Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi (₹ 3.70 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 10
वाणिज्य विभाग
DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.01	5709.31	5709.32
पूंजी	Capital	...	510.00	510.00
जोड़	Total	0.01	6219.31	6219.32
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.02	218.03	218.05
पूंजी	Capital	...	65.00	65.00
जोड़	Total	0.02	283.03	283.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.03	6502.34	6502.37
राजस्व	Revenue	0.03	5927.34	5927.37
पूंजी	Capital	...	575.00	575.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	0.02 (का)	0.01 (खb)	0.03
2407-पौधरोपण	2407-Plantations	...	0.01 (गc)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (घd)	0.01
3453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	3453-Foreign Trade and Export Promotion	...	218.00 (ङe)	218.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.02	218.03	218.05
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	65.00 (चf)	65.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.02	283.03	283.05

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants/Appropriations are required for:	
(क)	दिल्ली के माननीय पटियाला कोर्ट द्वारा लगाई गई शास्ति के भुगतान के लिए दिनांक 04 सितम्बर, 2019 के वित्त मंत्रालय की स्वीकृति संख्या 2/1/2019-एनटीआर के द्वारा स्वीकृत आकस्मिकता अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.02 करोड़)। अनुदान के राजस्व (स्वीकृत) भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय नहीं होगा।	(a)	Meeting expenditure towards: Recoupment of Contingency Advance sanctioned vide MoF's sanction no.2/1/2019-NTR dated 4th September, 2019 for payment of penalty imposed by Hon'ble Patiala House Court of Delhi (₹ 0.02 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Revenue (Voted) Section of the Grant, the above expenditure will not entail any cash outgo.
(ख)	'स्थापना व्यय (सचिवालय)' स्कीम के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं (₹ 19.98 करोड़), आरआरटी (₹ 5.35 करोड़), एफटी (₹ 2.00 करोड़) और ओई (₹ 2.27 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय होगा।	(b)	Meeting expenditure towards: Professional Services (₹ 19.98 crore), RRT (₹ 5.35 crore), FT (₹ 2.00 crore) and OE (₹ 2.27 crore) under the scheme 'Establishment Expenditure (Secretariat)'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(i) 'काजू निर्यात संवर्धन परिषद' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड़) (ii) 'चाय बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8.50 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹ 8.00 करोड़) और सब्सिडियां (₹ 21.14 करोड़) (iii) 'कॉफी बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.29 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹ 39.71 करोड़) और सब्सिडियां (₹ 4.00 करोड़) (iv) 'रबड़ बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 21.00 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 1.00 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 50.00 करोड़) (v) 'मसाला बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.00 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹ 7.00 करोड़) और सब्सिडियां (₹ 2.00 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय होगा।	(c)	Meeting expenditure towards: (i) Grants-in-Aid General (₹ 2.00 crore) under the scheme 'Cashew Export Promotion Council', (ii) GIA General (₹ 8.50 crore), GIA Salary (₹ 8.00 crore) and Subsidies (₹ 21.14 crore) under the scheme 'Tea Board', (iii) GIA Salary (₹ 39.71 crore), GIA General (₹ 4.29 crore) and Subsidies (₹ 4.00 crore) under the scheme 'Coffee Board', (iv) GIA General (₹ 21.00 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹ 1.00 crore) and GIA Salary (₹ 50.00 crore) under the scheme 'Rubber Board', (v) GIA General (₹ 4.00 crore), GIA Salary (₹ 7.00 crore) and Subsidies (₹ 2.00 crore) under the scheme 'Spices Board'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	'चाय बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10.00 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(d)	Meeting expenditure towards: GIA General (₹ 10.00 crore) under the scheme 'Tea Board'. Taking into account the savings available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ड)	<p>(i) 'कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10.00 करोड़), सब्सिडियां (₹ 20.00 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 20.00 करोड़) (ii) 'समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5.00 करोड़), सब्सिडियां (₹ 9.35 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹ 20.88 करोड़), एससीएसपी के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 3.75 करोड़) और एसटीएसपी के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 1.02 करोड़) (iii) 'शुल्क वापसी' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 283.00 करोड़) (iv) 'बाजार पहुंच पहल' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 50.00 करोड़) (v) 'रत्न और आभूषण सेक्टर' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 5.00 करोड़) (vi) 'भारतीय विदेश व्यापार संस्थान' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 50.00 करोड़) (vii) 'व्यापार आयुक्त' स्कीम के अंतर्गत वेतन (₹ 8.50 करोड़), डीटीई (₹ 0.50 करोड़), ओई (₹ 0.30 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹ 0.20 करोड़) और लघु कार्य (₹ 0.50 करोड़) (viii) 'विशेष आर्थिक जोन को सहायता' स्कीम के अंतर्गत वेतन (₹ 2.00 करोड़), डीटीई (₹ 0.50 करोड़), ओई (₹ 0.50 करोड़), (ix) 'व्यापार उपचार और व्यापार रक्षा' स्कीम के अंतर्गत ओई (₹ 0.50 करोड़), प्रकाशन (₹ 0.40 करोड़) तथा विज्ञापन और प्रचार (₹ 0.60 करोड़) (x) 'स्थापना व्यय (सचिवालय)' स्कीम के अंतर्गत डीजीएफटी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का उन्नयन (₹ 35.50 करोड़), चिकित्सा उपचार (₹ 0.70 करोड़), डीटीई (₹ 3.00 करोड़), ओई (₹ 5.50 करोड़), आरआरटी (₹ 1.00 करोड़), पीएस (₹ 0.80 करोड़) और ओआई (₹ 2.00 करोड़) (xi) 'समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)' स्कीम के अंतर्गत एससीएसपी के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 3.75 करोड़) और एसटीएसपी के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 1.02 करोड़) (xii) 'शुल्क वापसी' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 77.00 करोड़) और (xiii) 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अनुसंधान केंद्र' स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹ 14.74 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।</p>	(e)	<p>Meeting expenditure towards: (i) GIA General (₹ 10.00 crore), Subsidies (₹ 20.00 crore) and Grant for creation of Capital Assets (₹ 20.00 crore) under the scheme 'Agricultural Product Export Development Authority (APEDA)', (ii) GIA General (₹ 5.00 crore), Subsidies (₹ 9.35 crore), GIA Salary (₹ 20.88 crore), Subsidies under SCSP (₹ 3.75 crore) and Subsidies under STSP (₹ 1.02 crore) in the scheme 'Marine product Export Development Authority (MPEDA)', (iii) Subsidies (₹ 283.00 crore) under the scheme 'Duty Draw Back', (iv) GIA General (₹ 50.00 crore) under the scheme 'Market Access Initiative', (v) Grants for creation of Capital Assets (₹ 5.00 crore) under the scheme 'Gem & Jewellery Sector' (vi) Grants for creation of Capital Assets (₹ 50.00 crore) under the scheme 'Indian Institute of Foreign Trade' (vii) Salaries (₹ 8.50 crore), DTE (₹ 0.50 crore), OE (₹ 0.30 crore), Advertisement & Publicity (₹ 0.20 crore) and Minor Works (₹ 0.50 crore) under the scheme 'Trade Commissioners', (viii) Salaries (₹ 2.00 crore), OE (₹ 0.50 crore) and DTE (₹ 0.50 crore) under the scheme 'Assistance to Special Economic Zones', (ix) OE (₹ 0.50 crore), Publication (₹ 0.40 crore) and Advertisement & Publicity (₹ 0.60 crore) under the scheme 'Trade Remedies and Trade Defence', (x) Revamping of DGFT IT System (₹ 35.50 crore), Medical Treatment (₹ 0.70 crore), DTE (₹ 3.00 crore), OE (₹ 5.50 crore), RRT (₹ 1.00 crore) PS (₹ 0.80 crore) and OAE (₹ 2.00 crore) under the scheme 'Establishment Expenditure (Secretariat)' (xi) Subsidies under SCSP (₹ 3.75 crore) and Subsidies under SCTP (₹ 1.02 crore) under the Scheme 'Marine product Export Development Authority (MPEDA)', (xii) Subsidies (₹ 77.00 crore) under the scheme 'Duty Draw Back' and (xiii) Other Charges (₹ 14.74 crore) under the scheme 'Centre for Research on International Trade'. Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo ₹ 218.00 crore. Meeting expenditure towards: Major Works (₹ 65.00 crore) under the scheme 'Establishment Expenditure (Secretariat)'. The above expenditure will entail a net cash outgo;</p>
(च)	<p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 218.00 करोड़ का नकद व्यय होगा।</p> <p>'स्थापना व्यय (सचिवालय)' स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य (₹ 65.00 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।</p>	(f)	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 11
उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5001.79	5001.79
पूंजी	Capital	...	672.72	672.72
जोड़	Total	...	5674.51	5674.51
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	400.50	400.50
पूंजी	Capital	...	165.00	165.00
जोड़	Total	...	565.50	565.50
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	6240.01	6240.01
राजस्व	Revenue	...	5402.29	5402.29
पूंजी	Capital	...	837.72	837.72
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	192.00	(क) 192.00
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	(ख) 0.01
2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries and Minerals	...	208.49	(ग) 208.49
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	400.50	400.50
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4875-अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4875-Capital Outlay on Other Industries	...	165.00	(घ) 165.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	565.50	565.50

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	(i) 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों को केन्द्रीय और एकीकृत जीएसटी की वापसी' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 192.00 करोड़) (ii) 'स्वायत्त संस्थानों को सहायता' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 6.05 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 2.85 करोड़) तथा (iii) 'परिवहन/भाड़ा सब्सिडी स्कीम' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 30.00 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 192.00 करोड़ का व्यय होगा।	(a)	Meeting expenditure towards: (i) Subsidies (₹ 192.00 crore under the scheme 'Refund of Central and Integrated GST to Industrial Units in North Eastern Region and Himalayan states' (ii) GIA General (₹ 6.05 crore) & GIA Salaries (₹ 2.85 crore) under the scheme 'Support to Autonomous Institutions' and (iii) Subsidies (₹ 30.00 crore) under the scheme 'Transport/Freight Subsidy Scheme'. Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo ₹ 192.00 crore.
(ख)	(i) 'स्वायत्त संस्थानों को सहायता' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 20.16 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 19.08 करोड़) तथा (ii) 'क्रेडिट गारंटी निधि' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10.00 करोड़) (iii) 'स्वायत्त निकायों को सहायता स्कीम' के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 5.14 करोड़) तथा सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.78 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	Meeting expenditure towards: (i) GIA Salary (₹ 20.16 crore) & GIA General (₹ 19.08 crore) under the Scheme 'Support to Autonomous Institutions' (ii) GIA General (₹ 10.00 crore) under the scheme Credit Guarantee Fund and (iii) GIA Salary (₹ 5.14 crore) & GIA General (₹ 3.78 crore) under the scheme 'Assistance to Autonomous Bodies'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(i) 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों को केन्द्रीय और एकीकृत जीएसटी की वापसी' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 208.49 करोड़) (ii) जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरा खण्ड के विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए पैकेज स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 20.00 करोड़) (iii) 'परिवहन/भाड़ा सब्सिडी स्कीम' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 19.57 करोड़) और (iv) 'पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 60.00 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 208.49 करोड़ का नकद व्यय होगा।	(c)	Meeting expenditure towards: (i) Subsidies (₹ 208.49 crore) under the scheme 'Refund of Central and Integrated GST to Industrial Units in North Eastern Region and Himalayan states', (ii) Subsidies (₹ 20.00 crore) under the scheme 'Package for Special Category States for Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand' (iii) Subsidies (₹ 19.57 crore) under the scheme 'Transport/Freight Subsidy Scheme and (iv) subsidies (₹ 60.00 crore) under the scheme 'North Eastern Industrial and Investment Promotion Policy'. Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo ₹ 208.49 crore.
(घ)	'निधियों की निधि' स्कीम के अंतर्गत निवेश (₹ 165.00 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।	(d)	Meeting expenditure towards: Investment (₹ 165.00 crore) under the scheme 'Fund of Funds'. The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 14

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)

(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2240.32	2240.32
पूंजी	Capital	...	51.50	51.50
जोड़	Total	...	2291.82	2291.82
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2291.83	2291.83
राजस्व	Revenue	...	2240.33	2240.33
पूंजी	Capital	...	51.50	51.50
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3456-नागरिक आपूर्ति	3456-Civil Supplies	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को वेतन (₹ 0.40 करोड़) और प्रशासनिक व्यय (₹ 0.60 करोड़)।
- (ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- (i) Salary (₹ 0.40 crore) and Administrative Expenses (₹ 0.60 crore) to Central Consumer Protection Authority.
- (ii) Grants-in-aid General to the States/UTs (₹ 5 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 15
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17-18 देखिये)

(See page 17-18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	190914.27	190914.27
पूंजी	Capital	...	51326.12	51326.12
जोड़	Total	...	242240.39	242240.39
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.01	0.01	0.02
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	0.01	0.03	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	242240.42	242240.43
राजस्व	Revenue	0.01	190914.28	190914.29
पूंजी	Capital	...	51326.14	51326.14

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing	...	0.01 (क) (a)	0.01
3456-नागरिक आपूर्ति	3456-Civil Supplies	0.01 (ख) (b)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.01	0.01	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण पर पूंजी परिव्यय	4408-Capital Outlay on Food Storage and Warehousing	...	0.01 (ग) (c)	0.01
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	6860-Loans for Consumer Industries	...	0.01 (घ) (d)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.01	0.03	0.04

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:			The supplementary Grants/Appropriations are required for:		
(क)	(i)	40 एलएमटी चीनी के बफर स्टॉक के सृजन और अनुरक्षण के लिए सब्सिडी (₹ 100 करोड़)।	(a)	(i)	Subsidies for creation and maintenance of buffer stock of 40 LMT sugar (₹ 100 crore).
	(ii)	2019-20 मौसम के लिए चीनी मिलों को सहायता के लिए सब्सिडी (₹ 100 करोड़)।		(ii)	Subsidies for assistance to Sugar Mills for 2019-20 season (₹ 100 crore).
	(iii)	भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.85 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.30 करोड़)।		(iii)	Grants-in-aid General (₹ 4.85 crore) and Grants-in-aid Salary (₹ 0.30 crore) to Warehousing Development and Regulatory Authority.
	(iv)	2018-19 मौसम के लिए चीनी मिलों को सहायता के लिए सब्सिडी (₹ 1000 करोड़)।		(iv)	Subsidies for assistance to Sugar Mills for 2018-19 season (₹ 1000 crore).
	(v)	चीनी के बफर स्टॉक के सृजन और अनुरक्षण के लिए सब्सिडी (₹ 100 करोड़)।		(v)	Subsidies for creation and maintenance of buffer stock of sugar (₹ 100 crore).
	(vi)	आंतरिक परिवहन, भाड़ा, लदान तथा निर्यात (₹ 50 करोड़) पर होने वाले व्यय की अदायगी के लिए चीनी मिलों का सब्सिडी।		(vi)	subsidy to sugar mills for defraying expenditure towards internal transport, freight, handling and other charges on exports (₹ 50 crore).
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध समान बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक मांग की गई है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)		किराया, दर और कर के अंतर्गत बकाया विद्युत और जल प्रभारों का भुगतान (₹ 0.01 करोड़)।	(b)		payment of outstanding electricity and water charges under Rent, Rates and Taxes (₹ 0.01 crore).
		अनुदान के राजस्व (स्वीकृत) भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।			Taking into account the surrender of savings available in the Revenue (Voted) Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ग)		राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर द्वारा मशीनरी और उपस्कर के अंतर्गत प्रयोगशाला उपस्करों की अधिप्राप्ति (₹ 1 करोड़)।	(c)		procurement of laboratory equipment under Machinery and Equipment by National Sugar Institute, Kanpur (₹ 1 crore).
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध समान बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक मांग की गई है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)		जलहीन एल्कोहल अथवा एल्कोहल से इथेनॉल के उत्पादन के लिए चीनी फैक्ट्रियों को ऋण (₹ 75 करोड़)।	(d)		loan to sugar factories for production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol (₹ 75 crore).
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध समान बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक मांग की गई है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 16
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 देखिये)

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	570.34	570.34
पूंजी	Capital	...	41.00	41.00
जोड़	Total	...	611.34	611.34
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	12.85	12.85
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	12.85	12.85
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	624.19	624.19
राजस्व	Revenue	...	583.19	583.19
पूंजी	Capital	...	41.00	41.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	8.00	(क) 8.00
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	4.85	(ख) 4.85
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	12.85	12.85

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplementary Grants are required for:
(क) कॉर्पोरेट आंकड़ा प्रबंधन (₹ 2 करोड़) तथा भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान का स्थापना व्यय (₹ 6 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा;	(a) Corporate Data Management (₹ 2 crore) and establishment expenditure of Indian Institute of Corporate Affairs (₹ 6 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ख) रिक्त पदों को भरने के लिए, एनएफआरए मुख्य अनुप्रयोग प्रणाली की शुरूआत और आईसीएलएस अधिकारियों के विभिन्न प्रशिक्षण हेतु कंपनी कानून सेवा अकादमी (₹ 4.85 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा;	(b) National Financial Reporting Authority for filling up of vacant posts, introduction of NFRA Core application system and Indian Corporate Law Service Academy for various training of ICLS Officers. (₹ 4.85 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 17

संस्कृति मंत्रालय
MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 देखिये)

(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2953.21	2953.21
पूंजी	Capital	...	89.14	89.14
जोड़	Total	...	3042.35	3042.35
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3042.37	3042.37
राजस्व	Revenue	...	2953.22	2953.22
पूंजी	Capital	...	89.15	89.15
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture	...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (₹ 5 करोड़), (2) कला संस्कृति विकास योजना (₹ 2 करोड़) और राष्ट्रीय सांस्कृतिक दृश्य-श्रव्य अभिलेखागार स्कीम के लिए पुस्तकालयों एवं अभिलेखागारों का विकास (₹ 14.35 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान, और (ii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.10 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) कला संस्कृति विकास योजना (₹ 15 करोड़) और (2) सांस्कृतिक सम्पदा के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (₹ 1 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत मुख्य कार्यों हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Meeting additional expenditure in GIA General under the scheme (1) Archaeological Survey of India (₹ 5 crore), (2) Kala Sanskriti Vikas Yojana (₹ 2 crore) and Development of Libraries & Archives for the scheme National Cultural Audiovisual Archives (₹ 14.35 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Archaeological Survey of India (₹ 0.10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) Meeting additional expenditure towards Major Works under the scheme (1) Kala Sanskriti Vikas Yojana (₹ 15 crore) and (2) National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (₹ 1 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 19

रक्षा सेवा (राजस्व)

DEFENCE SERVICES (REVENUE)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)

(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	102.92	222254.47	222357.39
पूंजी	Capital
जोड़	Total	102.92	222254.47	222357.39
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	2000.00	2000.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	2000.00	2000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	102.92	224254.47	224357.39
राजस्व	Revenue	102.92	224254.47	224357.39
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2076-रक्षा सेवाएं-थल सेना	2076-Defence Services - Army	...	1500.00	(क) 1500.00
2077-रक्षा सेवाएं-नौ सेना	2077-Defence Services - Navy	...	300.00	(ख) 300.00
2078-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	2078-Defence Services - Air Force	...	200.00	(ग) 200.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	2000.00	2000.00
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	सेना के वेतन और भत्तों की भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 1500 करोड़);	(a)	meeting additional expenditure towards payment of Pay and Allowances of Army (₹ 1500 crore);	
(ख)	नौसेना के वेतन और भत्तों की भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 300 करोड़); और	(b)	meeting additional expenditure towards payment of Pay and Allowances of Navy (₹ 300 crore); and	
(ग)	वायुसेना के वेतन और भत्तों की भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 200 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा।	(c)	meeting additional expenditure towards payment of Pay and Allowances of Air Force (₹ 200 crore). The above expenditure will entail a cash outgo.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 20
रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय
CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	83.35	103310.96	103394.31
जोड़	Total	83.35	103310.96	103394.31
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	83.35	103310.97	103394.32
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	83.35	103310.97	103394.32
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4076-Capital Outlay on Defence Services	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सेना के लिए 'वायुयान और वायु इंजन' (₹ 1000 करोड़) और नौसेना के लिए 'नौसेना बेड़ा' (₹ 1250 करोड़) के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure on account of 'Aircraft and Aeroengines' (₹ 1000 crore) for Army and 'Naval Fleet' (₹ 1250 crore) for Navy.

As the savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 22

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)

(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2292.80	2292.80
पूंजी	Capital	...	767.20	767.20
जोड़	Total	...	3060.00	3060.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	24.08	24.08
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	24.09	24.09
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3084.09	3084.09
राजस्व	Revenue	...	2316.88	2316.88
पूंजी	Capital	...	767.21	767.21
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(क) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	24.07	(ख) 24.07
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	24.08	24.08
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	0.01	(ग) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	24.09	24.09

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद की स्कीम के अंतर्गत एनईआर सीओआरएम परियोजना के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.71 करोड़) और पूंजीगत अस्तित्वों के सृजन के अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 4 करोड़)।
अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना घटक के अंतर्गत पूंजीगत अस्तित्वों के सृजन के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 24.07 करोड़)।
अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 24.07 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए संसाधनों के केन्द्रीय पूल स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त आबंटन प्रदान करने के लिए (₹ 55.93 करोड़)।
अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) providing additional Grants-in-Aid General (₹ 2.71 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 4 crore) for NERCORM project under the scheme of North Eastern Council.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing additional Grants for creations of Capital Assets under North East Road Sector Development Scheme – Externally Aided Projects Component (₹ 24.07 crore).
Taking into account the surrender of savings of ₹ 24.07 crore available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (c) providing additional allocation under the scheme of Central Pool of Resources for North East and Sikkim (₹ 55.93 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 23
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 देखिये)

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1765.05	1765.05
पूंजी	Capital	...	141.00	141.00
जोड़	Total	...	1906.05	1906.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1906.06	1906.06
राजस्व	Revenue	...	1765.05	1765.05
पूंजी	Capital	...	141.01	141.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5455-मौसम विज्ञान पर पूंजी परिव्यय	5455-Capital Outlay on Meteorology	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

डॉपलर मौसम राडार को स्थापित करने के लिए शिमला में भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुकदमे के संबंध में माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (शिमला) के निर्णय के पालन के लिए 'वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग ऑब्जरविंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज' (एसीआरओएसएस) स्कीम के अंतर्गत मुख्य कार्यों (₹ 28 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

providing additional expenditure towards Major Works (₹ 28 Crore) under the scheme "Atmosphere & Climate Research-Modelling Observing Systems & Services (ACROSS)" to adhere the decision of Hon'ble High Court of Himachal Pradesh (Shimla) regarding litigation case pertaining to land acquisition in Shimla for installation of Doppler Weather Radar. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 24
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	6306.00	6306.00	
पूंजी	Capital	348.00	348.00	
जोड़	Total	6654.00	6654.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.02	0.02	
पूंजी	Capital	
जोड़	Total	0.02	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6654.02	6654.02	
राजस्व	Revenue	6306.02	6306.02	
पूंजी	Capital	348.00	348.00	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	0.01	(क) 0.01	
2852-उद्योग	2852-Industries	0.01	(ख) 0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.02	0.02	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 'इलेक्ट्रॉनिक अभिज्ञान' (₹ 34.80 करोड़) और 'राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क' (₹ 75 करोड़) के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (ख) अनुसूचित जाति घटक (₹ 10 करोड़) और गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तरपूर्व घटक (₹ 24.80 करोड़) से सम्मिलित 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (₹ 34.80 करोड़) के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure towards Grants-in-Aid General in respect of Electronic Governance (₹ 34.80 crore) and National Knowledge Network (₹ 75 crore) for development of North Eastern Region.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting expenditure towards Grants-in-Aid General in respect of Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (₹ 34.80 crore) comprising Scheduled Caste Component (₹ 10 crore) and non-SC/ST/NE component (₹ 24.80 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 25

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2998.20	2998.20
पूंजी	Capital	...	64.52	64.52
जोड़	Total	...	3062.72	3062.72
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	0.29	0.02	0.31
जोड़	Total	0.29	0.05	0.34
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.29	3062.77	3063.06
राजस्व	Revenue	...	2998.23	2998.23
पूंजी	Capital	0.29	64.54	64.83
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2406-वानिकी और वन्य जीवन	2406-Forestry and Wild Life	...	0.01 (क) (a)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (ख) (b)	0.01
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	...	0.01 (ग) (c)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	4406-Capital Outlay on Forestry and Wild Life	...	0.01 (घ) (d)	0.01
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5425-Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	0.29 (ङ) (e)	0.01 (च) (f)	0.30
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	0.29	0.02	0.31
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.29	0.05	0.34

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (क) (1) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 4.07 करोड़) (2) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 92.76 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹ 7.54 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 32.62 करोड़) (3) भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.40 करोड़) (4) (i) भारतीय वन्यजीव संस्थान (₹ 10 करोड़) (ii) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (₹ 1.70 करोड़) (iii) वन्यजीव पर्यावास विकास (₹ 5 करोड़) और (iv) ग्रीन इंडिया मिशन- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (₹ 2.51 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान (5) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.25 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.20 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (i) प्रदूषण रोकने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.76 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.74 करोड़) तथा (ii) पर्यावरणीय सूचना प्रणाली के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) (1) (i) खतरनाक पदार्थ प्रबंधन (₹ 0.25 करोड़) (ii) सामान्य घटक (₹ 27 करोड़) और टीएसपी घटक (₹ 3 करोड़) के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण (iii) ईएपी घटक के अंतर्गत राष्ट्रीय तटीय मिशन (₹ 60 करोड़) (iv) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (₹ 0.13 करोड़) तथा (v) प्रदूषण नियंत्रण (₹ 39.57 करोड़) और जैवविविधता संरक्षण (₹ 6.50 करोड़) (2) प्रदूषण रोकने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.73 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 9.56

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) meeting expenditure towards 1. Grants for creation of capital assets (₹ 4.07 crore) for Indian Institute of Forest Management 2. Grants-in-aid-Salaries (₹ 92.76 crore), Grants-in-aid-General (₹ 7.54 crore) and Grants for creation of capital assets (₹ 32.62 crore) for Indian Council of Forestry Research and Education 3. Grants-in-aid-General (₹ 1 crore) and Grants-in-aid-Salaries (₹ 0.40 crore) for Indian Plywood Industries Research and Training Institute 4. Grants-in-aid General for (i) Wildlife Institute of India (₹ 10 crore) (ii) National Tiger Conservation Authority (₹ 1.70 crore) (iii) Development of Wildlife Habitats (₹ 5 crore) and (iv) Green India Mission-National Afforestation Programme (₹ 2.51 crore) 5. Grants-in-aid-General (₹ 2.25 crore) and Grants-in-aid-Salaries (₹ 0.20 crore) for Central Zoo Authority. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid-General (₹ 0.76 crore) and Grants for creation of capital assets (₹ 0.74 crore) for Pollution Abatement and (ii) Grants-in-aid-General (₹ 0.50 crore) for Environmental Information System. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid-General for (i) Hazardous Substance Management (₹ 0.25 crore) (ii) Environment Education, Awareness and Training under general component (₹ 27 crore) and under TSP component (₹ 3 crore) (iii) National Coastal Mission under EAP component (₹ 60 crore) (iv) National Green Tribunal (₹ 0.13 crore) (v)

करोड़) (3) जीवी पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 2.50 करोड़) (4) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 19.49 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 3 करोड़) (5) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 9 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोड़) तथा (6) उत्कृष्टता केन्द्र के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 1.04 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) भारतीय वन सर्वेक्षण के लिए मुख्य कार्यों हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.13 करोड़)। (d)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ङ) भारतीय जीवविज्ञान सर्वेक्षण (₹ 0.22 करोड़) और भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण (₹ 0.07 करोड़) के लिए मुख्य कार्यों हेतु व्यय पूरा करने के लिए। (e)
- अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।
- (च) राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के लिए मुख्य कार्यों हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 2 करोड़)। (f)
- अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Control Pollution (₹ 39.57 crore) and (vi) Biodiversity conservation (₹ 6.50 crore) 2. Grants-in-aid-General (₹ 1.73 crore) and Grants for creation of capital assets (₹ 9.56 crore) for Pollution Abatement 3. Grants for creation of capital assets (₹ 2.50 crore) for GB Pant Himalayan Institute of Environment and Development 4. Grants-in-aid General (₹ 19.49 crore) and Grants for creation of capital assets (₹ 3 crore) for Central Pollution Control Board 5. Grants-in-aid General (₹ 9 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 0.50 crore) to National Biodiversity Authority and 6. Grants-in-aid Salaries (₹ 1.04 crore) for Centre of Excellence.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards Major works (₹ 0.13 crore) for Forest Survey of India.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards Major works for Zoological Survey of India (₹ 0.22 crore) and for Botanical Survey of India (₹ 0.07 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

meeting expenditure towards Major works (₹ 2 crore) for National Museum of Natural History.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 26
विदेश मंत्रालय
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.03	16511.20	16511.23
पूंजी	Capital	...	1373.55	1373.55
जोड़	Total	0.03	17884.75	17884.78
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.03	17884.77	17884.80
राजस्व	Revenue	0.03	16511.21	16511.24
पूंजी	Capital	...	1373.56	1373.56

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2061-विदेशी मामले	2061-External Affairs	...	0.01	(क) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
7605-विदेशी सरकारों को अग्रिम	7605-Advances to Foreign Governments	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplementary Grants are required for:
(क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के संबंध में वेतन सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 5.02 करोड़)।	(a) meeting expenditure towards Grants-in-Aid Salary in respect of Indian Council for Cultural Relations (₹ 5.02 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) (i) मालदीव सरकार (₹ 0.45 करोड़) (ii) भूटान सरकार- मंगदेचू पनबिजली परियोजना (₹ 44.63 करोड़) (iii) भूटान सरकार- पुनतसांगछू-II पनबिजली परियोजना (₹ 106.19 करोड़) और (iv) भूटान सरकार- अन्य परियोजनाएं (₹ 30.28 करोड़) को ऋण हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(b) meeting expenditure towards Loans to (i) Govt. of Maldives (₹ 0.45 crore) (ii) Govt. of Bhutan - Mangedechhu Hydroelectric Project (₹ 44.63 crore) (iii) Govt. of Bhutan - Punatsangchhu-II Hydroelectric Project (₹ 106.19 crore) and (iv) Govt. of Bhutan - Other Projects (₹ 30.28 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 27

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3211.46	3211.46
पूंजी	Capital	...	17208.97	17208.97
जोड़	Total	...	20420.43	20420.43
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	13.69	13.69
पूंजी	Capital	...	33.97	33.97
जोड़	Total	...	47.66	47.66
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	20468.09	20468.09
राजस्व	Revenue	...	3225.15	3225.15
पूंजी	Capital	...	17242.94	17242.94
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	0.01 (का)	0.01
2075-विविध सामान्य सेवाएं	2075-Miscellaneous General Services	...	1.30 (खb)	1.30
3466-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	3466-International Financial Institutions	...	12.37 (गc)	12.37
3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	3605-Technical and Economic Co-operation with Other Countries	...	0.01 (घd)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	13.69	13.69
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	...	0.01 (ङe)	0.01
5466-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	5466-Investments in International Financial Institutions	...	33.96 (चf)	33.96
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	33.97	33.97
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	47.66	47.66

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	जी-20 भारत अध्यक्षता 2022 (i) व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.15 करोड़) (ii) कार्यालय व्यय (आईटी) (₹ 0.30 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	G-20 India Presidency 2022 (i) Professional Services (₹ 0.15 crores) (ii) Office Expenses (IT) (₹ 0.30 crores). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीईआर) पर बकाया व्याज राशि की माफी। चूंकि इसकी पूर्ति अनुरूपी प्रामियों से हो जाएगी, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(b)	waiver of interest outstanding against National Council of Applied Economic Research (NCAER). As this will be matched by receipts, this will not entail any additional cash outgo.
(ग)	(i) दक्षिण-दक्षिण अनुभव विनिमय न्यास निधि (एसईईटीएफ) को अंशदान (ii) एशियाई विकास निधि को अंशदान (₹ 12.37 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है और एशियाई विकास निधि में नकद व्यय नहीं होगा और इसकी पूर्ति प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से की जाएगी।	(c)	(i) Contribution to South-South Experience Exchange Trust Fund (SEETF). (ii) Contribution towards Asian Development Fund (₹ 12.37 Crores). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought and the expenditure towards Asian Development Fund will not entail cash outgo and will be matched through issue of securities.
(घ)	इंटरनेशनल करप्शन हन्टर्स अलायंस (आईसीएचए) को भुगतान (₹ 0.15 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(d)	Payment towards International Corruption Hunters Alliance (ICHA) (₹ 0.15 Crores). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	सस्ते और मध्य आय वर्ग के आवास के लिए विशेष विंडो का सृजन (₹ 1000 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(e)	Creation of a special window for affordable and middle-income housing (₹ 1000 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	(i) अफ्रीकी विकास बैंक (एफडीबी) को अभिदान (₹ 5.96 करोड़) (ii) यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (ईवीआरडी) को अभिदान (₹ 28 करोड़) इसमें नकद व्यय होगा।	(f)	(i) Subscription to African Development Bank (AfDB) (₹ 5.96 crore) (ii) Subscription to European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) (₹ 28 Crores). The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 29

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1305.16	1305.16
पूंजी	Capital	...	73935.04	73935.04
जोड़	Total	...	75240.20	75240.20
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	2500.00	2500.00
जोड़	Total	...	2500.00	2500.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	77740.20	77740.20
राजस्व	Revenue	...	1305.16	1305.16
पूंजी	Capital	...	76435.04	76435.04
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	...	2500.00	2500.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) पुनर्पूंजीकरण बंधपत्रों को जारी करने के माध्यम से आईडीबीआई बैंक लि. में पूंजी निवेश (₹ 4557 करोड़)। (ii) बीमा कंपनियों के पुनर्पूंजीकरण के लिए ₹ 2500 करोड़ निधि की अतिरिक्त आवश्यकता।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, बीमा कंपनियों के पुनर्पूंजीकरण के लिए ₹ 2500 करोड़ निधि की नकद आवश्यकता है।

The supplementary Grant is required for:

(i) Capital infusion in IDBI Bank Ltd. through issuance of recapitalization bonds (₹4557crore). (ii) An additional requirement of fund of ₹ 2500 crore for Recapitalization of Insurance Companies.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 2500 crore for Recapitalization of Insurance Companies.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 32

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 37 देखिये)

(See page 37 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	7036.44	7036.44
पूंजी	Capital	...	302.00	302.00
जोड़	Total	...	7338.44	7338.44
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	7338.46	7338.46
राजस्व	Revenue	...	7036.44	7036.44
पूंजी	Capital	...	302.02	302.02
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(क) 0.01
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) तिरपुर, कोयम्बटूर में आय कर कार्यालय और स्टॉफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए 1.72 एकड़ भूमि की खरीद (₹ 11.01 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) आय कर भवन परिसर, नुंगम्बक्कम, चेन्नई में आय कर विभाग के लिए 38 टाइप-VI (जी+19) आवासीय क्वार्टरों का निर्माण (₹ 27.16 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) Purchase of land measuring 1.72 acres for construction of Income Tax Office and staff quarters at Tirpur, Coimbatore (₹ 11.01 crore).

Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token Supplementary is sought.

(b) Construction of 38 Nos. Type-VI (G+19) residential quarter for Income Tax Department at Aaykar Bhawan Complex, Nungambakkam, Chennai (₹ 27.16 crore).

Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token Supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 33

अप्रत्यक्ष कर

INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 38 देखिये)

(See page 38 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.50	7493.15	7493.65
पूंजी	Capital	...	406.85	406.85
जोड़	Total	0.50	7900.00	7900.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.50	7900.02	7900.52
राजस्व	Revenue	0.50	7493.15	7493.65
पूंजी	Capital	...	406.87	406.87
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(क) 0.01
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	(i)	(a)	(i)
	चंडीगढ़ में भूमि अधिग्रहण के लिए ₹ 1.57 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता।		Additional requirement of ₹ 1.57 crore for acquisition of land at Chandigarh.
(ii)	राजस्व आसूचना महानिदेशालय, लखनऊ आंचलिक इकाई, लखनऊ के कार्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु ₹ 25 करोड़।	(ii)	₹ 25 crore for acquisition of land for office of Directorate General of Revenue Intelligence, Lucknow Zonal Unit, Lucknow.
(iii)	सीजीएसटी, उज्जैन के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु ₹ 10.68 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता।	(iii)	Additional requirement of ₹ 10.68 crore for acquisition of land for CGST, Ujjain.
(iv)	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय सीमा शुल्क अकादमी, अप्रत्यक्ष कर एवं स्वापक, अट्ठापुर, हैदराबाद के निर्माण के लिए ₹ 12 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता।	(iv)	Additional requirement of ₹ 12 crore for construction of Regional Training Institute, National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, Attapur, Hyderabad.
(v)	जामनगर, गुजरात में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए ₹ 5 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता।	(v)	Additional requirement of ₹ 5 crore for construction of office building at Jamnagar, Gujrat.
(vi)	अगरतला, त्रिपुरा में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए ₹ 3 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता।	(vi)	Additional requirement of ₹ 3 crore for construction of office building at Agartala, Tripura.
(vii)	सीजीएसटी, जोधपुर, राजस्थान के लिए कैम्पस की आयोजना और कार्यालय-सह-आवासीय परिसर अभिकल्प के लिए व्यापक परामर्शदात्री सेवा के लिए ₹ 1.02 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता।	(vii)	Additional requirement of ₹ 1.02 crore for Comprehensive consultancy service for planning of campus and design of office-cum-residential campus for CGST, Jodhpur, Rajasthan.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i) द्वारका, दिल्ली (₹ 12 करोड़), अन्ना नगर, चेन्नई (₹ 15 करोड़) और खारगढ़, नवी मुम्बई (₹ 10 करोड़) में आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता।	(b)	(i) Additional requirement for construction of residential quarters at Dwarka, Delhi (₹ 12 crore), Anna Nagar, Chennai (₹ 15 crore) and Kharghar, Navi Mumbai (₹ 10 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 34
भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 देखिये)

(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	177.69	4832.22	5009.91
पूंजी	Capital	...	16.00	16.00
जोड़	Total	177.69	4848.22	5025.91
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	27.39	27.39
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	27.39	27.39
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	177.69	4875.61	5053.30
राजस्व	Revenue	177.69	4859.61	5037.30
पूंजी	Capital	...	16.00	16.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2016-लेखा परीक्षा	2016-Audit	...	27.39	27.39
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !				
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2016-लेखा परीक्षा	2016-Audit	...	(-)1.17	(-)1.17

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वेतन और स्थापना पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 32.39 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 5.00 करोड़ की बचतों और ₹ 1.17 करोड़ की अतिरिक्त वसूलियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 26.22 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure on Salary and establishment (₹ 32.39 crore).

Taking into account the savings of ₹ 5.00 crore available in the same Section of the Grant and additional Recoveries of ₹ 1.17 crore, this will entail net cash outgo of ₹ 26.22 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 38

राज्यों को अंतरण

TRANSFERS TO STATES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 देखिये)

(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	120466.22	32480.00	152946.22
पूंजी	Capital	19823.28	...	19823.28
जोड़	Total	140289.50	32480.00	172769.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	1000.00	0.01	1000.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	1000.00	0.01	1000.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	141289.50	32480.01	173769.51
राजस्व	Revenue	121466.22	32480.01	153946.23
पूंजी	Capital	19823.28	...	19823.28
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2245-प्राकृतिक आपदा राहत	2245-Relief on account of Natural Calamities	...	0.01	(क) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	1000.00	(ख) ...	1000.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	1000.00	0.01	1000.01

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) के अंतर्गत राज्य सरकारों को आपदा राहत के लिए अतिरिक्त आबंटन प्रदान करने के लिए (₹ 10000 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) स्थानीय निकाय - ग्रामीण निकाय के लिए अनुदानों के अंतर्गत अतिरिक्त आबंटन प्रदान करने के लिए (₹ 1000 करोड़)।

अनुदान के राजस्व (स्वीकृत) भाग में उपलब्ध ₹ 1000 करोड़ की बचतों के अभ्यर्षण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) providing additional allocation for disaster relief to State Governments under National Disaster Relief Fund (NDRF) (₹ 10000 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) providing additional allocation under Grants for Local bodies - Rural Bodies (₹ 1000 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 1000 crore available in the Revenue (Voted) Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 40
पशु पालन और डेरी कार्य विभाग
DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 45 देखिये)

(See page 45 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3301.01	3301.01
पूंजी	Capital	...	41.64	41.64
जोड़	Total	...	3342.65	3342.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3342.67	3342.67
राजस्व	Revenue	...	3301.03	3301.03
पूंजी	Capital	...	41.64	41.64
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2403-पशु पालन	2403-Animal Husbandry	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (क) 'खुर एवं मुख रोग और ब्रुसेल्लोसिस हेतु राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम' स्कीम में विज्ञापन और प्रचार हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.10 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (ख) 'राष्ट्रीय पशुधन मिशन' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (सामान्य घटक- ₹ 45 करोड़), अनुसूचित जाति उपयोगना - (₹ 9.96 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोगना - (₹ 5.16 करोड़) के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure towards Advertisement & Publicity under the scheme of 'National Animal Disease Control Programme for Foot and Mouth Disease and Brucellosis' (₹ 0.10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Grants-in-aid General for General Component (₹ 45 crore), Special Component for Scheduled Castes Sub Plan (₹ 9.96 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹ 5.16 crore) under the scheme of 'National Livestock Mission'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 41

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1196.60	1196.60
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	1196.60	1196.60
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1196.61	1196.61
राजस्व	Revenue	...	1196.61	1196.61
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, तंजावुर को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 45.50 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Grants for creation of Capital Assets to Indian Institute of Food Processing Technology, Thanjavur (₹ 45.50 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 42
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	90145.25	90145.25
पूंजी	Capital	...	2890.20	2890.20
जोड़	Total	...	93035.45	93035.45
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.07	0.07
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.09	0.09
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	93035.54	93035.54
राजस्व	Revenue	...	90145.32	90145.32
पूंजी	Capital	...	2890.22	2890.22
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits	...	0.01 (का)	0.01
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01 (खb)	0.01
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare	...	0.01 (गc)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (घd)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (ङe)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (चf)	0.01
3606-सहायता सामग्री और उपस्कर	3606-Aid Materials and Equipment	...	0.01 (छg)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.07	0.07
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	0.01 (जh)	0.01
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01 (झi)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.09	0.09

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सीजीएस पेंशनरों (पीओआरवी) के चिकित्सीय उपचार के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता (₹ 1136.10 करोड़)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) (i) निम्नलिखित संस्थानों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं श्रीमती एस. के. हॉस्पिटल, नई दिल्ली (₹ 23.20 करोड़) 2. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) (₹ 283.40 करोड़) 3. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं न्यूरो साइन्स संस्थान बेंगलुरु (₹ 16.76 करोड़) 4. जेपमेर, पुदुच्चेरी (₹ 4.19 करोड़) 5. बल्लभ भाई पटेल चैस्ट संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली (₹ 7 करोड़) 6. कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसाइटी, वर्धा (₹ 7.82 करोड़) 7. नई दिल्ली टीबी सेंटर (₹ 0.18 करोड़) 8. चितरंजन राष्ट्रीय संस्थान, कोलकाता (सीएनसीआई) (₹ 0.95 करोड़) 9. लाला राम स्वरूप टीबी एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 0.40 करोड़) 10. इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एण्ड टेक्नोलॉजी इम्प्रिंट (₹ 4.98 करोड़) 11. नर्सिंग सेवाओं का विकास - नर्सिंग के विद्यमान स्कूलों का सुदृढीकरण (₹ 36.50 करोड़) 12. राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 66.45 करोड़) जिसमें शामिल हैं (i) वैश्विक निधि सहायक परियोजना (ईएपी)- विदेशी सहायता घटक (ईएसी) (₹ 0.01 करोड़), (ii) राष्ट्रीय/राज्य ब्लड ट्रांसफ्यूजन परिषद (जीसी) (₹ 0.05 करोड़) (iii) अन्य व्यय (जीसी) (₹ 0.05 करोड़) (iv) राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (जीसी) (₹ 7.68 करोड़), (v) विश्व बैंक पूल निधि सहायक परियोजना (ईएसी) (₹ 29.33 करोड़) (vi) विश्व बैंक पूल निधि सहायक परियोजना (जीसी) (₹ 29.33 करोड़), (ii) निम्न संस्थानों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान 1. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (₹ 175 करोड़) 2. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं न्यूरो साइन्स संस्थान बेंगलुरु (₹ 104.63 करोड़) 3. अखिल भारतीय बधिर तथा श्रवण संस्थान, मैसूर (₹ 72.74 करोड़), 4. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी,

The supplementary Grants are required for:

- (a) Additional fund requirement for medical treatment of CGHS Pensioners (PORB) (₹ 1136.10 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Grants in aid General under the following Institutions:- 1. Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital, New Delhi (₹ 23.20 crore). 2. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) (₹ 283.40 crore). 3 National Institute of Mental Health & Neuro-Sciences, Bengaluru (₹ 16.76 crore). 4. JIPMER, Puduchery (₹ 4.19 crore). 5. Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi, University, Delhi (₹ 7 crore). 6. Kasturba Health Society, Wardha (₹ 7.82 crore). 7. New Delhi TB Centre (₹ 0.18 crore). 8. Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata (CNCI) (₹ 0.95 crore). 9. Lala Ram Sarup Institute of TB & Allied Diseases, New Delhi (₹ 0.40 crore). 10. Impacting Research Innovation & Technology (IMPRINT) (₹ 4.98 crore). 11. Development of Nursing Services -Strengthening of existing Schools of Nursing (₹ 36.50 crore). 12. National AIDS & STD Control Programme (₹ 66.45 crore) - comprising of (i) Global Fund Assisted Project-External Aid Component (EAC) (₹ 0.01 Crore); (ii) National/State Blood Transfusion Councils (GC) (₹ 0.05 crore); (iii) Other Expenses (GC) (₹ 0.05 crore); (iv) State AIDS Control Societies (GC) (₹ 7.68 crore); (v) World Bank Pool Fund Assisted Project (EAC) (₹ 29.33 crore); (vi) World Bank Pool Fund Assisted Project (GC) (₹ 29.33 crore).

नई दिल्ली (₹ 0.05 करोड़) 9. लाला राम स्वरूप टीबी एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 0.75 करोड़) (iii) निम्न संस्थानों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान 1. एम्स (नई दिल्ली) (₹ 85 करोड़) 2. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (₹ 85 करोड़) 3. निमहंस बेंगलुरु (₹ 3.41 करोड़) 4. लाला राम स्वरूप टीबी एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 6.15 करोड़) 5. चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कोलकाता (सीएनसीआई) (₹ 1.85 करोड़) 6. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) (₹ 450 करोड़) 7. अखिल भारतीय बधिर एवं श्रवण संस्थान, मैसूर (₹ 3.35 करोड़) 8. राष्ट्रीय जीवविज्ञान संस्थान नोएडा (₹ 1.15 करोड़) 9. कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसाइटी, वर्धा (₹ 5.63 करोड़) (iv) निम्नलिखित योजना/कार्यक्रम/संस्थान/संगठन के अलावा व्यय की अन्य मदों पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए - डॉ आरएमएल हॉस्पिटल, नई दिल्ली, अन्य प्रभार (₹ 23.58 करोड़) डायमैक परियोजना, भारत प्रायवेट लिमिटेड के मामले में मध्यस्थता मामले में (₹ 17.46 करोड़) व्याज तथा झुग्गी वासियों के पुनर्वास/पुनर्स्थापन के लिए डीयूएसआईबी को (₹ 6.12 करोड़) के भुगतान को भी लागत पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ग) निम्न संस्थानों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई (₹ 1.90 करोड़) 2. जनसंख्या अनुसंधान संस्थान (₹ 4.20 करोड़) 3. स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा अनुसंधान अध्ययन (₹ 35.50 करोड़) 4. एनआईएचएफडब्ल्यू, नई दिल्ली (स्वच्छता कार्रवाई योजना के लिए (₹ 0.01 करोड़) सहित (₹ 0.52 करोड़) 5. आरसीएच लचीली पूल नियमित प्रतिरक्षक कार्यक्रम, पल्स पोलियो प्रतिरक्षक कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण (ईएसी) (₹ 4.72 करोड़) 6. एनआरएचएम के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन का सुदृढीकरण (₹ 10.00 करोड़) (ii) निम्न संस्थान के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन का अनुदान - एनआईएचएफडब्ल्यू, नई दिल्ली (₹ 1.17 करोड़) (iii) निम्न संस्थानों के अंतर्गत वेतन सहायता में अनुदान 1. अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई (₹ 2.77 करोड़) 2. एनआईएचएफडब्ल्यू, नई दिल्ली (₹ 0.04 करोड़) (iv) निम्न योजना/कार्यक्रम/संस्थानों / संगठनों के संबंध में सहायता अनुदान के अलावा व्यय के अन्य अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 1. जनसंख्या स्थिरता कोष (₹ 23 करोड़) 2. केंद्रीय शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता बिना विधान के - प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर विकास योजना (₹ 1.39 करोड़) अन्य प्रभार। (ग) 3. डब्ल्यू एच ओ समर्थित राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना (₹ 29 करोड़) व्यावसायिक सेवाओं हेतु।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (घ) निम्न संस्थाओं के तहत सामान्य सहायता अनुदान 1. एनआईआईजीआरआईएचएमएस, शिलांग (₹ 49.64 करोड़) 2. रिम्स, इम्फाल (₹ 24.19 करोड़), 3. जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (₹ 0.45 करोड़) (ड) 4. राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 7.39 करोड़) जिसमें शामिल है (i) वैश्विक निधि सहायित परियोजना (ईएसी) (₹ 0.01 करोड़), (ii) राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी (जीसी) (₹ 1.30 करोड़), (iii) विश्व बैंक पूल निधि सहायित परियोजना (ईएसी) (₹ 3.04 करोड़), (iv) विश्व बैंक पूल निधि सहायित परियोजना (जीसी)-(₹ 3.04 करोड़), 5. आरसीएच लचीली पूल सहित नियमित प्रतिरक्षक कार्यक्रम, पल्स पोलियो प्रतिरक्षक कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण (ईएसी) (₹ 30.65 करोड़), 6. एनआरएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण - एनआरएचएम के अंतर्गत व्यापक प्राथमिकी स्वास्थ्य के लिए अन्य गतिविधियां (₹ 25.00 करोड़), 7. अवसरचना रखरखाव-उपकेन्द्र (₹ 99.38 करोड़), 8. संक्रामक रोगों के लिए लचीला पूल (ईएसी) (₹ 4.67 करोड़), (ii) निम्न संस्थानों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान 1. एनआईआईजीआरआईएचएमएस, शिलांग (₹ 207.43 करोड़), 2. रिम्स, इम्फाल (₹ 15.72 करोड़), 1 रिपन्स, आईजाल (₹ 5.50 करोड़), (iii) वेतन सहायता में अनुदान निम्न संस्थानों के अंतर्गत एनआईआईजीआईआईएचएमएस, शिलांग (₹ 12 करोड़), 2. रिम्स, इम्फाल (₹ 9.66 करोड़)।

(ii) Grants for creation of Capital Assets under the following Institutions - 1. Post-graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh (₹ 175 crore). 2. National Institute of Mental Health & Neuro-Sciences, Bengaluru (₹ 104.63 crore). 3. All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (₹ 72.74 crore). 4. National Academy of Medical Sciences, New Delhi (₹ 0.05 crore). 9. Lala Ram Sarup Institute of TB & Allied Diseases, New Delhi (₹ 0.75 crore). (iii) Grants in aid Salaries under the following Institutions:- 1. AIIMS, New Delhi (₹ 85 crore). 2. Post-graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh (₹ 85 crore). 3. NIMHANS, Bengaluru (₹ 3.41 crore). 4. Lala Ram Sarup Institute of TB & Allied Diseases, New Delhi (₹ 6.15 crore). 5. Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata (CNCI) (₹ 1.85 crore). 6. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) (₹ 450 crore). 7. All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (₹ 3.35 crore). 8. National Institute of Biologicals, NOIDA (₹ 1.15 crore). 9. Kasturba Health Society, Wardha (₹ 5.63 crore). (iv) For meeting additional expenditure on other items of expenditure other than Grants-in-aid in respect of following schemes / programmes / Institutions / Organisations: Dr. RML Hospital, New Delhi Other Charges (₹ 23.58 crore) - To meet cost of award with interest (₹ 17.46 crore) in the Arbitration Case in the matter of HOSMAC Project India Pvt. Ltd. And also payment of ₹ 6.12 crore to DUSIB for rehabilitation/relocation of Jhuggi Dwellers.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants in aid General under the following Institutions:- 1. International Institute for Population Sciences, Mumbai (₹ 1.90 crore). 2. Population Research Centres (₹ 4.20 crore). 3. Health Surveys and Research Studies (₹ 35.50 crore). 4. NIHFWS, New Delhi (₹ 0.52 Crore) inclusive of ₹ 0.01 crore for Swachhta Action Plan. 5. RCH Flexible Pool including Routine Immunization Programme, Pulse Polio Immunization Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control (EAC) (₹ 4.72 crore) 6. Strengthening of National Programme Management Unit under NRHM (₹ 10 crore) (ii) Grants for creation of Capital Assets under the following Institution:- NIHFWS, New Delhi (₹ 1.17 crore) (iii) Grants in aid Salaries under the following Institutions:- 1. International Institute for Population Sciences, Mumbai (₹ 2.77 crore) 2. NIHFWS, New Delhi (₹ 0.04 crore) (iv) For meeting additional expenditure on other items of expenditure other than Grants-in-aid in respect of following schemes / programmes / Institutions / Organisations: 1. Jansankhya Sthirata Kosh (₹ 23 crore) 2. Financial Assistance to U.Ts. Without legislature - Prime Minister's Development Plan for J&K (₹ 1.39 crore) - Other Charges 3. WHO Supported National Polio Surveillance Project (₹ 29 crore) for Professional Services.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants in aid General under the following Institutions:- 1. NEIGRIHMS, Shillong (₹ 49.64 crore) 2. RIMS, Imphal (₹ 24.19 crore) 3. Population Research Centres - ₹ 0.45 crore) 4. National AIDS & STD Control Programme (₹ 7.39 crore) - comprising of (i) Global Fund Assisted Project (EAC) (₹ 0.01 crore); (ii) State AIDS Control Societies (GC) (₹ 1.30 crore); (iii) World Bank Pool Fund Assisted Project (EAC) (₹ 3.04 crore); (iv) World Bank Pool Fund Assisted Project (GC) (₹ 3.04 crore) 5. RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunization Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control (EAC) (₹ 30.65 crore) 6. Health System Strengthening under NRHM - Other activities for Comprehensive Primary Health Care under NRHM (₹ 25 crore) 7. Infrastructure Maintenance Sub-Centre (₹ 99.38 crore) 8. Flexible Pool for Communicable Diseases (EAC) (₹ 4.67 crore) (ii) Grants for creation of Capital Assets under the following Institutions:- 1. NEIGRIHMS, Shillong (₹ 207.43 crore). 2. RIMS, Imphal (₹ 15.72 crore). 1. RIPANS, Aizawl (₹ 5.50 crore). (iii) Grants in aid Salaries under the following

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ड) निम्न संस्थानों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1 संक्रामक बीमारियों के लिए लचीला पूल (ईएसी) (₹ 248.60 करोड़) तथा 2. नियमित प्रतिरक्षक कार्यक्रम सहित आरसीएच लचीला पूल, पल्स पोलियो प्रतिरक्षक कार्यक्रम राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (ईएसी) (₹ 571.22 करोड़) (e)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (च) निम्न संस्थानों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. संक्रामक बीमारियों के लिए लचीला पूल (ईएसी) (₹ 0.92 करोड़) 2. आरसीएच लचीली पूल, पल्स पोलियो प्रतिरक्षक कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (ईएसी) (₹ 1.41 करोड़) तथा प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर विकास योजना (₹ 61.95 करोड़) (f)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (छ) शीर्ष अन्य सविदात्मक सेवाओं के अंतर्गत निम्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 608 करोड़)। (g)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ज) निम्न योजनाओं/कार्यक्रमों/संस्थानों इत्यादि के अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1. औपधालय एवं चिकित्सालय की स्थापना (₹ 5.13 करोड़), मोटर वाहन खरीदने के लिए (₹ 4.70 करोड़) (एम्बुलेंस), एमई- (₹ 0.41 करोड़), एमडब्ल्यू (₹ 0.02 करोड़), 2. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना- (₹ 163 करोड़), एमई 3. डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली (₹ 29 करोड़), एमई - (₹ 24 करोड़) तथा एमडब्ल्यू (₹ 5 करोड़), 4. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 38 करोड़) एमई- (₹ 20 करोड़), एमडब्ल्यू (₹ 18 करोड़), 5. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं श्रीमति एस के अस्पताल, नई दिल्ली, (₹ 28.23 करोड़), एमवी- (₹ 0.82 करोड़), एमई- (₹ 20 करोड़) तथा एमडब्ल्यू (₹ 7.41 करोड़), 6. सीआईपी रांची (₹ 8 करोड़), मुख्य कार्य के लिए 7. डबल्यू एचओ-एसईएआरओ भवन का पुर्ननिर्माण (मुख्य कार्य के लिए (₹ 85 करोड़), 8. राष्ट्रीय टीबी संस्थान, बैंगलोर-मोटर वाहन के लिए (₹ 0.44 करोड़), 9. केन्द्रीय कुष्ठ रोग अध्यापन और अनुसंधान संस्थान, चिंगालपट्टू मोटर वाहन संस्थान, चिंगालपट्टू, मोटर वाहन के लिए (₹ 0.05 करोड़), 10. क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर मुख्य कार्य के लिए (₹ 1.40 करोड़), 11. क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान गोरीपूर-मुख्य कार्य के लिए (₹ 0.10 करोड़), 12. केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली-मशीनरी और उपकरण के लिए (₹ 0.52 करोड़), 13. मुख्य कार्य के लिए पत्तन स्वास्थ्य प्राधिकरण (₹ 0.05 करोड़), 14. एनसीडीसी शाखाओं और स्वास्थ्य संबंधी पहलों की स्थापना और सुदृढीकरण-मुख्य कार्य के लिए (₹ 8.71 करोड़), तथा 15. कूलरों संबंधी कार्यों तथा अन्य मदों की खरीद के लिए मशीनरी एवं उपकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स तथा एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 72.02 करोड़)। (h)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (झ) निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों/संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 10 करोड़), मुख्य कार्य के लिए 2. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा श्रीमति एस के अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 1 करोड़) तथा 3. सीआईपी, रांची (₹ 10 करोड़) मुख्य कार्य के लिए। (i)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Institutions:- 1. NEIGRIHMS, Shillong (₹ 12 crore). 2. RIMS, Imphal (₹ 9.66 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-aid General under the following Institutions:- 1. Flexible Pool for Communicable Diseases (EAC) (₹ 248.60 crore) and 2. RCH Flexible Pool including Routine Immunization Programme, Pulse Polio Immunization Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme (EAC) (₹ 571.22 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grant in Aid General under the following Institutions:- 1. Flexible Pool for Communicable Diseases (EAC) (₹ 0.92 crore) 2. RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunization Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control EAC) (₹ 1.41 crore) and 3. Prime Minister's Development Plan for J&K (₹ 61.95 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

To meet additional requirement of various Schemes/ Programmes under the head Other Contractual Services (₹ 608 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

To meet additional requirement under the following Schemes/Programmes/Institutions etc.:- 1. Setting up of Dispensaries and Hospitals (₹ 5.13 crore) for procurement of Motor Vehicles (₹ 4.70 crore (Ambulances); Machinery & Equipment (₹ 0.41 crore), Major Works (₹ 0.02 crore) 2. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (₹ 163 crore)- Machinery & Equipment. 3. Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi (₹ 29 crore), Machinery & Equipment (₹ 24 crore); and Major Works (₹ 5 crore) 4. Safdarjung Hospital, New Delhi (₹ 38 Crore), Machinery & Equipment (₹ 20 crore); Major Works (₹ 18 crore) 5. Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital, New Delhi (₹ 28.23 crore)- Motor Vehicle (₹ 0.82 crore); Machinery & Equipment (₹ 20 crore) and Major Works (₹ 7.41 crore) 6. CIP, Ranchi (₹ 8 crore) for Major Works 7. Reconstruction of WHO -SEARO Building, (₹ 85 crore) for Major Works 8. National TB Institute, Bangalore (₹ 0.44 crore) for Motor Vehicle 9. Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu (₹ 0.05 crore) for Motor Vehicle 10. Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur (₹ 1.40 crore) for Major Works 11. Regional Leprosy Training and Research Institute, Gauripur (₹ 0.10 crore) for Major Works 12. Central Research Institute, Kasauli (₹ 0.52 crore) for Machinery & Equipment 13. Port Health Authority (₹ 0.05 crore) for Major Works 14. Establishment and Strengthening of NCDC Branches and Health Initiatives (₹ 8.71 Crore) for Major Works and; 15 National AIDS & STD Control Programme (₹ 72.02 crore) under Machinery & Equipment for procurement of work in coolers & Other items.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

To meet additional requirement under the following Schemes/Programmes/Institutions etc.:- 1. Safdarjung Hospital, New Delhi (₹ 10 crore), for Major Works 2. Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital, New Delhi (₹ 1 crore) and; 3. CIP, Ranchi (₹ 10 crore) for Major Works.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 43

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 देखिये)

(See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3374.65	3374.65
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	3374.65	3374.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3374.66	3374.66
राजस्व	Revenue	...	3374.66	3374.66
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (I) भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेला, 2019 में भाग लेने के लिए स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के भाग के रूप में भुगतान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शीर्ष के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 5 करोड़) को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

- (I) To meet additional requirement of Grants in Aid General (₹ 5 crore) under the Head International Cooperation for payment as share of Department of Health Research for participation in India International Science Fair, 2019. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 44

भारी उद्योग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 देखिये)

(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	980.74	980.74
पूंजी	Capital	...	386.26	386.26
जोड़	Total	...	1367.00	1367.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1367.01	1367.01
राजस्व	Revenue	...	980.74	980.74
पूंजी	Capital	...	386.27	386.27
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	6860-Loans for Consumer Industries	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के दिनांक 03.10.2018 के निर्णय के अनुसार नेपा लि. के कर्मचारियों को वेतन/सांविधिक देयताओं तथा अन्य सरकारी देयताओं का भुगतान करने के लिए इक्विटी के परिवर्तन(₹ 38.26 करोड़) को जारी करना।

आवश्यक लेखांकन समायोजन करने के लिए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Conversion of equity (₹ 38.26 crore) release to Nepa Limited for payment of salary/statutory dues and other govt. dues to its employees into Govt loan as per CCEA decision dated 03.10.2018.

For carrying out necessary accounting adjustment, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 46

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	4584.39	4584.41
पूंजी	Capital	...	311.40	311.40
जोड़	Total	0.02	4895.79	4895.81
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	8820.64	8820.64
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	8820.64	8820.64
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	13716.43	13716.45
राजस्व	Revenue	0.02	13405.03	13405.05
पूंजी	Capital	...	311.40	311.40
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	0.01 (क) (a)	0.01
2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	2250-Other Social Services	...	0.01 (ख) (b)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	8820.62 (ग) (c)	8820.62
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	8820.64	8820.64

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	विदेश यात्रा व्यय (एफटीई) और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए अन्य गैर-कानूनी गतिविधियां (बचाव) ट्रिब्यूनल के लिए (₹ 1.39 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	Foreign Travel Expenses(FTE) and Other Unlawful Activities (Prevention) Tribunal for National Integration(NI) (₹ 1.39 crore). Taking into account the savings available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	अन्य प्रभागों के तहत अन्य सामाजिक सेवाओं - मंदिरों, तीर्थ स्थलों आदि का रखरखाव, तथा अयोध्या के संरक्षण से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 20.40 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	meeting the expenditure towards Other Social Services-Upkeep of Shrines, Temples etc., Protection and Upkeep of Ayodhya under Other Charges (₹ 20.40 crore). Taking into account the savings available within the same section of the Grant, a token supplementary is required.
(ग)	14वां वित्त आयोग पंचाट राजस्व घाटा अनुदान के स्थान पर जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान व्यय विभाग ने संघ राज्य क्षेत्र (जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख) के राजस्व घाटे अनुदान के हिस्से के रूप में (₹ 1178.5 करोड़ प्रतिमाह की दर से ₹ 5892.5 करोड़), स्थानीय निकाय अनुदान (₹ 725 करोड़), एसडीआरएफ (₹ 139.50 करोड़) और नवंबर और दिसंबर, 2019 माह के लिए करों की निवल आय के राज्य के हिस्से के रूप में (₹ 2063.62 करोड़)। (कुल ₹ 8820.62 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा।	(c)	Grant to Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh in lieu of J&K State share of 14th Finance Commission Award - share of Revenue deficit grant (₹ 5892.5 crore @ 1178.5 crore/month), local body grant (₹ 725 crore) and SDRF (₹ 139.50 crore) & State Share of net proceeds of taxes for month of November and December, 2019 (₹ 2063.62 crore). (Total ₹ 8820.62 crore). The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 47

मंत्रिमंडल

CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 देखिये)

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	828.85	828.85
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	828.85	828.85
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	828.86	828.86
राजस्व	Revenue	...	828.86	828.86
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2013-मंत्रिपरिषद	2013-Council of Ministers	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के अंतर्गत साइनर्जी परियोजनाओं के लिए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के लिए (₹ 10 करोड़) और (ii) साइबर सुरक्षा (अनुसंधान और विकास) तथा अन्य प्रभागों के लिए (₹ 13.59 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

(i) O/o Principal Scientific Adviser for Synergy Projects under Grants for creation of Capital Assets (₹ 10 crore) and (ii) Cyber Security (R&D) and Other Charges (₹ 13.59 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 48

पुलिस
POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 देखिये)

(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	7.49	88707.75	88715.24
पूंजी	Capital	6.33	10811.89	10818.22
जोड़	Total	13.82	99519.64	99533.46
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	3387.48	3387.48
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	3387.49	3387.49
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	13.82	102907.13	102920.95
राजस्व	Revenue	7.49	92095.23	92102.72
पूंजी	Capital	6.33	10811.90	10818.23
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2055-पुलिस	2055-Police	...	3387.46 (क) (a)	3387.46
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (ख) (b)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (ग) (c)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	3387.48	3387.48
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	0.01 (घ) (d)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	3387.49	3387.49

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) वेतन और राशन की लागत (₹ 3387.46 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) महिला हेल्प डेस्क सहित मानव-तस्करी रोधी इकाई के लिए राज्य सरकारों को अनुदान (₹ 184.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) महिला हेल्प डेस्क सहित मानव-तस्करी रोधी इकाई के लिए राज्य सरकारों को अनुदान। एसआरई (एनई एवं एलडब्ल्यूई) सहित सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत सीमा अवसंरचना प्रबंधन (₹ 398 करोड़) और मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत दिल्ली पुलिस (निर्भया निधि स्कीम) कार्यालय भवन महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्कीम (₹ 6.77 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Salaries and Cost of Ration (₹ 3387.46 crore). The above expenditure will entail a net cash outgo; Grants to State Governments for Anti-Human Trafficking Unit including Women Help Desks (₹ 184.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants to State Governments for Anti-Human Trafficking Unit including Women Help Desks. Grants in aid General including SRE(NE and LWE) (₹ 5.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Border Infrastructure Management under Major Work (₹ 398 crore) and scheme for Safety Women of Delhi Police(Nirbhaya Fund Scheme) Office Building under Major Works (₹ 6.77 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 49
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)

(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.01	4285.99	4286.00
पूंजी	Capital	...	601.58	601.58
जोड़	Total	0.01	4887.57	4887.58
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	4887.61	4887.62
राजस्व	Revenue	0.01	4286.02	4286.03
पूंजी	Capital	...	601.59	601.59
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01	(क) 0.01
2406-वानिकी और वन्य जीवन	2406-Forestry and Wild Life	...	0.01	(ख) 0.01
2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries and Minerals	...	0.01	(ग) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5053-नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय	5053-Capital Outlay on Civil Aviation	...	0.01	(घ) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.04	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	राष्ट्रीय वेक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 8.40 करोड़) और आयुष्मान भारत- पीएमजेएवाई (₹ 9.60 करोड़) से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए।	(a)	meeting establishment related expenditure under National Vector Borne Disease Control Programme (₹ 8.40 crore) and Ayushman Bharat - PMJAY (₹ 9.60 crore).
(ख)	अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	वनीकरण, तटबंधीय क्षेत्र उपचार योजना, एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना आदि के अंतर्गत के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 3.24 करोड़)।	(b)	meeting expenditure under Compensatory Afforestation, Catchment Area Treatment Plan, Integrated Wild Life Management Plan etc (₹ 3.24 crore).
(ग)	अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	अंडमान एवं निकोबार नवोन्मेष स्टार्टअप नीति-2018 के लिए व्यय को पूरा करने लिए (₹ 1.00 करोड़)।	(c)	meeting expenditure for Andaman & Nicobar Innovation Start-up Policy-2018 (₹ 1.00 crore).
(घ)	अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(d)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	पोर्ट ब्लेयर विमानपत्तन के रनवे का विस्तार करने के संबंध में विवाचन पंचाट के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 12.18 करोड़)।	(d)	meeting additional expenditure towards Arbitration Awards in respect Extension of Runway at Port Blair Airport (₹ 12.18 crore).
	अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 50

चंडीगढ़

CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 देखिये)

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	42.01	4309.48	4351.49
पूंजी	Capital	25.00	376.63	401.63
जोड़	Total	67.01	4686.11	4753.12
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	60.00	...	60.00
जोड़	Total	60.00	...	60.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	127.01	4686.11	4813.12
राजस्व	Revenue	42.01	4309.48	4351.49
पूंजी	Capital	85.00	376.63	461.63
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4217-शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	4217-Capital Outlay on Urban Development	60.00	...	60.00

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण भू-स्वामियों को वृद्धित क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना।

इसमें ₹ 60 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting additional requirement for payment of enhanced compensation to the land owners on account of the decision of the Hon'ble Punjab and Haryana High Court.

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 60 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 51
दादरा और नगर हवेली
DADRA AND NAGAR HAVELI**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 63 देखिये)

(See page 63 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.01	867.82	867.83
पूंजी	Capital	...	317.06	317.06
जोड़	Total	0.01	1184.88	1184.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	5.00	5.00
जोड़	Total	...	5.02	5.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	1189.90	1189.91
राजस्व	Revenue	0.01	867.84	867.85
पूंजी	Capital	...	322.06	322.06
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry	...	0.01	(क) 0.01
2403-पशु पालन	2403-Animal Husbandry	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5452-पर्यटन पर पूंजी परिव्यय	5452-Capital Outlay on Tourism	...	5.00	(ग) 5.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	5.02	5.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	उर्वरक की खरीद के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.06 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	meeting additional requirement to provide subsidies to farmers for purchase of Fertilizer (₹ 0.06 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान गिर गायों की खरीद के लिए 18 लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान करने हेतु (₹ 0.12 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	providing subsidies to 18 Nos. of beneficiaries for purchase of Gir Cows during FY 2019-20 (₹ 0.12 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	डोकमर्डी में भूमिगत पार्किंग और सरकारी कॉलेज के सभामंडप के जारी आंतरिक कार्य (₹ 5.00 करोड़)। अनुदान राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(c)	ongoing works of underground parking at Dokmardi and interior work of Auditorium at Government College (₹ 5.00 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 53

लक्षद्वीप

LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 69 देखिये)

(See page 69 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1117.11	1117.11
पूंजी	Capital	...	186.38	186.38
जोड़	Total	...	1303.49	1303.49
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1303.50	1303.50
राजस्व	Revenue	...	1117.12	1117.12
पूंजी	Capital	...	186.38	186.38
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आंगनवाड़ी कर्मचारियों से संबंधित स्थापना संबंधी व्यय पूरा करने के लिए (₹ 1.95 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting establishment related expenditure pertaining to Aanganwadi staff (₹ 1.95 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 56
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 देखिये)

(See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	91.81	35421.29	35513.10
पूंजी	Capital	71.92	19472.42	19544.34
जोड़	Total	163.73	54893.71	55057.44
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	9.10	0.02	9.12
पूंजी	Capital	...	0.03	0.03
जोड़	Total	9.10	0.05	9.15
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	172.83	54893.76	55066.59
राजस्व	Revenue	100.91	35421.31	35522.22
पूंजी	Capital	71.92	19472.45	19544.37
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2216-आवास	2216-Housing	...	0.01 (का)	0.01
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	9.10 (खb)	...	9.10
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	9.10	0.02	9.12
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01 (घd)	0.01
4217-शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	4217-Capital Outlay on Urban Development	...	0.01 (ङe)	0.01
6217-शहरी विकास के लिए ऋण	6217-Loans for Urban Development	...	0.01 (चf)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.03	0.03
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	9.10	0.05	9.15

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) स्थावर-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान और पूंजीगत परिसंपत्तियों के मृजन हेतु अनुदान (₹ 7.50 करोड़) तथा (ii) लाइट हाउस प्रोजेक्ट (एलएचपी) तथा डिमान्टेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स (डीएचपी) के लिए पीएमएवाई(यू) के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹ 95 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) (i) ओएई के अंतर्गत राष्ट्रपति सचिवालय के प्रावधान, पूंजी भाग के अंतर्गत उपलब्ध निधियों में से लघु कार्य, किराया, दर व कर (₹ 9.10 करोड़) (ii) दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) कार्मिकों की पेंशन स्कीम के लिए कार्पस फंड सृजित करना (₹ 15.44 करोड़), (iii) भारत पर्यावास केन्द्र, नई दिल्ली को दी जाने वाली संपत्ति कर की छूट (₹ 0.48 करोड़) तथा (iv) पुनर्विनियोग के द्वारा एनसीआरटीसी को (₹ 7.53 करोड़)।
- अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;
- (ग) (i) ट्रेनिंग सेंटर फार म्यूनिसिपल एम्प्लायी (आरसीईयूएस), लखनऊ की स्कीम हेतु सामान्य सहायता अनुदान और वेतन सहायता अनुदान सहायता (₹ 1.91 करोड़); (ii) 100 स्मार्ट सिटीज मिशन स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के मृजन के लिए सामान्य अनुदान सहायता ताकि सुल्तानपुर लोधी का विकास किया जा सके (₹ 5 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) (i) जेआईसीए द्वारा ईएपी अनुदान के लिए सामान्य पूल आवास (₹ 145 करोड़), (ii) प्रमुख कार्यों के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की चालू परियोजना (₹ 200 करोड़) तथा (iii) संसद भवन का विकास/पुनर्विकास, केंद्रीय विस्था तथा अन्य संयोजित भवनों के

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General and Grants for Creation of Capital Assets to meet requirement of Real Estate Regulatory Authority (RERA) to National Capital Territory(NCT) of Delhi (₹ 7.50 crore) and (ii) Grants-in-aid General under PMAY(U) towards Light House Project(LHP) and Demonstration Housing Projects (DHP) (₹ 95 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) provisions of President Secretariat under OAE, Minor Works,Rent, Rate& Taxes (₹ 9.10 crore) from funds available under capital section. (ii) create a corpus for pension scheme of Delhi Urban Art Commission(DUAC) employees (₹ 15.44 crore), (iii)property tax to be remitted to India Habitat Centre,New Delhi (₹ 0.48 crore) and (iv) NCRTC by way of re-appropriation (₹ 7.53 crore).
- Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (c) (i) Grants-in-aid General and Grants-in-aid Salaries for the scheme of Training Centre for Municipal Employees (RCEUS), Lucknow (₹ 1.91 crore); (ii) Grants-in-aid General, Grants for creation of capital assets under the scheme of 100 Smart Cities Mission, for development of Sultanpur Lodhi (₹ 5 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) (i) General Pool Accommodation for EAP granted by JICA (₹ 145 crore), (ii) ongoing project of Supreme Court under Major Work (₹ 200 crore) and (iii) development/re-development

नए कार्य (₹ 333 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ड) अधिशेष भूमि की रजिस्ट्री, डि-मर्जर के आर्डर पर स्टैम्प ड्यूटी, हेमिस्फेयर प्रापर्टीज इंडिया लि. (एचपीआईएल) की प्रतिभूतियों की सूची और अन्य प्रासंगिक व्यय (₹ 700 करोड़)। (e)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (च) मेसर्स हेमिस्फेयर प्रापर्टीज इंडिया लि. (एचपीआईएल) के ऋण एवं अग्रिम ताकि एचपीआईएल एवं टाटा कम्युनिकेशन्स लि. (टीसीएल) के बीच व्यवस्था की स्कीम प्रभावी बनाने के लिए प्रतिभूतियों के सूचीबद्ध होने तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों के लिए व्यय पूरा करने के लिए (₹ 51 करोड़)। (f)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

of Parliament building, new work of Central Vista and other connected buildings (₹ 333 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

registry of surplus land, stamp duty on the order of De-merger, listing of securities of Hemisphere Properties India Ltd (HPIL) and other incidental expenses etc. (₹ 700 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Loans & Advances for M/s Hemisphere Properties India Ltd (HPIL) to meet the expenditure towards listing of securities and other incidental expenses to give effect to the scheme of arrangement between HPIL & Tata Communications Limited (TCL) (₹ 51 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 57
विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 देखिये)

(See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	97585.76	97585.76
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	97585.76	97585.76
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	97585.80	97585.80
राजस्व	Revenue	...	97585.80	97585.80
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	0.01 (क)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (ख)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (ग)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (घ)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.04	0.04
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for:				
(क) (i) एनवीएस (₹ 397.34 करोड़), (ii) केवीएस (₹ 2480.36 करोड़), (iii) एनसीईआरटी (₹ 160.24 करोड़) (iv) सीटीएसए (₹ 30.50 करोड़), (v) समग्र शिक्षा (₹ 14 करोड़), (vi) राष्ट्रीय बाल भवन (₹ 0.39 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता।	(a) (i) Grants-in-Aid General in the Scheme of (i) NVS (₹ 397.34 crore), (ii) KVS (₹ 2480.36 crore), (iii) NCERT (₹ 160.24 crore), (iv) CTSA (₹ 30.50 crore), (v) Samagra Shiksha (₹ 14 crore), (vi) National Bal Bhawan (Rs 0.39 crore).			
(ii) एनवीएस (₹ 574.48 करोड़) (ii) केवीएस (₹ 820.44 करोड़), (iii) एनसीईआरटी (₹ 43.58 करोड़), समग्र शिक्षा (₹ 4 करोड़) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान।	(ii) Grants for Creation of Capital Assets in the Scheme of (i) NVS (₹ 574.48 crore) (ii) KVS (₹ 820.44 crore), (iii) NCERT (₹ 43.58 crore), Samagra Shiksha (₹ 4 crore).			
(iii) एनवीएस (₹ 931.80 करोड़) (ii) केवीएस (₹ 1161.52 करोड़) (iii) सीटीएसए (₹ 0.76 करोड़) स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान-सहायता।	(iii) Grants-in-Aid Salary in the Scheme of (i) NVS (₹ 931.80 crore) (ii) KVS (₹ 1161.52 crore) (iii) CTSA (₹ 0.76 crore).			
(iv) राष्ट्रीय साधन-सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना में (₹ 96.80 करोड़) छात्रवृत्ति/वृत्तिका। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(iv) Scholarships/Stipend in National Means cum Merit Scholarship Scheme (₹ 96.80 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.			
(ख) (i) एनवीएस (₹ 44 करोड़), (ii) केवीएस (₹ 276 करोड़) की योजना में सामान्य सहायता अनुदान।	(b) (i) Grants-in-Aid General in the Scheme of (i) NVS (₹ 44 crore) & (ii) KVS (₹ 276 crore).			
(ii) (i) एनवीएस (₹ 64 करोड़) (ii) केवीएस (₹ 92 करोड़) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान।	(ii) Grants for Creation of Capital Assets in the Scheme of (i) NVS (₹ 64 crore) (ii) KVS (₹ 92 crore).			
(iii) (i) एनवीएस (₹ 104 करोड़) (ii) केवीएस (₹ 130 करोड़) की स्कीम के अंतर्गत योजना में वेतन सहायता अनुदान। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(iii) Grants-in-Aid Salary in the Scheme of (i) NVS (₹ 104 crore) (ii) KVS (₹ 130 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.			
(ग) (i) समग्र शिक्षा (₹ 1330 करोड़), मदरसों / अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना (₹ 200 करोड़) की योजना में सामान्य सहायता अनुदान।	(c) (i) Grants-in-Aid General in the Scheme of Samagra Shiksha (₹ 1330 crore), Education Scheme for Madrassas/Minorities (₹ 200 crore)			
(ii) मदरसों / अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा स्कीम (₹ 20 करोड़) की स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(ii) Grants for Creation of Capital Assets in the Scheme of Education Scheme for Madrassas/Minorities (₹ 20 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.			
(घ) (i) समग्र शिक्षा (₹ 30 करोड़) की स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।	(d) (i) Grants-in-Aid General in the Scheme of Samagra Shiksha (₹ 30 crore).			
(ii) समग्र शिक्षा (₹ 50 करोड़) की स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(ii) Grants for Creation of Capital Assets in the Scheme Samagra Shiksha (₹ 50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.			

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 58
उच्चतर शिक्षा विभाग
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	...	52058.84
पूंजी	Capital	...	2120.00
जोड़	Total	...	54178.84
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	...	0.03
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	54178.87
राजस्व	Revenue	...	52058.87
पूंजी	Capital	...	2120.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	0.01 (क) 0.01
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	...	0.01 (ख) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (ग) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) आयुर्विज्ञान संस्थान-बीएचयू (₹ 216 करोड़), (2) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (₹ 500 करोड़), (3) चैम्पियन सेवा सेक्टर- शिक्षा सेवाएं-उच्चतर शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण (₹ 45 करोड़), (4) शास्त्री भारत- कनाडाई संस्थान (₹ 2 करोड़), (5) राष्ट्रीय शिक्षा आयोजना और प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) (₹ 25 करोड़) और (6) भारत में अध्ययन (₹ 3.88 करोड़) (ii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (1) आयुर्विज्ञान संस्थान-बीएचयू (₹ 40 करोड़), (2) भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान (₹ 15 करोड़), (3) कला और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पहल (₹ 10 करोड़), (4) राष्ट्रीय शिक्षा आयोजना और प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) (₹ 15 करोड़) और (5) चैम्पियन सेवा सेक्टर- शिक्षा सेवाएं-उच्चतर शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण (₹ 5 करोड़) (iii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (1) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (₹ 950 करोड़), (2) आयुर्विज्ञान संस्थान-बीएचयू (₹ 52 करोड़), और (3) भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान (₹ 18 करोड़), (iv) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत 'व्यावसायिक सेवाएं' (1) भारत में अध्ययन (₹ 7.39 करोड़) (v) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत 'छात्रवृत्ति/वृत्तिका' (1) महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (₹ 25 करोड़), (vi) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत 'अन्य प्रशासनिक व्यय' (1) वैश्विक वचनबद्धता के लिए पहल (₹ 5 करोड़)।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General under the following schemes (1) Institute of Medical Sciences-BHU (₹ 216 crore), (2) Central Universities (₹ 500 crore), (3) Champion Services Sector-Education Services - Internationalization of Higher Education (₹ 45 crore), (4) Shastri Indo- Canadian Institute (₹ 2 crore), (5) National Institute of Education Planning and Administration (NIEPA) (₹ 25 crore), and (6) Study in India (₹ 3.88 crore) (ii) Grants for creation of capital assets under the following schemes (1) Institute of Medical Sciences-BHU (₹ 40 crore), (2) Grants for promotion of Indian languages (₹ 15 crore), (3) National Initiative for Excellence in Humanities and Social Sciences (₹ 10 crore), (4) National Institute of Education Planning and Administration (NIEPA) (₹ 15 crore), and (5) Champion Services Sector- Education Services - Internationalization of Higher Education (₹ 5 crore) (iii) Grants-in-aid Salaries under the following schemes (1) Central Universities (₹ 950 crore), (2) Institute of Medical Sciences-BHU (₹ 52 crore), and (3) Grants for promotion of Indian languages (₹ 18 crore) (iv) 'Professional Services' under the following scheme Study in India (₹ 7.39 crore) (v) 'Scholarship/ Stipends' under the following scheme Scholarship for College & University Students (₹ 25 crore) (vi) 'Other Administrative Expenses' under the following scheme Initiatives for global engagement (₹ 5 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ख) अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (i) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणता सुधार परियोजना (टीईक्यूआईपी) (ईएपी) (₹ 150 करोड़), (2) आसियान फैलोशिप (₹ 15 करोड़), (3) भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) (₹ 55 करोड़), (4) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और आईआईएसटी को सहायता (₹ 220 करोड़), (5) भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता (₹ 1.41 करोड़), (6) राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान, मुम्बई (₹ 8 करोड़), (7) राष्ट्रीय औद्योगिक रैंकिंग रूपरेखा (₹ 1.59 करोड़), (8) स्वच्छता कार्यवाई योजना (एसएपी) (₹ 0.45 करोड़), (9) प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई, कोलकाता, कानपुर और चेन्नई (₹ 1 करोड़) और (10) एसएलआईटी,

- (b) (i) Grants-in-aid General under the following schemes (1) Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (TEQIP) (EAP) (₹ 150 crore), (2) ASEAN Fellowship (₹ 15 crore), (3) Indian Institutes of Management (IIMs) (₹ 55 crore), (4) Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIST (₹ 220 crore), (5) Support to Indian Institute of Science (IISc) (₹ 1.41 crore), (6) National Institute of Industrial Engineering Mumbai (₹ 8 crore), (7) National Institutional Ranking Framework (₹ 1.59 crore), (8)

एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी, कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 2 करोड़), (ii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (1) आईआईटी हैदराबाद (ईएपी) (₹ 300 करोड़), (2) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान (आईआईएसईआर) को सहायता (₹ 20 करोड़), (3) प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, मुंबई, कोलकाता, कानपुर और चेन्नई (₹ 0.07 करोड़) और टीईक्यूआईपी (₹ 140 करोड़), (iii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (1) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआईआर) (₹ 20 करोड़), (2) राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान, मुंबई (₹ 19 करोड़) और (3) एसएलआईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी, कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 2 करोड़), और (4) प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, मुंबई, कोलकाता, कानपुर और चेन्नई (₹ 1 करोड़) (iv) निम्नलिखित स्कीम टीईक्यूआईपी के अंतर्गत 'व्यावसायिक सेवाएं' (₹ 10 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ग) (i) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (₹ 150 करोड़) और (2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को सहायता (₹ 50 करोड़), (ii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (1) एसएलआईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी, कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 20 करोड़), (iii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (1) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (₹ 250 करोड़) और (2) एसएलआईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी, कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 4 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Swachhta Action Plan (SAP) (₹ 0.45 crore), (9) Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur, and Chennai (₹ 1 crore) and (10) Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar (₹ 2 crore). (ii) Grants for creation of capital assets under the following schemes (1) IIT Hyderabad (EAP) (₹ 300 crore), (2) Support to Indian Institutes of science Education & Research (IISER) (₹ 20 crore), (3) Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and Chennai (₹ 0.07 crore), and TEQIP (₹ 140 crore) (iii) Grants-in-aid Salaries under the following schemes (1) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs) (₹ 20 crore), (2) National Institute of Industrial Engineering Mumbai (₹ 19 crore), (3) Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar (₹ 2 crore) and (4) Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur, and Chennai (₹ 1 crore). (iv) 'Professional Services' under the following scheme TEQIP (₹ 10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) Grants-in-aid General under the following schemes (1) Central Universities (₹ 150 crore), and (2) Support to University Grants Commission (UGC) (₹ 50 Crore), (ii) Grants for creation of capital assets under the scheme Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar (₹ 20 crore) (iii) Grants-in-aid Salaries under the following schemes (1) Central Universities (₹ 250 crore), (2) Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar (₹ 4 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 60

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 79-80 देखिये)

(See page 79-80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	7890.15	7890.15
पूंजी	Capital	0.01	414.46	414.47
जोड़	Total	0.01	8304.61	8304.62
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	8304.62	8304.63
राजस्व	Revenue	...	7890.16	7890.16
पूंजी	Capital	0.01	414.46	414.47
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2701-वृहत और मध्यम सिंचाई	2701-Major and Medium Irrigation	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- राष्ट्रीय जल मिशन को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.40 करोड़)।
- निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदान (i) नाबार्ड ऋण पर ब्याज भुगतान (₹ 126.61 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को 'नदीमुख प्रबंधन' (₹ 6.40 करोड़)।
- राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 9.10 करोड़)।
- राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 2.50 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- Grants-in-aid General to National Water Mission (₹ 1.40 crore).
- Grants-in-aid General for (a) Interest payment on NABARD loan (₹ 126.61 crore) and (b) River Basin Management (₹ 6.40 crore) to National Water Development Agency.
- Grants-in-aid General to National Institute of Hydrology (₹ 9.10 crore).
- Grants for creation of Capital Assets to National Institute of Hydrology (₹ 2.50 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 61

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 देखिये)

(See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	27766.70	27766.70
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	27766.70	27766.70
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	27766.72	27766.72
राजस्व	Revenue	...	27766.72	27766.72
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2215-जलापूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation	...	0.01 (क)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	(क) निम्नलिखित प्रदान करने के लिए (क) नवसृजित संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 69 करोड़) और (ख) जल जीवन मिशन (तत्कालीन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम) के अंतर्गत राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता एवं गुणवत्ता केन्द्र को राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 51.45 करोड़)।	(a)	providing (a) Grants-in-aid General for newly created Union Territory of Ladakh (₹ 69 crore) and (b) Grants for creation of capital assets for Rashtriya Swachhta Kendra to National Centre for Drinking Water, Sanitation & Quality under Jal Jeevan Mission (erstwhile National Rural Drinking Water Programme) (₹ 51.45 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ख)	अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। (ख) जल जीवन मिशन (तत्कालीन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम) के अंतर्गत नवसृजित संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 143 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	providing Grants-in-aid General to newly formed created Union Territory of Jammu and Kashmir under Jal Jeevan Mission (erstwhile National Rural Drinking Water Programme) (₹ 143 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 62
श्रम और रोजगार मंत्रालय
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 देखिये)

(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		भारित	स्वीकृत	(₹ करोड़) (In ₹ crores)
		Charged	Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	11151.65	11151.65
पूंजी	Capital	...	32.44	32.44
जोड़	Total	...	11184.09	11184.09
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	5.10	5.10
जोड़	Total	...	5.13	5.13
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	11189.22	11189.22
राजस्व	Revenue	...	11151.68	11151.68
पूंजी	Capital	...	37.54	37.54
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित	स्वीकृत	जोड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खb)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services	...	5.10 (घd)	5.10
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	5.13	5.13

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	अंतराष्ट्रीय कोपरेशन योजना के तहत (₹ 4.00 करोड़) का योगदान (ii) कर्मचारी पेंशन योजना (₹ 540.36 करोड़ रुपए) का योगदान और अनुदान-सह-सहायता सामान्य (₹ 458.00 करोड़) और (iii) सेंट्रल बोर्ड फार वर्कर्स ऐजुकेशन, योजना के तहत अनुदान सहायता वेतन (₹ 31.30 करोड़)।	(a)	Meeting expenditure towards: (i) Contribution (₹ 4.00 crore) under the scheme 'International Cooperation', (ii) Contribution (₹ 540.36 crore) and Grant-in-aid General (₹ 450.00 crore) under the scheme 'Employees Pension Scheme' and (iii) Grant-in-aid Salaries (₹ 31.30 crore) under the Scheme 'Central Board for Workers Education'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। (i) 'कर्मचारी पेंशन स्कीम' स्कीम के अंतर्गत अंशदान (₹ 444.64 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 50.00 करोड़), (ii) 'केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 3.70 करोड़) और (iii) 'राष्ट्रीय करियर सेवाएं' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.68 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(b)	Meeting expenditure towards: (i) Contribution (₹ 444.64 crore) and Grant-in-aid General (₹ 50.00 crore) under the scheme 'Employees Pension Scheme', (ii) Grants-in-aid Salaries (₹ 3.70 crore) under the scheme 'Central Board for Workers Education' and (iii) Grant-in-aid General (₹ 1.68 crore) under the scheme 'National Career Services'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। 'राष्ट्रीय करियर सेवाओं' के तहत जीआईए सामान्य (₹14.32 करोड़) को व्यय को पूरा करने के लिए।	(c)	Meeting expenditure towards: GIA General (₹ 14.32 crore) under the scheme 'National Career Services'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। रोजगार संवर्धन स्कीम के तहत मुख्य कार्य (₹ 2.00 करोड़) मशीनरी फार वेटर कान्सिलेशन, प्रोमेशन मिडिएशन, इफेक्टिव इनफोर्समेंट आफ लेबर लॉज चीफ लेबर कमीशनर योजना के तहत मुख्य कार्य (₹ 6.90 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए।	(d)	Meeting expenditure towards: (i) Major Works (₹ 2.00 crore) under the Scheme 'Employment Promotion Scheme' and (ii) Major Works (₹ 6.90 crore) under the scheme 'Machinery for Better Conciliation, Preventive Mediation, Effective Enforcement of Labour Laws, Chief Labour Commissioner'. Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant and after utilizing the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के उपयोग के पश्चात, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।			

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 64

निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	261.68	261.68
पूंजी	Capital	...	25.00	25.00
जोड़	Total	...	286.68	286.68
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	6.22	6.22
जोड़	Total	...	6.22	6.22
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	292.90	292.90
राजस्व	Revenue	...	261.68	261.68
पूंजी	Capital	...	31.22	31.22
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	6.22	6.22

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारतीय निर्वाचन आयोग के लिए कार्यालय भवन के लिए भूमि की खरीद हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को भुगतान करना।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

making payment to Delhi Development Authority towards purchase of land for construction of office building for Election Commission of India.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO. 65 (विनियोग)(APPROPRIATION)

भारत का उच्चतम न्यायालय
SUPREME COURT OF INDIA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 देखिये)

(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	269.46	...	269.46
पूंजी	Capital
जोड़	Total	269.46	...	269.46
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	20.58	...	20.58
पूंजी	Capital
जोड़	Total	20.58	...	20.58
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	290.04	...	290.04
राजस्व	Revenue	290.04	...	290.04
पूंजी	Capital
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	20.58	...	20.58

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वेतन (₹17 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹3.58 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।
इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting the additional expenditure on Salaries (₹ 17 crore) and Professional Services (₹ 3.58 crore).
The above expenditure will entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 68
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय
MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 देखिये)

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4599.98	4599.98
पूंजी	Capital	...	100.02	100.02
जोड़	Total	...	4700.00	4700.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4700.01	4700.01
राजस्व	Revenue	...	4599.99	4599.99
पूंजी	Capital	...	100.02	100.02
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (a) (क) (i) अनुसंधान/अध्ययन, स्कीमों की निगरानी और मूल्यांकन स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 4.80 करोड़) (ii) अनुसंधान/अध्ययन, स्कीमों की निगरानी और मूल्यांकन स्कीम के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय शीर्ष के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.20 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- (a) (i) GIA Salary under the scheme Research/ Studies, Monitoring and Evaluation of Schemes (₹ 4.80 crore) (ii) Additional requirement under the Other Administrative Expenses Head, for the scheme Research/Studies, Monitoring and Evaluation of Schemes (₹ 0.20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 69
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 देखिये)

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5209.83	5209.83
पूंजी	Capital	...	45.00	45.00
जोड़	Total	...	5254.83	5254.83
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	60.00	60.00
जोड़	Total	...	60.01	60.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5314.84	5314.84
राजस्व	Revenue	...	5209.84	5209.84
पूंजी	Capital	...	105.00	105.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2810-नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	2810-New and Renewable Energy	...	0.01	(क) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4810-नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय	4810-Capital Outlay on New and Renewable Energy	...	60.00	(ख) 60.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	60.01	60.01
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	सौर विद्युत (ऑफ ग्रीड) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति उप-योजना (₹ 3 करोड़) और अनुसूचित जाति उप-योजना (₹ 72 करोड़) और (ख) पवन विद्युत (ग्रीड) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति उप-योजना (₹ 118 करोड़) और अनुसूचित जाति उप-योजना (₹ 56 करोड़) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान।	(a)	providing (a) Grants for creation of capital assets for Scheduled Tribe Sub-Plan (₹ 3 crore) and Scheduled Caste Sub-Plan (₹ 72 crore) under Solar Power (Off-Grid); and (b) Subsidy for meeting expenditure under Scheduled Tribe Sub-Plan (₹ 118 crore) and Scheduled Castes Sub-Plan (₹ 56 crore) under Wind Power (Grid).	
(ख)	अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। 'अटल अक्षय ऊर्जा भवन' के निर्माण के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय हेतु कार्यालय भवन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 60 करोड़)। अनुदान राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 60 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(b)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure under Office Buildings for Capital Outlay on New and Renewable Energy for Construction of Atal Akshay Urja Bhawan (₹ 60 crore). Taking into account the surrender of savings of ₹ 60 crore available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 71

संसदीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 देखिये)

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	19.38	19.38
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	19.38	19.38
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	19.39	19.39
राजस्व	Revenue	...	19.39	19.39
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग के कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 1 करोड़)।
अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure under Information Technology for implementation of National eVidhan Application (₹ 1 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 72

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92 देखिये)

(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	96.99	1483.71	1580.70
पूंजी	Capital	6.65	139.24	145.89
जोड़	Total	103.64	1622.95	1726.59
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	103.64	1622.97	1726.61
राजस्व	Revenue	96.99	1483.71	1580.70
पूंजी	Capital	6.65	139.26	145.91
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	0.01	(क) 0.01
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	मोटर वाहन और मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) (₹ 6.35 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	Central Bureau of Investigation (CBI) under Motor Vehicles and Major Works (₹ 6.35 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनए) (₹ 14.97 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	Central Administrative Tribunal (CAT) and Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA) under Major Works (₹ 14.97 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 74
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 देखिये)

(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	42440.78	42440.78
पूंजी	Capital	...	1667.31	1667.31
जोड़	Total	...	44108.09	44108.09
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1000.00	1000.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	1000.00	1000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	45108.09	45108.09
राजस्व	Revenue	...	43440.78	43440.78
पूंजी	Capital	...	1667.31	1667.31
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2802-पेट्रोलियम	2802-Petroleum	...	1000.00	1000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निर्धन परिवारों के लिए एलपीजी स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए (₹ 1000 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

providing additional funds under the scheme LPG for Poor Households (₹ 1000 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 75

योजना मंत्रालय

MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 देखिये)

(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	582.29	582.29
पूंजी	Capital	...	1.11	1.11
जोड़	Total	...	583.40	583.40
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	22.18	22.18
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	22.18	22.18
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	605.58	605.58
राजस्व	Revenue	...	604.47	604.47
पूंजी	Capital	...	1.11	1.11
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	22.18	22.18

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एनआईएलईआरडी के कर्मचारियों के लिए 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के फलस्वरूप देय बकाया भुगतान हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट (एनआईएलईआए) को वेतन सहायता अनुदान (₹ 3.18 करोड़) (ii) 28 प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के मूल्यांकन तथा स्कीमों की निगरानी व मूल्यांकन को सुदृढ़ करने के लिए आउटपुट-आउटकम मानीटरिंग फ्रेमवर्क के लिए भारत की आकस्मिकता निधि में से आहरित ₹ 26.50 करोड़ की अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 22.18 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

Meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-Aid Salaries towards National Institute of Labour Economics Research and Development (NILERD) (₹ 3.18 crore) towards arrear due payment of 7th CPC implementation for the employees of NILERD during the financial year 2019-20. (ii) Recoupment of advance of ₹ 26.50 crore drawn from Contingency Fund of India for the Evaluation of 28 Umbrella Centrally Sponsored Scheme and Output-Outcome Monitoring Framework to strengthen monitoring and evaluation of the schemes.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 22.18 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 79

राज्य सभा

RAJYA SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 99 देखिये)

(See page 99 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.52	399.52	401.04
पूंजी	Capital
जोड़	Total	1.52	399.52	401.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	20.00	20.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	20.00	20.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.52	419.52	421.04
राजस्व	Revenue	1.52	419.52	421.04
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	2011-Parliament/State/Union Territory Legislatures	...	20.00	20.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

पांचवीं संसदीय वेतन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण सदस्यों के लिए वेतन (₹ 3 करोड़) और सचिवालय (₹17 करोड़) पर हुए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting the additional expenditure on Salaries for Members (₹ 3 crore) and Secretariat (₹ 17 crore) on account of implementation of the recommendations of the Fifth Parliamentary Pay Committee.

The above expenditure will entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 82

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 102 देखिये)

(See page 102 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	474.28	272235.40	272709.68
पूंजी	Capital	36.31	227394.24	227430.55
जोड़	Total	510.59	499629.64	500140.23
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	510.59	499629.65	500140.24
राजस्व	Revenue	474.28	272235.40	272709.68
पूंजी	Capital	36.31	227394.25	227430.56
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5002-भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइन पर पूंजी परिव्यय	5002-Capital Outlay on Indian Railways - Commercial Lines	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष में से 'सिग्नल और दूरसंचार निर्माण कार्य' शीर्ष के अंतर्गत केन्द्रीय रेलवे के माध्यम से ₹ 336.79 करोड़ लागत की सात (7) डिवीजनों की और पूर्वी रेलवे के माध्यम से ₹ 290.57 करोड़ लागत की पांच (5) डिवीजनों की केन्द्रीकृत परिवहन नियंत्रण प्रणाली पर व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure on Centralized Traffic Control system of seven (7) Divisions costing ₹ 336.79 crore through Central Railway and of five (5) Divisions costing ₹ 290.57 crore through Eastern Railway under the head 'Signalling and Telecommunication Works' from Rashtriya Rail Sanraksha Kosh.

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 83
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 104-105 देखिये)

(See page 104-105 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		भारित	स्वीकृत	(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
		Charged	Voted	जोड़	
		Total			
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	...	21619.82		21619.82
पूंजी	Capital	10.00	142819.16		142829.16
जोड़	Total	10.00	164438.98		164448.98
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.02		0.02
जोड़	Total	...	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10.00	164439.00		164449.00
राजस्व	Revenue	...	21619.82		21619.82
पूंजी	Capital	10.00	142819.18		142829.18
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head					
		भारित	स्वीकृत		जोड़
		Charged	Voted		Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	0.01	(का)	0.01
5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02		0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplementary Grants are required for:
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क स्क्व के लिए 'मुख्य निर्माण कार्यों' के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 1600 करोड़)।	(a) additional expenditure under 'Major Work' for Road Wing in North East Region (₹ 1600 crore).
अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग मूलभूत निर्माण कार्यों के लिए 'मुख्य निर्माण कार्यों' के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए (₹ 380 करोड़)।	(b) expenditure under 'Major Works' for National Highways Original Works-Tribal Area Sub Plan (₹ 380 crore).
अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 84
ग्रामीण विकास विभाग
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 106 देखिये)

(See page 106 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	191770.34	191770.34
पूंजी	Capital	...	100.00	100.00
जोड़	Total	...	191870.34	191870.34
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.06	0.06
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.06	0.06
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	191870.40	191870.40
राजस्व	Revenue	...	191770.40	191770.40
पूंजी	Capital	...	100.00	100.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01	(क) 0.01
2216-आवास	2216-Housing	...	0.01	(ख) 0.01
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-Special Programmes for Rural Development	...	0.01	(ग) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(घ) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	(ङ) 0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01	(च) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.06	0.06

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplementary Grants are required for:
(क) व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस-कार्यक्रम प्रबंधन एकक (पीएमयू) (₹ 0.01 करोड़)।	(a) for Public Financial Management System (PFMS) – Programme Management Unit (PMU) under professional services (₹ 0.01 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) (i) अनुसूचित जाति-प्रशासनिक लागत और (ii) प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-ग्रामीण) की स्कीम के तहत ब्याज सब्सिडी के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 335.53 करोड़)।	(b) for Grant-in-aid General for (i) Schedule Caste-Administration Cost and (ii) interest subsidy under the scheme Pradhan Mantri Aawas Yojana – Gramin (PMAY-Gramin) (₹ 335.53 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह (डब्ल्यूएसएचजी) को ब्याज आर्थिक सहायता (₹ 4.40 करोड़)।	(c) for interest Subvention to Women Self Help Group (WSHGs) under National Rural Livelihood Mission (₹ 4.40 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ) प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-ग्रामीण) की स्कीम के तहत अनुसूचित जनजाति-प्रशासन लागत के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.55 करोड़)।	(d) for Grant-in-aid General for Schedule Tribe-Administration Cost under Pradhan Mantri Aawas Yojana – Gramin (PMAY-G) (₹ 2.55 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ) प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-ग्रामीण) के तहत अन्य प्रभार-प्रशासन लागत के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 17.19 करोड़)।	(e) for Grant-in-aid General for other charges-Administration Cost under Pradhan Mantri Aawas Yojana – Gramin (₹ 17.19 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत नवसृजित संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर को निधियां जारी करना (₹ 0.01 करोड़)।	(f) for releasing fund to newly form Union Territory of Jammu and Kashmir under National Rural Livelihood Mission (₹ 0.01 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 86
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 108 देखिये)

(See page 108 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित	स्वीकृत	जोड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	5510.09	5510.11
पूंजी	Capital	...	90.00	90.00
जोड़	Total	0.02	5600.09	5600.11
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	54.00	54.00
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	54.01	54.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	5654.10	5654.12
राजस्व	Revenue	0.02	5564.09	5564.11
पूंजी	Capital	...	90.01	90.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित	स्वीकृत	जोड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	54.00	(का) 54.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर	5425-Capital Outlay on Other Scientific and Environmental	...	0.01	(खब) 0.01
पूंजी परिव्यय	Research			
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	54.01	54.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	(i)	(a)	(i)
अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 350 करोड़)।		Meeting expenditure towards Grants- in- aid General (₹ 350 crore) for National Mission on Inter disciplinary Cyber physical System.	
(ii)	(क) अन्तरविषयक साइबर भौतिक प्रणाली पर राष्ट्रीय मिशन (₹ 150 करोड़) और (ख) अनुसंधान और विकास (राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन (₹ 100 करोड़) के लिए पूंजीगत आस्तियों के मुजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(ii)	Meeting expenditure towards Grants for creation of capital Assets for (a) National Mission on Inter disciplinary Cyber physical System (₹ 150 crore) and (b) Research and Development (National Super Computer Mission) (₹ 100 crore).
(iii)	स्वायत्तशासी संस्थानों के लिए ₹ 20 करोड़ के वेतन सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(iii)	Meeting expenditure towards Grants- in- aid salary of ₹ 20 crore for Autonomous Institutions.
(iv)	“विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के लिए अनुसूचित जनजाति उपयोगना के सामान्य सहायता अनुदान (₹ 6.50 करोड़) के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए।	(iv)	Meeting expenditure under Grants-in-aid General (₹ 6.50 crore) of Scheduled Tribe Sub- Plan for Science and Engineering Research Board.
(v)	विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के लिए अनुसूचित जनजाति उपयोगना के लिए पूंजीगत आस्तियों के मुजन के लिए अनुदान (₹ 3.50 करोड़) के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए।	(v)	Meeting expenditure under Grants for creation of capital Assets (₹ 3.50 crore) for Scheduled Tribe Sub- Plan for Science and Engineering Research Board.
(vi)	भारतीय सर्वेक्षण (निर्देशन और प्रशासन के लिए मजदूरी (₹ 0.75 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹ 3.30 करोड़), किराया, दर व कर (₹ 1.50 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 5.50 करोड़), आपूर्ति और सामग्री (₹ 20.70 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 2.25 करोड़) के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए।	(vi)	Meeting expenditure under wages (₹ 0.75 crore), Domestic Travel Expenses (₹ 3.30 crore), Rent, Rates & Taxes (₹ 1.50 crore), Office Expenses (₹ 5.50 crore), Supplies and Materials (₹ 20.70 crore), Professional Services (₹ 2.25 crore) for Survey of India (Direction and Administration).
अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 34 करोड़ की बचत का अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए तथा अनुदान के इसी भाग के भीतर बचत का उपयोग के पश्चात्, इसमें ₹ 20 करोड़ का तकद व्यय होगा।		Taking into account the surrender of savings of ₹ 34 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 20 crore.	
(ख)	(i)	(b)	(i)
भारतीय सर्वेक्षण के लिए मोटर गाड़िया, 'मशीनरी एवं उपकरण' और मुख्य निर्माण कार्य के तहत क्रमशः ₹ 1 करोड़, ₹ 1.50 करोड़, ₹ 2 करोड़ के व्यय को पूरा करने के लिए।		Meeting expenditure of ₹ 1 crore, ₹ 1.50 crore and ₹ 2 crore under Motor Vehicle, Machinery and Equipment and Major works respectively for Survey of India.	
(ii)	अंकीय मानचित्रण प्रणाली (नैटमो) के लिए 'मशीनरी एवं उपकरण' के तहत ₹ 1.50 करोड़ के व्यय को पूरा करने के लिए।	(ii)	Meeting expenditure of ₹ 1.50 crore under 'Machinery and Equipment' for Digital Mapping System (NATMO).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 89

नौवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 111 देखिये)

(See page 111 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1955.99	1955.99
पूंजी	Capital	...	526.57	526.57
जोड़	Total	...	2482.56	2482.56
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.05	0.05
पूंजी	Capital	...	22.87	22.87
जोड़	Total	...	22.92	22.92
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2505.48	2505.48
राजस्व	Revenue	...	1956.04	1956.04
पूंजी	Capital	...	549.44	549.44
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (का)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01 (ख)	0.01
3051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	3051-Ports and Light Houses	...	0.01 (ग)	0.01
3052-नौवहन	3052-Shipping	...	0.01 (घ)	0.01
3056-अंतर्देशीय जल परिवहन	3056-Inland Water Transport	...	0.01 (ङ)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.05	0.05
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजी परिव्यय	5051-Capital Outlay on Ports and Light Houses	...	13.40 (च)	13.40
5052-नौवहन पर पूंजी परिव्यय	5052-Capital Outlay on Shipping	...	9.47 (छ)	9.47
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	22.87	22.87
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	22.92	22.92

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplementary Grants are required for:			
(क) 'अंतर्देशीय जल परिवहन' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 8.15 करोड़)।	(a)	Grants for creation of Capital Assets under the scheme of 'Inland Water Transport' (₹ 8.15 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.		
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।				
(ख) हुगली गोदी एवं पत्तन इंजिनियर्स लि. को (i) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम का कार्यान्वयन (₹ 9.75 करोड़), (ii) आयकर देयता (₹ 53.86 करोड़) और (iii) सामान्य सांविधिक देयताएं (₹ 9.41 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान।	(b)	Grants-in-aid General for (i) implementation of Voluntary Retirement Scheme (₹ 9.75 crore), (ii) Income Tax Liability (₹ 53.86 crore) and (iii) Statutory Liabilities (₹ 9.41 crore) to Hooghly Dock & Port Engineers Limited. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.		
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।				
(ग) (i) सागरमाला परियोजना के लिए व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय (₹ 12.57 करोड़)।	(c) (i)	Professional Services for Sagarmala Project (₹ 12.57 crore).		
(ii) लघु पत्तनों के लिए 'लघु निर्माण कार्यों' के अंतर्गत व्यय (₹ 9.45 करोड़)।	(ii)	Minor Works under the scheme of 'Minor Ports' (₹ 9.45 crore).		
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.		
(घ) महानिदेशालय (नौवहन) के लिए 'लघु निर्माण कार्यों' के अंतर्गत व्यय (₹ 1 करोड़)।	(d)	Minor Works for Directorate General (Shipping) (₹ 1 crore).		
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.		
(ङ) 'बांग्लादेश को सहायता' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान की निर्मुक्ति (₹ 0.01 करोड़)।	(e)	Grants-in-aid General under the scheme of 'Aid to Bangladesh' (₹ 0.01 crore).		
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.		
(च) लघु पत्तनों के लिए 'मुख्य निर्माण कार्यों' के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय (₹ 15.52 करोड़)।	(f)	Major Works under the scheme of 'Minor Ports' (₹ 15.52 crore).		
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (₹ 2.12 करोड़) और अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण (₹ 13.40 करोड़) को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant (₹ 2.12 crore) and surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant (₹13.40 crore), the above expenditure will not entail any additional cash outgo.		
(छ) महानिदेशालय (नौवहन) के लिए 'कार्यालय व्यय' के अंतर्गत व्यय (₹ 9.47 करोड़)।	(g)	Office Expenses for Directorate General (Shipping) (₹ 9.47 crore).		
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.		

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 90
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 112 देखिये)

(See page 112 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		भारित <i>Charged</i>	स्वीकृत <i>Voted</i>	(₹ करोड़) (In ₹ crores)	जोड़ <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	...	2926.11		2926.11
पूंजी	Capital	...	63.10		63.10
जोड़	Total	...	2989.21		2989.21
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue	...	0.02		0.02
पूंजी	Capital	...	50.01		50.01
जोड़	Total	...	50.03		50.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3039.24		3039.24
राजस्व	Revenue	...	2926.13		2926.13
पूंजी	Capital	...	113.11		113.11
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head					
		भारित <i>Charged</i>	स्वीकृत <i>Voted</i>		जोड़ <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development	...	0.01	(क) (a)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	(ख) (b)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02		0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	50.00	(ग) (c)	50.00
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services	...	0.01	(घ) (d)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	50.01		50.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	50.03		50.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	(i) 'संस्थागत प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना का सुदृढीकरण' स्कीम के अंतर्गत डीटीई (₹ 0.85 करोड़) और ओएई (₹ 1.30 करोड़) तथा (ii) 'कौशल विकास' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 246.00 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए।	(a)	Meeting expenditure towards: (i) DTE (₹ 0.85 crore) and OAE (₹ 1.30 crore) under the scheme 'Strengthening of Infrastructure for Institutional Training and (ii) GIA General (₹ 246.00 crore) under the scheme 'Development of Skills'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। 'कौशल विकास' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.44 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	Meeting expenditure towards: GIA General (₹ 0.44 crore) under the scheme 'Development of Skills'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	स्कीम के अंतर्गत मुख्य कार्य (₹ 67 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 50 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के उपयोग के पश्चात, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(c)	Meeting expenditure towards Major Works (₹ 67 crore) under the 'Secretariat'. Taking into account the surrender of savings of ₹ 50 crore available in the Revenue Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(घ)	'कौशल संस्थानों का सुदृढीकरण' स्कीम के अंतर्गत मोटर वाहन (₹ 0.02 करोड़) तथा मशीनरी और उपस्कर (₹ 0.20 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(d)	Meeting expenditure towards: Motor Vehicle (₹ 0.02 crore) and Machinery & Equipment (₹ 0.20 crore) under the scheme 'Strengthening of Skill Institutions'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 91
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 113 देखिये)

(See page 113 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित	स्वीकृत	जोड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	8429.99	8429.99
पूंजी	Capital	...	455.01	455.01
जोड़	Total	...	8885.00	8885.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	8885.04	8885.04
राजस्व	Revenue	...	8430.02	8430.02
पूंजी	Capital	...	455.02	455.02
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित	स्वीकृत	जोड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01	(का) 0.01
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	(खb) 0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01	(गc) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	4225-Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01	(घd) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.04	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) 1. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹ 10 करोड़) 2. अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्यतावृत्ति (₹ 100 करोड़) 3 अनुसूचित जातियों के मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (₹ 10 करोड़) 4. डॉ अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक (₹ 5 करोड़) 5 पिछड़े वर्गों के लिए स्वेच्छिक संगठनों को सहायता (₹ 20 करोड़) 6 अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्गों के लिए राष्ट्रीय अध्यतावृत्ति (₹ 50 करोड़) 7. विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (1 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (ii) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹ 0.20 करोड़) (iii) अनुसूचित जातियों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वृत्तिका (₹ 33 करोड़) (iv) 1. बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (₹ 50 करोड़) 2. बाल एवं बालिका छात्रावास (₹ 20 करोड़) के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (v) 1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (₹ 0.50 करोड़) 2. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (₹ 0.50 करोड़) के अंतर्गत विदेश यात्रा व्यय। विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान बोर्ड (₹ 2 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) 1. राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक कार्यवाई योजना (₹ 20 करोड़) 2. अल्कोहल और पदार्थ (नशीले पदार्थ) की रोकथाम (₹ 20 करोड़) 3. नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए कार्यवाई योजना (₹ 20 करोड़) 4. वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वेच्छिक संगठनों को सहायता (₹ 20 करोड़) 5. अनुसंधान अध्ययन और अनुसंधान प्रकाशन के लिए सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) To meet additional expenditure in Grants in aid General under 1. Post Matric Scholarships (₹ 10 crore) 2. National Fellowship for SCs (₹ 100 crore) 3. Pre Matric Scholarships for SCs (₹ 10 crore) 4. Dr. Ambedkar National Memorial (₹ 5 crore) 5. Assistance to Voluntary Organisations for Backward Classes (₹ 20 crore) 6. National Fellowship for OBCs and EBCs (₹ 50 crore) 7. Development and Welfare Board for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities (₹ 1 crore) (ii) Other Charges under Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana (₹ 0.20 crore) (iii) Scholarship/Stipend under Top Class Education for SCs (₹ 33 crore) (iv) Grants for Creation of Capital Assets under 1. Babu Jagjivan Ram Chhatrawas Yojna (₹ 50 crore) 2. Boys and Girls Hostel (₹ 20 crore) (v) Foreign Travel Expenses under 1. National Commission for Scheduled Castes (₹ 0.50 crore) 2. National Commission for Safai Karamcharis (₹ 0.50 crore). Grants in aid Salaries under Development and Welfare Board for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities (₹ 2 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
To meet additional expenditure in Grants in aid General under 1. National Action Plan for Senior Citizens (₹ 20 crore) 2. Prevention of Alcoholism and Substance (Drugs) Abuse (₹ 20 crore) 3. National Action Plan for Drug Demand Reduction (₹ 20 crore) 4. Assistance to Voluntary Organisations for Programmes Relating to Aged (₹ 20 crore) 5. Grants in aid for Research Studies and Research Publications (₹ 10 crore).

(b)

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) नशीले पदार्थ की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 10 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) 1. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि (₹ 100 करोड़) अनुसूचित जातियों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि (आईएफसी के माध्यम से) (₹ 50 करोड़) 3. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजी निधि (₹ 44 करोड़) के अंतर्गत निवेश हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

To meet additional expenditure in Grants in aid General under National Action Plan for Drug Demand Reduction (₹ 10 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

To meet additional expenditure in Investments under 1. Venture Capital Fund for SCs to Industrial Finance Corporation of India (₹ 100 crore) 2. Credit Guarantee Fund for SCs(Through IFC) (₹ 50 crore) 3. Venture Capital Fund for OBCs (₹ 44 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 93

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 देखिये)

(See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

			(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.60	5874.12	5874.72
पूंजी	Capital	0.40	6598.14	6598.54
जोड़	Total	1.00	12472.26	12473.26
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	666.00	666.00
जोड़	Total	...	666.01	666.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.00	13138.27	13139.27
राजस्व	Revenue	0.60	5874.13	5874.73
पूंजी	Capital	0.40	7264.14	7264.54
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3402-अंतरिक्ष अनुसंधान	3402-Space Research	...	0.01	(क) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5402-अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5402-Capital Outlay on Space Research	...	666.00	(ख) 666.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	666.01	666.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) नई परियोजनाओं अर्थात् चंद्रयान-III (₹ 15 करोड़), जीसैट 12आर (₹ 23.44 करोड़) एवं जीसैट 20/24 लांच सेवाएं (₹ 2.25 करोड़) तथा सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला (₹ 144.72 करोड़), भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 6 करोड़), भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (₹ 22.30 करोड़) और राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (₹ 3 करोड़) के लिए भी सामान्य सहायता अनुदान और पूंजीगत आस्तियों के मृजन के लिए अनुदान तथा भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 22 करोड़), पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (₹ 3.75 करोड़), भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (₹ 47.41 करोड़) और राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (₹ 7.50 करोड़) के लिए पूंजीगत आस्तियों के मृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) नई परियोजनाओं अर्थात् चंद्रयान-III (₹ 60 करोड़), एल्युमिनियम अयस्क टैंकेजिस-निवेश पूर्व का विकास और आपूर्ति (₹ 100 करोड़), जीसैट 12आर (₹ 76.46 करोड़) एवं जीसैट 20/24 लांच सेवाएं (₹ 501 करोड़) तथा प्रयोजन शीर्ष मशीनरी और उपस्कर के अंतर्गत मुख्य कार्यों/आवास तथा उप-शीर्षों नामतः विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (₹ 104.53 करोड़), पोलर उपग्रह लांच व्हीकल जारी परियोजना (₹ 50 करोड़), तरल प्रणोदन प्रणाली केन्द्र (₹ 114.45 करोड़), इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स प्रणाली के लिए प्रयोगशाला (₹ 1.72 करोड़), सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र (₹ 242.61 करोड़), इसरो टेलीमिटर ट्रेकिंग एवं कमांड नेटवर्क (₹ 60.99 करोड़), नौपरिवहन उपग्रह प्रणाली (₹ 17.79 करोड़), इसरो प्रणोदन परिसर (₹ 79.01 करोड़), दूसरा व्हीकल असेंबली भवन का कार्यान्वयन (₹ 9.88 करोड़), मास्टर नियंत्रण सुविधा (₹ 23.33 करोड़), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय (₹ 15.29 करोड़), ठोस प्रणोदक अंतरिक्ष बूस्टर संयंत्र (₹ 92 करोड़), लघु उपग्रह लांच व्हीकल का विकास (₹ 11.97 करोड़), यूआर राव उपग्रह केन्द्र (₹ 273.86 करोड़), मानव अंतरिक्ष उड़ान केन्द्र (₹ 8.56 करोड़), अंतरिक्ष वस्तु ट्रेकिंग एवं विश्लेषण के लिए नेटवर्क (₹ 33.30 करोड़), एसएसएलवी के लिए लांच पैड (₹ 120 करोड़), अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (₹ 23.77 करोड़), भारतीय दूरस्थ संवेदी संस्थान (₹ 9.42 करोड़), भारतीय लूनर मिशन/चंद्रयान I और II (₹ 18.40 करोड़), जीसैट 20 उपग्रह (₹ 145.12 करोड़), जीएसएलवी जारी चरण-4 (₹ 17.76 करोड़) के अन्य पूंजीगत व्यय के अंतर्गत सेवाओं की नई लिखत सहित अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 666 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure towards new Projects viz. Chandrayaan-III (₹ 15 crore), GSAT 12R (₹ 23.44 crore) & GSAT 20/24 Launch services (₹ 2.25 crore) and also towards Grant-in-aid General and Grants for creation of capital assets of Semi - Conductor Laboratory (₹ 144.72 crore), Indian Institute of Space Science & Technology (₹ 6 crore), Physical Research Laboratory (₹ 22.30 crore) and National Atmospheric Research Laboratory (₹ 3 crore) and Grants for creation of capital assets of Indian Institute of Space Science & Technology (₹ 22 crore), North Eastern Space Application Centre (₹ 3.75 crore), Physical Research Laboratory (₹ 47.41 crore) and National Atmospheric Research Laboratory (₹ 7.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting expenditure towards Machinery & Equipments/Other Capital Expenditure of new Projects viz. Chandrayaan III (₹ 60 crore), Development and Supply of Aluminium Alloy Tankages - Pre -investment (₹ 100 crore), GSAT 12R (₹ 76.46 crore) & GSAT 20/24 Launch Services (₹ 501 crore) Machinery & Equipments, Major Works/Housing & Other Capital Expenditure for Vikram Sarabhai Space Centre (₹ 104.53 crore), Polar Satellite Launch Vehicle Continuation Project (₹ 50 crore), Liquid Propulsion Systems Centre (₹ 114.45 crore), Laboratory for Electro Optics Systems (₹ 1.72 crore), Satish Dhawan Space Centre (₹ 242.61 crore), ISRO Telemetry Tracking and Command Network (₹ 60.99 crore), Navigation Satellite System (₹ 17.79 crore), ISRO Propulsion Complex (₹ 79.01 crore), Realization of Second Vehicle Assembly Building (₹ 9.88 crore), Master Control Facility (₹ 23.33 crore), Indian Space Research Organisation Headquarters (₹ 15.29 crore), Solid Propellant Space Booster Plant (₹ 92 crore), Development of Small Satellite Launch Vehicle (₹ 11.97 crore), U R Rao Satellite Centre (₹ 273.86 crore), Human Spaceflight Centre (₹ 8.56 crore), Network for Space Objects Tracking and Analysis (₹ 33.30 crore), Launch Pad for SSLV (₹ 120 crore), Space Applications Centre (₹ 23.77 crore), Indian Institute of Remote Sensing (₹ 9.42 crore), Indian Lunar Mission / Chandrayaan I&II (₹ 18.40 crore), GSAT 20 Satellite (₹ 145.12 crore), GSLV Continuation Phase-4 (₹ 17.76 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 666 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 94

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 116 देखिये)

(See page 116 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5216.33	5216.33
पूंजी	Capital	...	14.73	14.73
जोड़	Total	...	5231.06	5231.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5231.07	5231.07
राजस्व	Revenue	...	5216.34	5216.34
पूंजी	Capital	...	14.73	14.73
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) विश्व बैंक द्वारा 'राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली की गुणता में सुधार' की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए क्षमता विकास स्कीम (₹ 0.52 करोड़) (ii) 7वीं आर्थिक जनगणना और राष्ट्रीय एकीकृत सूचना पोर्टल की स्थापना (₹ 657.91 करोड़) तथा (iii) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकता को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10.50 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 9.60 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 44.10 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards (i) Capacity Development Scheme for Externally Aided Project of "Improvement of Quality of National Statistical System" by World Bank (₹ 0.52 crore). (ii) 7th Economic census and setting up of a National Integrated Information Portal (₹ 657.91 crore) & (iii) Grant-in-aid General (₹ 10.50 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹ 9.60 crore) and GIA-Salaries (₹ 44.10 crore) of Indian Statistical Institute, Kolkata.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 96

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 118 देखिये)

(See page 118 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
	भारित	स्वीकृत	जोड़	
	Charged	Voted	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	4800.57	4800.57	
पूंजी	Capital	30.91	30.91	
जोड़	Total	4831.48	4831.48	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.03	0.03	
पूंजी	Capital	0.01	0.01	
जोड़	Total	0.04	0.04	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4831.52	4831.52	
राजस्व	Revenue	4800.60	4800.60	
पूंजी	Capital	30.92	30.92	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
	भारित	स्वीकृत	जोड़	
	Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	0.01	(क) 0.01	
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	0.01	(ख) 0.01	
2852-उद्योग	2852-Industries	0.01	(ग) 0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.03	0.03	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4851-Capital Outlay on Village and Small Industries	0.01	(घ) 0.01	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.04	0.04	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) 'राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 3.00 करोड़) तथा सामान्य सहायता अनुदान (₹ 6.53 करोड़), (ii) 'राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 10.00 करोड़), (iii) 'पूर्वोत्तर में कृषि वस्त्रों के संवर्धन हेतु योजना' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 6.00 करोड़), (iv) 'पूर्वोत्तर में भू-वस्त्रों का उपयोग' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 10.00 करोड़), (v) 'केंद्रीय रेशम बोर्ड' योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 3.99 करोड़ तथा सामान्य सहायता अनुदान (₹ 25.00 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) (i) 'अन्य हथकरघा योजनाएं' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.15 करोड़) तथा वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.85 करोड़), (ii) 'राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 39.89 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 15.50 करोड़), (iii) 'अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना' योजना के अनुदान सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.00 करोड़), (iv) 'अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 3.00 करोड़), (v) 'हथकरघा वृहत समूह विकास कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 2.57 करोड़), (vi) 'विपणन सहायता और सेवाएं' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8.00 करोड़), (vii) 'केंद्रीय रेशम बोर्ड' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 151.53 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 3.50 करोड़) तथा वेतन सहायता अनुदान (₹ 26.47 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Meeting expenditure towards: (i) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 3.00 crore) and Grants-in-aid General (₹ 6.53 crore) under the scheme 'National Handloom Development Programme', (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 10.00 crore) under the scheme 'National Institute of Fashion Technology', (iii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 6.00 crore) under the scheme 'Scheme for Promoting Agro Textiles in North East', (iv) Grants-for Creation of Capital Assets (₹ 10.00 crore) under the scheme 'Usage of Geotextiles in North East', (v) Grants-in-aid Salaries (₹ 3.99 crore) and Grants-in-aid General (₹ 25.00 crore) under the scheme 'Central Silk Board'.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Meeting expenditure towards: (i) Grants-in-aid General (₹ 0.15 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 0.85 crore) under the scheme 'Other Handloom Schemes', (ii) Grants-in-aid General (₹ 39.89 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 15.50 crore) under the scheme 'National Handloom Development Programme', (iii) Grants-in-aid General (₹ 3.00 crore) under the scheme 'Ambedkar Hastshilp Vikas Yojna', (iv) Grants for creation of Capital Assets (₹ 3.00 crore) under the scheme 'Infrastructure and Technology Development'. (v) Grants- for Creation of Capital Assets (₹ 2.57 crore) under the scheme 'Handicraft Mega Cluster Development Programme - Handicraft Mega Cluster', (vi) Grants-in-aid General (₹ 8.00 crore) under the scheme 'Marketing Support and Services', (vii) Grants-in-aid General (₹ 151.53 crore), Grants- for creation of Capital Assets (₹ 3.50 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 26.47 crore) under the scheme Central Silk Board'.

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ग) (i) 'राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 59.00 करोड़), (ii) 'फ्लैटर्ड फैक्ट्री सह इंकुबेटर्स' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 3.00 करोड़), (iii) 'समेकित प्रसंस्करण विकास योजना' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 21.50 करोड़), (iv) 'आर एंड डी वस्त्र' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 42.99 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 15.00 करोड़), (v) 'वस्त्र समिति को सहायता' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 15.26 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹ 38.15 करोड़) तथा सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10.00 करोड़), (vi) 'पटसन क्षेत्र विकास योजना' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 70.00 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 4.00 करोड़) तथा वेतन सहायता अनुदान (₹ 7.00 करोड़), (vii) 'बाजार प्रचालन के लिए भारतीय पटसन निगम को सब्सिडी' योजना के अंतर्गत, सब्सिडियां (₹ 83.00 करोड़), (viii) अन्य (टीआरएएस, सीओपी) योजना के अंतर्गत अंशदान (₹ 0.50 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। (c)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (घ) 'अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास योजना' के अंतर्गत मुख्य कार्य (₹ 10.79 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। (d)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting expenditure towards: (i) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 59.00 crore) under the scheme 'National Institute of Fashion Technology', (ii) Grants for creation of Capital Assets (₹ 3.00 crore) under the scheme 'Flattered Factory cum incubators', (iii) Grants for creation of Capital Assets (₹ 21.50 crore) under the scheme 'Integrated Processing Development Scheme', (iv) Grants-in-aid General (₹ 42.99 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 15.00 crore) under the scheme 'R & D Textiles', (v) Grants-in-aid General (₹ 15.26 crore), Grants-in-aid Salaries (₹ 38.15 crore) and Grants-in-aid General (₹ 10.00 crore) under the scheme 'Assistance to Textiles Committee', (vi) Grants-in-aid General (₹ 70.00 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 4.00 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 7.00 crore) under the scheme 'Scheme for Development of Jute Sector', (vii) Subsidies (₹ 83.00 crore) under the scheme 'Subsidy to Jute Corporation of India towards market operation, (viii) Contribution (₹ 0.50 crore) under the scheme 'Others (TRAs, COP).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting expenditure towards Major Works (₹ 10.79 crore) under the scheme Infrastructure and Technology Development Scheme.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 97

पर्यटन मंत्रालय

MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 119 देखिये)

(See page 119 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2189.21	2189.21
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	2189.22	2189.22
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2189.23	2189.23
राजस्व	Revenue	...	2189.22	2189.22
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3452-पर्यटन	3452-Tourism	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) चैम्पियन सेवा सेक्टर स्कीम के अंतर्गत कार्यकलापों को सुसाध्य बनाने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹ 5 करोड़) और अन्य प्रभागों के अंतर्गत निधियां (₹ 40 करोड़) प्रदान करना।
- (ii) सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (₹ 10 करोड़)।
अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- (i) providing Grants in aid General (₹ 2 Crore), advertising and publicity (₹ 5 crores) and funds under Other charges (₹ 40 Crores) to felicitate activities under Champion Services Sector Scheme.
- (ii) providing additional funds for Grants in Aid General under Capacity Building for Services Providers (CBSP) (₹ 10 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 98

जनजातीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 120 देखिये)

(See page 120 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	5659.27	1155.69	6814.96
पूंजी	...	80.00	80.00
जोड़	5659.27	1235.69	6894.96
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	185.00	0.01	185.01
पूंजी	...	0.01	0.01
जोड़	185.00	0.02	185.02
जोड़ (मूल और पूरक)	5844.27	1235.71	7079.98
राजस्व	5844.27	1155.70	6999.97
पूंजी	...	80.01	80.01
I. ORIGINAL GRANT:			
Revenue	5659.27	1155.69	6814.96
Capital	...	80.00	80.00
Total	5659.27	1235.69	6894.96
Supplementary Estimate of the amount now required:			
Revenue	185.00	0.01	185.01
Capital	...	0.01	0.01
Total	185.00	0.02	185.02
Total (Original plus Supplementary)	5844.27	1235.71	7079.98
Revenue	5844.27	1155.70	6999.97
Capital	...	80.01	80.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:			
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	...	0.01 (का)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	185.00 (खब)	...	185.00
जोड़ (राजस्व भाग)	185.00	0.01	185.01
पूंजी भाग			
मुख्य शीर्ष			
4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (गक)	0.01
जोड़ (पूरक)	185.00	0.02	185.02
REVENUE SECTION			
MAJOR HEAD			
2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01 (का)	0.01
3601-Grants-in-aid to State Governments	185.00 (खब)	...	185.00
Total (Revenue Section)	185.00	0.01	185.01
CAPITAL SECTION			
MAJOR HEAD			
4225-Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01 (गक)	0.01
Total (Supplementary)	185.00	0.02	185.02

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) (1) प्रकाशन (₹ 0.17 करोड़), (2) अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 0.39 करोड़) और (3) विज्ञापन और प्रचार (₹ 0.50 करोड़) हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अंतर्गत व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता के लिए (ii) (1) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹ 0.50 करोड़) और (2) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वेच्छिक संगठनों को सहायता (₹ 0.10 करोड़) स्कीम के अंतर्गत कार्यालय व्यय (iii) (1) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹ 0.25 करोड़) और (2) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वेच्छिक संगठनों को सहायता (₹ 0.04 करोड़) स्कीम के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं (iv) निगरानी और मूल्यांकन स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹ 1.50 करोड़) (v) (1) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (₹ 0.98 करोड़), (2) मैट्रिक पूर्व स्कीम (₹ 1.25 करोड़), (3) जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता (₹ 45.50 करोड़) और (4) लघु वनोत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (₹ 60 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (vi) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (₹ 14.99 करोड़) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सुजन के लिए अनुदान, (vii) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (₹ 0.24 करोड़) स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) (1) संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान (₹ 82.45 करोड़) (2) मैट्रिक पूर्व स्कीम (₹ 125.51 करोड़) (3) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹ 645.01 करोड़) और (4) जनजातीय अनुसंधान संस्थान (₹ 20 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 185 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (ग) 'एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय' (₹ 10 करोड़) स्कीम के तहत 'प्रमुख कार्यों' के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) Additional requirement for expenditure under National Commission for Scheduled Tribes towards (1) Publications (₹ 0.17 crore), (2) Other Administrative Expenses (₹ 0.39 crore) and (3) Advertisement & Publicity (₹ 0.50 crore) (ii) Office Expenses under the scheme (1) Post Matric Scholarship (₹ 0.50 crore) and (2) Aid to Voluntary Organisations working for the welfare of Scheduled Tribes (₹ 0.10 crore) (iii) Professional Services under the scheme (1) Post Matric Scholarship (₹ 0.25 crore), (2) Aid to Voluntary Organisations working for the welfare of Scheduled Tribes (₹ 0.04 crore) (iv) Other Charges under the scheme Monitoring & Evaluation (₹ 1.50 crore). (v) GIA General under the scheme (1) Eklavya Model Residential School (₹ 0.98 crore), (2) Pre-Matric Scholarship (₹ 1.25 crore), (3) Institutional Support for Development and Marketing of Tribal Products (₹ 45.50 crore) and (4) Minimum Support Price for Minor Forest Produce (₹ 60 crore) (vi) GIA-Creation of Capital Assets under the scheme Eklavya Model Residential School (₹ 14.99 crore) (vii) GIA Salaries under the scheme Eklavya Model Residential School (₹ 0.24 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) GIA General under the scheme (1) Grants under Article 275 (1) of the Constitution (₹ 82.45 crore) (2) Pre-Matric Scholarship (₹ 125.51 crore), (3) Post Matric Scholarship (₹ 645.01 crore) and (4) Tribal Research Institutes (₹ 20 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 185 crore.

- (c) Additional requirement for expenditure in Major Works under the scheme Eklavya Model Residential School (₹ 10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 99
महिला और बाल विकास मंत्रालय
MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 121 देखिये)

(See page 121 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	29664.89	29664.89
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	29664.90	29664.90
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	5.00	5.00
जोड़	Total	...	5.02	5.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	29669.92	29669.92
राजस्व	Revenue	...	29664.91	29664.91
पूंजी	Capital	...	5.01	5.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01 (क)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय	4235-Capital Outlay on Social Security and Welfare	...	5.00 (ग)	5.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	5.02	5.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) (1) राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग और बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) (₹ 5.68 करोड़) (2) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) (₹ 28.09 करोड़), (3) केन्द्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (₹ 0.80 करोड़) (4) राष्ट्रीय महिला आयोग (₹ 1 करोड़) और (5) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) (₹ 0.23 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (ii) राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.50 करोड़) (iii) (1) राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग और बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) (₹ 3.06 करोड़) (2) केन्द्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (₹ 1.20 करोड़) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और (3) (एनसीपीसीआर) (₹ 0.29 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।
- अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) एनआईपीसीसीडी स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 1 करोड़)।
- अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (पोषाहार में एकीकृत शिक्षा) के लिए मुख्य कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 5 करोड़)।
- अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Meeting additional expenditure towards (i) GIA General under the scheme (1) National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) (₹ 5.68 crore), (2) Central Social Welfare Board (CSWB) (₹ 28.09 crore), (3) Central Adoption Resource Authority (₹ 0.80 crore), (4) National Commission for Women (₹ 1 crore) and (5) National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) (₹ 0.23 crore). (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the National Commission for women (₹ 0.50 crore). (iii) GIA Salary under the scheme (1) NIPCCD (₹ 3.06 crore), (2) Central Adoption Resource Authority (₹ 1.20 crore), and (3) NCPCR (₹ 0.29 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Meeting additional expenditure towards GIA General under the scheme NIPCCD (₹ 1 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Meeting additional expenditure required under Major Works (₹ 5 crore) for National Nutrition Mission (Integrated Education in Nutrition).
- Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 100

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 122 देखिये)

(See page 122 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2181.90	2181.90
पूंजी	Capital	...	35.02	35.02
जोड़	Total	...	2216.92	2216.92
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	225.01	225.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	225.01	225.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2441.93	2441.93
राजस्व	Revenue	...	2406.91	2406.91
पूंजी	Capital	...	35.02	35.02
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2204-खेल और युवा मामले	2204-Sports and Youth Services	...	225.00	(क) 225.00
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	225.01	225.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

(i) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) नेहरू युवा केंद्र संगठन (₹ 25 करोड़), (2) युवा नेता कार्यक्रम (₹ 11 करोड़), (3) राष्ट्रीय सेवा स्कीम (₹ 5 करोड़) (सामान्य घटक- ₹ 3.74 करोड़) (अनुसूचित जाति घटक- ₹ 0.83 करोड़ और अनुसूचित जनजाति घटक- ₹ 0.43 करोड़), (4) अंतर्राष्ट्रीय समन्वय (₹ 2.20 करोड़), (5) जम्मू और कश्मीर में खेल कूद सुविधाओं में वृद्धि (₹ 5.37 करोड़), (6) राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघ (₹ 52.60 करोड़), (7) राष्ट्रीय डोप रोधी अभिकरण (₹ 4.40 करोड़) और (8) खेलो इंडिया (₹ 18.83 करोड़) (ii) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (1) भारतीय खेलकूद प्राधिकरण (₹ 90 करोड़), (2) राष्ट्रीय डोप रोधी अभिकरण (₹ 0.60 करोड़) और (3) नेहरू युवा केंद्र संगठन (₹ 92.53 करोड़) (iii) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (1) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (₹ 16.24 करोड़) (2) जम्मू और कश्मीर में खेलकूद सुविधाओं की वृद्धि (₹ 14.63 करोड़) (3) राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघ (₹ 69.85 करोड़) और (4) खेलो इंडिया (₹ 66.94 करोड़) (iv) राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि स्कीम के अंतर्गत अंशदान (₹ 7.15 करोड़) (v) युवा नेता कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार (₹ 5.50 करोड़) (vi) राष्ट्रीय सेवा स्कीम के अंतर्गत कार्यालय व्यय (₹ 1 करोड़) (vii) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभार (1) विशेष नकद पुरस्कार (₹ 12 करोड़) और (2) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन (₹ 10 करोड़) (viii) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति घटक सामान्य सहायता अनुदान (1) राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघ (₹ 14.28 करोड़) और (2) खेलो इंडिया (₹ 4.87 करोड़) (ix) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति घटक सामान्य सहायता अनुदान (1) राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघ (₹ 8.27 करोड़) और (2) खेलो इंडिया (₹ 4.54 करोड़) (x) खेलो इंडिया स्कीम के लिए अनुसूचित जाति घटक के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 13.49 करोड़) (xi) खेलो इंडिया स्कीम के लिए अनुसूचित जनजाति घटक के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 9.17 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 225 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ख)

(i) भारतीय खेलकूद प्राधिकरण स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़) (ii) खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत (1) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.53 करोड़) अनुसूचित जाति घटक (₹ 0.40 करोड़) और अनुसूचित जनजाति घटक (₹ 0.18 करोड़) (2) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 6.12 करोड़), अनुसूचित जाति घटक (₹ 1.58 करोड़) और अनुसूचित जनजाति घटक (₹ 0.72 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a)

(i) GIA General under the scheme (1) Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹ 25 crore), (2) Young Leader Programme (₹ 11 crore), (3) National Service Scheme (₹ 5 crore) (Gen. Component- ₹ 3.74 crore), (SC Component- ₹ 0.83 crore & ST Component- ₹ 0.43 crore), (4) International Coordination (₹ 2.20 crore), (5) Enhancement of Sports Facility at J&K (₹ 5.37 crore), (6) National Sports Federation (₹ 52.60 crore), (7) National Anti Doping Agency (₹ 4.40 crore) and (8) Khelo India (₹ 18.83 crore) (ii) GIA Salary under the scheme (1) Sports Authority of India (₹ 90 crore), (2) National Anti-Doping Agency (₹ 0.60 crore), and (3) Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹ 92.53 crore). (iii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme (1) Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (₹ 16.24 crore), (2) Enhancement of Sports Facility at J&K (₹ 14.63 crore) (3) National Sports Federation (₹ 69.85 crore) and (4) Khelo India (₹ 66.94 crore) (iv) Contribution under the scheme National Sports Development Fund (₹ 7.15 crore) (v) Advertisement and Publicity under the scheme Young Leader Programme (₹ 5.50 crore) (vi) Office Expenses under the Scheme National Service Scheme (₹ 1 crore) (vii) Other Charges under the scheme (1) Special Cash Award (₹ 12 crore) and (2) Pension to Meritorious Sports Persons (₹ 10 crore) (viii) GIA General SC Component under the scheme (1) National Sports Federation (₹ 14.28 crore) and (2) Khelo India (₹ 4.87 crore) (ix) GIA General ST Component under the scheme (1) National Sports Federation (₹ 8.27 crore) and (2) Khelo India (₹ 4.54 crore) (x) Grant for Creation of Capital Assets under SC Component for the scheme Khelo India (₹ 13.49 crore) (xi) Grant for Creation of Capital Assets under ST Component for the scheme Khelo India (₹ 9.17 crore) Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 225 crore.

(b)

(i) GIA Salary under the scheme Sports Authority of India (₹ 10 crore) (ii) Under the scheme Khelo India (1) GIA General (₹ 1.53 crore), under SC Component (₹ 0.40 crore) and under ST Component (₹ 0.18 crore). (2) Grant for Creation of Capital Assets (₹ 6.12 crore), under SC Component (₹ 1.58 crore), and under ST Component (₹ 0.72 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.